''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2006—अग्रहायण 3, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-1-16/2004/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/18/2006-एआईएस (I), दिनांक 23-10-2006 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-5 (2) के अंतर्गत श्री मंदीप सिंह ब्रार, भा. प्र. से. (RR:2005) की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से हरियाणा राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-7-16/2005/1/6.—राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के तारतम्य में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 06-11-2006 से 17-11-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05 नवम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा, आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वकर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री विश्वकर्मा के उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. डी. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

जल संसाधन (आयाकट) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 37/06/आया/40.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत (1) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 एवं (2) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

"छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006"

विषय – सूची

खण्ड :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र का अंकन
4. भू–धारक की सूची, मतदाता सूची तथा अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची तैयार करना
5. वितरक क्षेत्रों का अंकन
6. परियोजना क्षेत्रों का अंकन
7. निर्वाचन संचलित करने की प्रक्रिया
8. वापस बुलाना
9. कृषक संगठनों के अधिकार
10. कृषक संगठनों के दायित्व
11. सदस्यों के अधिकार
12. वैयक्तिक जल उपभोक्ता के दायित्व
13. सामान्य सभा
14. साधारण निकाय का सम्मिलन
15. सम्मिलन की सूचना
16. साधारण निकाय के लिये गणपूर्ति
17. सम्मिलन का कार्यवृत
18. सामान्य सभा की शक्तियां

19. प्रबंधन समिति की बैठके

20. उपसमितियों का गठन व उसके कार्य

21. संकर्म हाथ में लेने की प्रक्रिया

22. अतिक्रमणों को हटाना

23. कृषक संगठन की सामाजिक संपरीक्षा

24. कार्य योजना और जल बजट

25. जल विधिनियम

26. लेखे/वित्त

27. अभिलेखों का संधारित किया जाना

28. शुल्कों का उद्ग्रहण और संग्रहण

29. वित्तीय संपरीक्षा

30. लेखा परीक्षक की शक्तियां

31. लेखा परीक्षक द्वारा बिना अनुमति किसी दस्तावेज को न हटाया जाना

32. लेखा परीक्षण की सूचना

33. खातों व स्टेटमेन्ट्स का अभिप्रमाणन

34. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

35. प्रबंध समिति को भंग करना

36. अपराध एवं शास्तियां

37. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति

38. सक्षम प्राधिकारी के कृत्य

प्ररूप :—

प्ररूप "क" — अधिसूचना

प्ररूप "ख" — प्ररुप "क" का संशोधन

प्ररूप "ग" — भू–धारियों की सूची

प्रारूप "घ" – सभी अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची

प्रारूप "ङ" – नाम सम्मिलित करने पर आपत्ति

प्रारूप "च" – निर्वाचक नामावली में नाम प्रविष्टि हेतु आवेदन

प्रारूप "छ" – निर्वाचक नामावली में से प्रविष्टि निकालने हेतु आवेदन

प्रारूप "ज" – निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन हेतु सूचना

प्रारूप "झ" – घोषणा

प्रारूप "ञ" – सारणी

प्रारूप "ट" – सारणी

प्रारूप "ठ" – वापसी सूचना

प्रारूप "ड" – सत्यापन

प्रारूप "ढ" – तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर

प्रारूप "ण" – कार्य खंडों का रजिस्टर

प्रारूप "त" – भवन एवं भूमि का रजिस्टर

प्रारूप "थ" – पौधे–घास–अन्य विविध संपत्ति का रजिस्टर

प्रारूप "द" – संयंत्र रजिस्टर

प्रारूप "ध" – जलाशय गैज एवं निस्सारण रजिस्टर

प्रारूप "न" – नहर–गैज–निस्सारण रजिस्टर

प्रारूप "प" – कमांड क्षेत्र रजिस्टर

प्रारूप "फ" – सिंचित क्षेत्र एवं मांग रजिस्टर

प्रारूप "ब" – रोकड़ बही

प्रारूप "भ" – अस्थायी प्राप्ति रसीद (मूल प्रति) / अस्थायी प्राप्ति रसीद (द्वितीय प्रति)

प्रारूप "भ–1" – अस्थायी प्राप्ति रसीद (मूल प्रति) / अस्थायी प्राप्ति रसीद (द्वितीय प्रति)

प्रारूप "भ–2" – प्राप्ति रसीद (मूल प्रति) / प्राप्ति रसीद (द्वितीय प्रति)

प्रारूप "भ–3" – प्राप्ति रसीद (मूल प्रति) / प्राप्ति रसीद (द्वितीय प्रति)

प्रारूप "भ–4" – रसीद बुक निर्गम

प्रारूप "म" – बिल रजिस्टर

प्रारूप "य" – चैक मेमो रजिस्टर

प्रारूप "य–1" – विशेष शुल्क रजिस्टर

प्रारूप "य–2" – कृषक संगठन के लेखों का लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

अधिसूचना

दिनांक 18-10-06

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7, सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006" है.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो नायब तहसीलदार का पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) "कृषक संगठन" से अभिप्रेत है, प्राथमिक स्तर पर जल उपभोक्ता संथा द्वितीयक स्तर पर वितरिका समिति तथा परियोजना स्तर पर परियोजना समिति;

(ङ) "सूचना" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न सूचना;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस नियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं उनके वे ही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) एवं छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम 2006 में है।

3. **सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र का अंकन** – (1) जिला कलेक्टर, अधिसूचना द्वारा अपने जिले के भीतर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन के कमांड क्षेत्र को जलीय आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य रूप से अंकित कर सकेगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उसे जल उपभोक्ता क्षेत्र घोषित कर सकेगा और इस उपनियम के अधीन संशोधित अधिसूचना प्ररूप (क) में सुभिन्न कृषक संगठन के नाम द्वारा प्रकाशित कर सकेगा.

(2) कलेक्टर द्वारा कमांड क्षेत्र के अंकन हेतु अधिनियम 3 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत अधिसूचित जल उपभोक्ता संथा क्षेत्र की चिन्हित जल उपभोक्ता संथाओं के आयाकट नक्शों का निर्माण करवाया जायेगा। यह नक्शे जलीय सीमाओं पर आधारित होंगे, जिनमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संथा किसी ग्राम के नाम से होगी जिसमें उसके सुभिन्न नाम से कमांड क्षेत्र का बड़ा हिस्सा स्थित है. यदि ऐसे ग्राम में एक से अधिक संथा है, तो ऐसी संथा सुभिन्न नाम में अंक जोड़ कर जानी जाएगी.

(4) कलेक्टर, प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के लिए वितरण प्रणाली जैसे कमांड क्षेत्र से संबंधित संरचना के साथ वृहद, लघु तथा निकास दर्शाते हुए नक्शे या स्केच तैयार करावाएगा. नक्शे या स्कैच में ग्राम की सीमाएं, नालियां, आयाकट, सड़कें तथा समस्त संरचनाएं चिन्हित होंगी.

(5) प्रत्येक वितरिका एवं लघु नहर के अधीन सिंचित क्षेत्रों या सिंचित की जाने वाली योजनाएं लघु, सर्वे क्रमांकवार तैयार की जाएंगी.

(6) प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र का अंकन जलीय आधार पर होगा. जिसमें कमांड क्षेत्र तथा सिंचाई प्रणाली के किसी सुभिन्न खंड द्वारा प्रत्येक के काम में आने वाले या नियंत्रित संरचना या उसके शीर्ष पर किसी यंत्र रचना के साथ उस कमांड क्षेत्र के लिए जल की आबंटित या परिकल्पित मात्रा के प्रदाय किया जाना हो.

(7) अंकित क्षेत्र में एक या अधिक वितरिकाओं या लघु या उपलघु या सीधे पाइप या निकास या उसके दो या अधिक संयोजन जो उसके कमांड में आने वाले हो सकेंगे. इसमें सुभिन्न सीमांकित सीमा जिसमें नाली या बंध या असैंच्यभूमि भी होगी.

(8) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में जिसमें तालाब, उपयोजन, जल सारणी, उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम), कुंए तथा प्रत्येक ऐसी अन्य लघु सिंचाई प्रणाली सम्मिलित है, एक जल उपभोक्ता क्षेत्र के रूप में माना जाएगा.

(9) वृहद तथा मध्यम सिंचाई प्रणाली की दशा में ऐसे जल उपयोग क्षेत्र एक से अधिक होंगे.

(10) प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम होने के लिये आवश्यक है कि जल उपभोक्ता संथा के कार्यक्षेत्र की सीमा यथा संभव ग्राम सीमा अथवा उसी राजस्व मंडल के सेट हुये ग्राम की सीमा के साथ–साथ रहे। अपवाद प्रकरणों में जल उपभोक्ता संथा का कार्यक्षेत्र दूसरे तालुक अथवा जिले में भी बढ़ाया जा सकता है।

(11) प्रभारी नहर अधिकारी जो कि एक कार्यपालन अभियंता के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा व इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जावेगा, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन द्वारा उद्वहन सिंचाई योजना व ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथाओं के कमांड क्षेत्र का निहित दिशा निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अंकन करेगा व उन क्षेत्रों का उद्वहन सिंचाई या ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यक्षेत्र घोषित करेगा।

परंतु प्रत्येक उद्वहन सिंचाई योजना में एक उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संथा का होना अनिवार्य है। किसी उद्वहन सिंचाई परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से अधिक है वहां एक से अधिक उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संथा का होना अनिवार्य है।

साथ ही यह भी प्रावधान है कि ट्यूब वैलों के संकुल में एक ट्यूब वेल जल उपभोक्ता संथा होनी चाहिए व इस ट्यूब वेल जल उपभोक्ता संथा का कार्यक्षेत्र या कमांड क्षेत्र जहां तक संभव हो 40 से 300 हेक्टेयर के मध्य होना चाहिए एवं एक ट्यूब वेल इकाई के जल उपभोक्ता संथा के कार्य क्षेत्र की भौतिक दूरी दूसरे ट्यूब वेल जल उपभोक्ता संथा से दस कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परंतु एक ट्यूब वेल जल उपभोक्ता संथा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक ट्यूब वेल इकाई हेतु एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा।

(12) इस अधिनियम के उपनियम (11) के अधीन लघु सिंचाई व्यवस्था के जल उपभोक्ता संथा हेतु बनाये गये प्रावधान, उद्वहन व ट्यूब वेल जल उपभोक्ता संथा के अंकन व कार्य निष्पादन में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किये जा सकेंगे।

(13) उपनियम (11) के अनुसार उद्वहन या ट्यूबवेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के कार्यक्षेत्र के रूप में 3 चिन्हित क्षेत्रों में, भू–धारकों अर्थात छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20 सन 1959) के अधीन अधिकारों के अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित भू स्वामी या अभिधारकों के द्वारा उद्वहन या ट्यूबवेल जल उपभोक्ता संथा का गठन किया जावेगा।

(14) जलीय आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के समय, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को उनकी जल स्त्रोत से दूरी के आधार पर शीर्ष, मध्य एवं अंतिम छोर के रूप में बांटा जावेगा।

(15) सीमांकित क्षेत्रों के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी की जावेगी एवं यह सीमांकन, सिंचाई परियोजना से संबद्ध प्रभारी नहर अधिकारी के अनुशंसाओं पर आधारित होगा। नहर अधिकारी अपनी अनुशंसा योजना के अंतर्गत संभावित हितग्राहियों किसानों (कृषकों) से परामर्श के पश्चात् ही देगा।

(16) जिले कलेक्टर, जल उपभोक्ता क्षेत्रों को, जहां तक संभव हो समान रूप से वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में निम्नानुसार बांटेगा, परंतु यह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 12 से अधिक नहीं होंगे।

1000 हेक्टेयर तक	:	न्यूनतम 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
1001 से 1500 हेक्टेयर तक	:	8 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तक
1501 से 2000 हेक्टेयर तक	:	12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तक

(17) जिला कलेक्टर जल उपभोक्ता क्षेत्रों को, जहां तक संभव हो समान रूप से लघु सिंचाई परियोजना के रूप में निम्नानुसार बांटेगा, परंतु यह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 से अधिक नहीं होंगे।

200 हेक्टेयर तक	:	न्यूनतम 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
201 हेक्टेयर से 600 हेक्टेयर तक	:	6 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तक
601 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक	:	8 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तक
1001 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर तक	:	10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तक

टिप्पणी :– सीधे पाइप निकासी से कमांड क्षेत्र दो भागों में विभक्त नहीं होगा जबकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजित हुए हों.

(18) कमांड क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, जल उपभोक्ता क्षेत्र के मसौदे, नक्शे (मानचित्र) या स्कैच तैयार किए जाएंगे. प्ररूप "क" में प्रत्येक ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में स्थित भूमि के सर्वे क्रमांक में अंतर्विष्ट ब्यौरे भूमि धारक का सूचना देने के लिए ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के सूचना फलक पर ऐसे मानचित्र या स्कैच के साथ प्रदर्शित करेगा.

(19) जल उपभोक्ता क्षेत्र या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भाग के अंकन के विरूद्ध आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, कार्यक्षेत्र में भूमि धार द्वारा प्रदर्शन की तारीख कों अपवर्जित करते हुए सात दिन की कालावधि भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(20) जिला कलेक्टर, ऐसी आपत्तियां या सुझावों के प्राप्त होने के दो दिन के भीतर संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जब कभी आवश्यक हो, उसके कारणों को सम्यक रूप से अभिलिखित करते हुए नक्शे (मानचित्र) या स्कैच में ऐसे परिवर्तन करेगा या उन्हें रूपांतरित करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(21) जिला कलेक्टर द्वारा उपनियम (13) के अनुसरण में अंतिम नक्शा या स्कैच, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय मे प्ररूप "ख" में शीघ्र प्रदर्शित किया जाएंगा.

(22) जब कभी किसी जल उपभोक्ता संथा का कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिलों में हो, तो राज्य का सचिव संबंधित किसी जिले के कलेक्टर को ऐसे क्षेत्रों के लिये कलेक्टर के रूप में कार्य करने एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निर्देशित करेगा।

(23) नये तथा कार्य प्रगति पर वाली योजनाओं में, जल उपभोक्ता संथा के कार्यक्षेत्र को तय करने हेतु कमाण्ड क्षेत्र सीमांकन, इस नियम के अंतर्गत विहित रीति से किया जाना चाहिये।

4. **भू–धारक की सूची, मतदाता सूची तथा अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची तैयार करना** – (1) जिला कलेक्टर, प्ररूप "ग" में अधिकार अभिलेख के आधार पर भू–धारकों की सूची तैयार करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से तैयार करवाएगा। ऐसी सूची में भू–धारक की पत्नी का नाम, जो कि भू–धारक नहीं है, को अधिनियम के अंतर्गत भू–धारक मानकर सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के आधार पर, वह प्ररूप "घ" में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची उन भू–धारकों को, जिनमें भू–धारक की पत्नी सम्मिलित है, मिलाकर तैयार करेगा या तैयार करवाएगा जिन्होंने कि किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में जल उपभोक्ता संथा अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन कराने के लिये अधिसूचना जारी होने की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है.

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची, संबंधित ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी.

(3) उपनियम (1) में उल्लेखित सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व, जिला कलेक्टर प्ररूप "च" में किसी नाम या नामों का सम्मिलित करने तथा प्ररूप "छ" में किसी नाम या नामों को हटाने के लिए उपनियम (2) के अंतर्गत प्रदर्शित की गई सूची के लिए एक सप्ताह के भीतर प्ररूप ड में आपत्तियां आमंत्रित करेगा. आपत्तियों के प्राप्त होने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिला कलेक्टर एक सप्ताह के भीतर ऐसी समस्त आपत्तियों पर विचार करेगा तथा ऐसी प्रत्येक सूची के अंत में हटाये गये या सम्मिलित किए गये नामों को जोड़कर ऐसी सूची को अंतिम रूप देगा तथा उसकी अंतिम सूचना प्ररूप "ज" में सत्यापन के लिये प्रकाशित करेगा.

(4) जल उपभोक्ता क्षेत्र में प्रत्येक भू-धारक का उक्त क्षेत्र में उसके भूमिघृति खाते को विचार में लाए बिना केवल एक मत होगा.

(5) (एक) उन मामलों में जहां कि भू-धारक किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भूमि रखता है तो भू धारक प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप "झ" में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा करके एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकल्प लेगा.

(दो) उस मामलों में जहां भू-धारक द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसका मत आबंटित करेगा जिसमें भू-धारक भूमि को अधिकतम सीमा धारण करता है, जहां ऐसी भूमि इस प्रकार धारित है तो उसे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित कर सकेगा.

(6) उपनियम (1) के अंतर्गत तैयार की गई सूची, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 के अनुसार पश्चात्वर्ती निर्वाचन प्रारंभ होने के 6 माह पूर्व पुनरीक्षित की जाएगी.

5. **वितरक क्षेत्रों का अंकन** – (1) सरकार, जीवनक्षम कार्य को ध्यान में रखते हुए तथा जिला कलेक्टर के परामर्श से वृहद परियोजना के अंतर्गत वितरिका समिति गठन करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों में प्ररूप "ञ" में अधिसूचना द्वारा वितरक क्षेत्रों की ऐसी संख्या में कमांड क्षेत्र अंकित कर सकेगी जैसा वह, उचित समझे.

(2) उपनियम (1) के अनुसार अंकन संबंधित सिंचाई परियोजना से संबद्ध प्रभारी नहर अधिकारी एवं संबंधित जल उपभोक्ता संथाओं के संयुक्त अनुशंसाओं पर आधारित होगा।

(3) एक वितरक क्षेत्र में समीपस्थ दो या अधिक जल उपभोक्ता क्षेत्र अन्तर्विष्ट हो सकेंगे.

(4) किसी वितरक क्षेत्र को अंकित करते समय जल उपभोक्ता क्षेत्र को उसके भागों में विभक्त या बांटा नहीं जाएगा.

6. **परियोजना क्षेत्रों का अंकन** – (1) सरकार, जीवनक्षम कार्य को ध्यान में रखते हुए, तथा जिला कलेक्टर के परामर्श से वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किसी परियोजना समिति या समितियों को गठित करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों मे प्ररूप "ट" में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक परियोजना क्षेत्रों में कमांड क्षेत्र को अंकित करेगी.

(2) उपनियम (1) के अनुसार अंकन सिंचाई परियोजना से संबद्ध प्रभारी नहर अधिकारी एवं परियोजना क्षेत्र की वितरिका समितियों के अध्यक्षों की संयुक्त अनुशंसाओं पर आधारित होगा।

(3) मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन पूर्ण कमांड क्षेत्र को एकल इकाई के रूप में माना जाएगा तथा परियेाजना क्षेत्र के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा.

7. निर्वाचन संचालित करने की प्रक्रिया –

(1) कृषक संगठन के अध्यक्ष के पद का या सदस्यों का निर्वाचन, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा.

(2) कोई सदस्य जल उपभोक्ता संथा में एक से अधिक निर्वाचक पद धारण नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के रूप में तथा प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हो जाता है तो वह परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर, संबंधित सक्षम अधिकारी को संबंधित पत्र द्वारा ऐसे पदों में से एक पद त्याग देगा. यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा. सक्षम अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष को, जहां कि ऐसी समिति विद्यमान हो, ऐसे पद त्यागने या पद पर नहीं बने रहने के तथ्य की जानकारी शीघ्र देगा. ऐसी आकस्मिक रिक्ति अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार भरी जायेगी.

8. वापस बुलाना –

(1) सक्षम प्राधिकारी, प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या अध्यक्ष या किसी सदस्य के संबंध में किसी कृषक संगठन से वापस बुलाने के लिये सूचना प्राप्त कर जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को देगा.

(2) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के संबंध में कुल मतदाताओं के एक तिहाई मतदाताओं और वितरिका समिति या परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के संबंध में साधारण निकाय के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित वापस बुलाने की सूचना प्ररूप "ठ" में होगी.

परंतु किसी पदधारी को वापस बुलाने के प्रस्ताव को इस पदधारी के उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर लाने की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह और भी कि वे सदस्य जिन्होंने जल शुल्क अदा नहीं किया है व बाकीदार हैं, उन्हें वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करने पर प्ररूप "ड" में सूचना का सम्यक सत्यापन करेगा.

(4) जिला कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित कृषक संगठन के मतदाताओं का या साधारण निकाय के सदस्यों का सम्मिलन करने के लिए सूचना के सत्यापन करने के पश्चात् सात दिन के भीतर बुलाएगा.

(5) जब उपस्थित तथा मतदान करने वाले मतदाताओं के दो तिहाई बहुमत करने वाली संथा के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये गये साधारण निकाय के सम्मिलन में वापस बुलाये जाने के लिए संकल्प के पक्ष में मतदान होता है तो संकल्प पारित किया गया समझा जाएगा.

(6) उपनियम (5) के अधीन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी इसके पश्चात् संबंधित कृषकों के संगठन के संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के प्रस्ताव की कार्यवाहियों को यह कथित करते हुए जारी करेगा कि वापस बुलाने का आदेश संकल्प पारित हो जाने की तारीख से प्रभावी हो गया है और तद्नुसार वह ऐसे पद पर नहीं रहेगा.

कृषक संगठनों के अधिकार — कृषक संगठनों के निम्नलिखित अधिकार होंगे :—

(i) समय पर जल उपलब्धता के संबंध में, मुख्य नहर के खुलने/बंद होने की, जल प्रदाय की मात्रा व समय की नहरों के बंद होने की जानकारी प्राप्त करना;

(ii) जल उपभोक्ताओं को साम्य व सामाजिक न्याय के आधार पर वितरण हेतु सिंचाई विभाग से बड़ी मात्रा में जल प्राप्त करना;

(iii) अनुमोदित निर्धारित कार्यक्रमानुसार जल प्रदान प्राप्त करना;

(iv) गैर सदस्यों को जल प्रदान प्राप्त करना;

(v) व्यवस्था के संधारण हेतु अलग से शुल्क लगाना;

(vi) प्रबंधन के खर्चों एवं अन्य खर्चों की पूर्ति हेतु कोई अन्य शुल्क या सेवा कर लगाना;

(vii) कृषक संगठन की आय में वृद्धि हेतु जलीय संरचनाओं को नुकसान/हानि पहुंचाये बिना नहर के दोनों किनारों पर इमारती काष्ठ, ईंधन, फलदार वृक्ष या घास लगाना;

(viii) फसल की नयी प्रजातियों की जानकारी, खरपतवार नियंत्रण से संबंधित जानकारी सदस्यों के उपयोगी कृषि विस्तार सेवा व बीज, खाद व कीटनाशकों को क्रय करना;

(ix) किसी विधि के तहत्/अधीन प्रतिबंधित फसल को छोडकर अन्य किसी भी फसल को लगाने की पूरी स्वतंत्रता व समीपवर्ती भूमि को नुकसान पहंचाये बिना कुल आबंटित जल के अनुसार फसल क्षेत्रों के समायोजन करना;

(x) सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था के योजना व रूपांकन में भाग लेना;

(xi) कमांड क्षेत्र मं सभी कृषकों को जल प्रदाय हेतु खेत जल सारणी/खेत नाली के ले आउट में सुधारे/परिवर्तन हेतु सुझाव देना;

(xii) भू–जल के प्रयोग व इसे बढावा देने हेतु योजना बनाना।

(xiii) अपने सदस्यों के आर्थिक उन्नयन हेतु कृषि आधारित गतिविधियों/कार्यों को करना।

(xiv) संगठन को जीवित बनाये रखने व इसकी आत्मनिर्भरता हेतु कमांड क्षेत्र में सदस्यों के समान हितों के अनुरूप सिंचाई कृषि या अन्य सहायक व्यवसायों से संबंधित कार्य करना।

(xv) केन्द्र या राज्य शासन के विभिन्न विकास कार्यक्रम से व अन्य राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय विकास संस्थाओं से सहयोग व आबंटन प्राप्त करना।

10. **कृषक संगठनों के दायित्व** – कृषक संगठनों के निम्नलिखित दायित्व है :–

(i) जल प्रदाय हेतु सरणी बनाना व संबंधित तक पहुंचना;

(ii) जल प्रदाय को दृष्टिगत रखते हुए फसल योजना निर्माण;

(iii) निर्धारित शर्तों पर कमांड क्षेत्र के सभी सदस्यों तक जल प्रदाय की व्यवस्था करना;

(iv) वितरिका प्रणाली (नालियों व अन्य संपत्तियों सहित) की समय–समय पर संधारण व सुधार करवाना;

(v) निशुल्क में या शुल्क लेकर, कृषकों द्वारा व्यवस्था का सुधार करवाना;

(vi) जल के दुरूपयोग व बरबादी को रोकना;

(vii) जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करना व जल उपयोग सिंचित क्षेत्र, सिंचाई क्षमता, फसल आदि से संबंधित आंकडे जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करवाना;

(viii) कमांड क्षेत्र में किसानों द्वारा जल के उपयोग का निरीक्षण सिंचित, फसल क्षेत्र का आंकलन व फसल के आंकडों का संग्रहण।

(ix) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल की बरबादी या दुरूपयोग होने की दशा में, सिंचाई तंत्र से छेडछाड/नुकसान आदि की दशा में शास्ति अधिरोपित व वसूलने का अधिकार।

(x) कृषकों को खेत बनाने की व सिंचाई की आधुनिक पद्धति जैसे Border( ), Furrows( ), Graded bonding आदि की जानकारी देना।

(xi) कृषकों को फसल की नयी प्रजातियों, नये तरीकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों की जानकारी देना।

(xii) जहां आवश्यक हों व संभव हो, कृषि कार्य हेतु यंत्र/मशीनरी व उपकरण किरायें पर लेना।

(xiii) फसल की पर्याप्त पैदावार हेतु आबंटित जल के उचित व न्यायपूर्ण उपयोग हेतु व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।

(xiv) जल के प्रवाह के दौरान व उपयोग के दौरान होने वाली बरबादी की रोकथाम।

11. **सदस्यों के अधिकार –**

सदस्य उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार होंगे :–

(i) जल प्रदाय में सुधार/परिवर्तन हेतु सुझाव देना;

(ii) जल उपलब्धता, आबंटन, नहर व आउटलेट के खोलने व बंद करने, जल प्रदाय की अवधि व आदि की जानकारी लेने का अधिकार;

(iii) विर्निदिष्ट कोटे के अनुसार उपयोग हेतु जल प्राप्त करने का अधिकार;

(iv) किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित फसल को छोडकर अन्य किसी भी फसल को लगाने की पूरी स्वतंत्रता व समीपवर्ती भूमि को नुकसान पहंचाये बिना कुल आबंटित जल के अनुसार फसल क्षेत्रों के समायोजन का अधिकार;

(v) संबंधित जल उपभोक्ता संथा की अनुमति से व अन्य सदस्यों के अधिकार को हानि पहुंचाये बिना, जल उपभोक्ता संथा के कार्य क्षेत्र के किसी जल उपभोक्ता को अपने जल अंश बेचने/अंतरित करने का अधिकार;

(vi) सामान्य सभा की बैठकों में भाग लेने व वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने का अधिकार;

(vii) संगठन से होने वाले लाभ से साम्यपूर्ण लाभ प्राप्त करने का अधिकार;

12. **वैयक्तिक जल उपभोक्ता के दायित्व** – वैयक्तिक जल उपभोक्ता के दयित्व निम्नलिखित हैं :–

(i) सूक्ष्म स्तरीय सिंचाई प्रणाली विशेषकर खेत जल सरणी खेत नाली व अन्य संरचनाओं को बनाये रखना;

(ii) प्रत्येक फसल सत्र हेतु कृषक संगठन द्वारा जल प्रदाय के लिये बनाये गये नियमों की जानकारी रखना;

(iii) जल प्रदाय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना;

(iv) निर्माण द्वारा या अतिक्रमण द्वारा सिंचाई प्रणाली से छेडछाड कर लघु, उपलघु या खेत वितरिका व्यवस्था की संरचनाओं को नुकसान न पहुंचाना;

(v) समय या पारी पूरी होने पर टर्न आउट को पूरी तरह बंद करना;

(vi) जल को बचाना व सिंचाई प्रदाय का न्यायपूर्ण उपयोग;

(vii) निर्धारित समय पर जरूरत न होने पर, अन्य कृषकों को नुकसान से बचाने हेतु जल का व्यपवर्तन;

(viii) अवरोह क्षेत्र में पानी के रिसाव के कारण होने वाली जल मग्नता को रोकने हेतु व भूमि व जल के उचित उपयोग हेतु भूमि का समतलीयकरण;

(ix) जल शुल्क व अन्य शुल्कों का समय से भुगतान करना;

(x) जल का दुरूपयोग/बरबादी न करना, पारी से पहले, आबंटित समय से ज्यादा देर तक जल न लेना।

(xi) जल उपभोक्ता संथा के अनुसार खेत जल सारणी/खेत नाली को बनाये रखना व आवश्यकता पडने पर संधारण हेतु मजदूरी/खर्चों में अंशदान देना;

(xii) सक्षम प्राधिकारी या कृषक संगठनों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों के सर्वेक्षण की अनुमति देना :–

(अ) सिंचित क्षेत्र

(ब) सिंचित क्षेत्र का माप

(स) कुंओं/बोरिंग/ट्यूब वेलों में जल स्तर का अवलोकन

(द) उत्पादन का पता लगाने हेतु फसल कटाई प्रयोग; एवं

(xiii) दूसरों के अधिकारों एवं परंपरागत प्रचलन का सम्मान करना।

13. **सामान्य सभा** (1) कृषक संगठनों की सामान्य सभा का गठन अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3), धारा 7 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (2), और (3) में विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति और परियोजना समिति के सदस्यों को मिलाकर होगा।

(2) सामान्य सभा की सहायता हेतु अधिनियम की धारा 28 के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। इस अधिकारी को बैठकों में शामिल होने का, अपने विचार रखने का अधिकार होगा पर मत डालने का अधिकार नहीं होगा।

14. **साधारण निकाय का सम्मिलन** – (1) साधारण निकायों के सम्मिलन, अधिनियम की धारा 17 के खंड (त), धारा 18 के खंड (ठ) एवं धारा 19 के खंड (त्र) के अधीन वर्ष में कम से कम दो बार, एक बार खरीफ के पूर्व तथा एक बार रबी सीजन के पूर्व होंगे. सम्मिलन, यथास्थिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में होंगे तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे.

(2) साधारण निकाय का सम्मिलन अध्यक्ष या प्रबंध समिति के सदस्यों के बहुमत के संकल्प द्वारा या संगठन के उन सदस्यों के, जिन्हें मतदान का अधिकार है, कम से कम एक तिहाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा द्वारा किसी भी समय बुलाया जा सकेगा.

(3) साधारण निकाय का सम्मिलन राज्य सरकार या आयुक्त, आयाकट या अगली उच्च समिति या कृषक संगठन से निदेश की प्राप्ति पर, लोक महत्व के अत्यावश्यक विषयों के संबंध में, बुलाया जा सकेगा.

15. **सम्मिलन की सूचना** – (1) नियम 14 के उपनियम (2) अथवा (3) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर कृषक संगठन की प्रबंध समिति 20 दिन कि भीतर, सात दिन की पूर्व सूचना देकर सामान्य सथा का सम्मिलन आयोजित करेगी इस सूचना में सम्मिलन का स्थान, दिनांक, समय तथा एजेण्डा बताना आवश्यक होगा।

परंतु आपात मामलों में सम्मिलन, तीन दिन की अग्रिम की सूचना पर बुलाया जा सकता है.

(2) सूचना व्यक्तिशः या डाक द्वारा या प्रकाशित करके या डोंडी पिटवाकर दी जा सकेगी और सम्बद्ध संगठन के सूचना पट्ल पर चिपकाई जाएगी.

16. **साधारण निकाय के लिये गणपूर्ति** – (1) सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, संबंधित संगठन के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से होगी.

(2) यदि सम्मिलन के लिये गणपूर्ति नहीं है तो सम्मिलन स्थगित हो जायेगा तथा ऐसी तारीख तथा समय पर बुलाया जाएगा, जैसा कि प्रबंध समिति अवधारित करे. ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी तथा उपस्थित सदस्य कारबार का संव्यवहार, जिसके लिये सम्मिलन बुलाया गया है, कर सकेंगे.

(3) साधारण निकाय के सम्मिलन में, केवल कार्यसूची में विनिर्दिष्ट मदों (आइटम) पर ही चर्चा की जाएगी. अन्य किन्हीं विषयों पर, अध्यक्ष का स्पष्ट अनुमति या सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के विनिश्चय के बिना चर्चा नहीं की जाएगी.

17. **सम्मिलन का कार्यवृत** – साधारण निकाय की प्रत्येक कार्यवाही, इस प्रयोजन के लिये रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी तथा यथास्थिति अध्यक्ष या उस व्यक्ति द्वारा, जिसने सम्मिलन की अध्यक्षता की है, अधिप्रमाणीकृत की जाएगी. कार्यवृत की एक प्रति उसके ठीक उच्चतर समिति के प्राधिकारी को भेजी जायेगी.

18. **सामान्य सभा की शक्तियाँ** – सामान्य सभा की शक्तियां निम्नलिखित होगी, अर्थात् :–

(1) प्रत्येक फसल सत्र के लिये कार्ययोजना का अनुमोदन व कार्यक्षेत्र में इसके क्रियान्वयन का पुनरीक्षण;

(2) अनुमोदित कार्ययोजनानुसार वितरिका प्रणाली में जल के आंबटन हेतु प्रबंध समिति को अनुशंसा करना;

(3) जल वितरण के तरीकों पर निर्णय लेना;

(4) वार्षिक एवं लंबी अवधि के वित्तीय एवं कार्य योजना के निर्माण की अनुशसा व उसका अनुमोदन करना व सिंचाई व्यवस्था के संधारण/सुधार व पुनर्वास को वरीयता देना;

(5) वार्षिक वित्तीय बजट का अनुमोदन/स्वीकृति व पिछले वर्ष के बजट का पुनरीक्षण;

(6) वार्षिक लेखा परीक्षा /Concurrent लेखा अंकेक्षण हेतु लेखा परीक्षक की नियुक्ति व इस हेतु शुल्क निर्धारण;

(7) संगठन की विभिन्न गतिविधयों के लिये सदस्यों की उपसमितियों के गठन का अनुमोदन;

(8) विभिन्न गतिविधियों / कार्यो हेतु ऐसी निधि का सृजन अथवा गठन जैसी कि आवश्यक हो;

(9) जल उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों में प्रबंधन समिति के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवायी व निपटारे का अधिकार;

(10) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 3 के अधीन जल उपभोक्ता संथा व उच्च स्तरीय समिति या नहर अधिकारी के मध्य करार हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत करना;

(11) अधिनियम की धारा 32 के अधीन परिभाषित शुल्क लगाये जाने का अनुमोदन;

(12) अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, संगठन के फायदे हेतु संसाधन बढ़ाने के लिये निर्णय लेने का अधिकार;

(13) अधिनियम की धारा 14 के अधीन वापस बुलाने की प्रकिया का पालन।

19. **प्रबंधन समिति की बैठकें :–** (1) प्रबंधन समिति की बैठके प्रत्येक माह मे कम से कम 1 बार संगठन के कार्यालय में होगी, यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें बुलायी जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाये जाने की मांग प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बैठक बुलायी जावेगी।

(2) कृषक संगठन की सामान्य सभा द्वारा प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सिंचाई सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व सदस्यों को निम्न विषयों पर मार्गदर्शन व मदद हेतु बुलायी जावेगी :–

(i) जल वितरण कार्यक्रम व नहर से संबंधित सारणी;

(ii) सत्र के प्ररभ होने से पहले नहर प्रणाली का संधारण;

(iii) उच्च स्तरीय समितियों द्वारा पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयों की जानकारी हेतु;

(3) बैठक की सूचना व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा या सूचना पटल पर प्रकाशित कर और मुनादी कराकर दी जानी चाहिये।

(4) प्रबंधन समिति की बैठकों में अध्यक्षता, अध्यंक्ष करेगा व उसकी अनुपस्थिति में कार्यनिषाद सदस्यगण एवं अपने बीच के किसी को बैठक की अध्यक्षता हेतु चुनेंगे।

(5) प्रबंधन समिति की बैठक का पूरा विवरण व समस्त कार्यवाही को किसी सदस्य द्वारा इस विभिन्न निमित्त पुस्तिका में लिखा जावेगा। इस विवरण की प्रतिलिपि प्रबंधन समिति से ऊपर के प्राधिकारी के पास भेजी जावेगी।

(6) बैठक की गणपूर्ति, खुद 1/3 एक तिहाई सदस्यों से पूर्ण होगी व सभी प्रस्ताव उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होगें।

(7) यदि किसी दिन गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो उस दिन की बैठक स्थगित की जावेगी व बाद में बुलायी जावेगी। स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं है।

20. **उपसमितियों का गठन व उसके कार्य :–** (1) कृषक संगठन की प्रबंधक समिति, विशिष्ट कार्यो हेतु विशिष्ट उप समिति का गठन कर सकती है। इन उपसमितियों के गठन को कृषक संगठन के सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

(2) निम्न उपसमितियों का गठन किया जा सकता है :–

(i) वित्त व संसाधन उप समिति;

(ii) कार्य उपसमिति;

(iii) जल प्रबंधन उपसमिति;

(iv) प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन उप समिति;

(v) सामाजिक लेखा, मूल्यांकन व निगरानी उपसमिति;

(vi) विवाद निराकरण उपसमिति.

(3) प्रत्येक उपसमिति में एक समन्वयक व पांच अन्य सदस्य होंगे। ये सदस्य अलग–अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से मनोनीत होंगे व इनका मनोनयन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या किसी विशेष क्षेत्र में समझ या अनुभव के आधार पर होगा।

(4) (क) उपसमिति का समन्वयक प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को छोड़कर कोई सदस्य होगा।

(ख) परियोजना समिति में इस परियोजना के परियोजना समिति की सामन्य सभा से पांच से अधिक या उससे कम सदस्यों का चयन प्रत्येक उपसमिति हेतु किया जावेगा। इन सदस्यों में से दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है।

(ग) वितरिका समिति के मामले में, वितरिका समिति के सामान्य सभा द्वारा प्रत्येक उप समिति हेतु पांच या उससे कम सदस्यों का चयन किया जावेगा व इनमें दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है।

(घ) जल उपभोक्ता संथा के मामले में, जल उपभोक्ता संथा की सामान्य सभा से पांच या उससे कम सदस्यों का चयन किया जावेगा व इसमें दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है।

(5) कोई भी सदस्य, एक से अधिक उपसमिति का सदस्य नहीं होगा।

(6) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार, सदस्यों की संख्या आवश्यकता से कम पड़ती है, तो संबंधित प्रबंधन समिति का सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों को शामिल कर सकता है।

परंतु किसी उप समिति में किसी जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य को शामिल नहीं किया जावेगा।

(7) उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित होगें :–

(1) वित्त व **संसाधन उपसमिति**

संसाधनों हेतु योजना बनाना व संसाधन इकटठा करना;

(ख) अधिनियम की धारा [illegible] के अनुसार अधिरोपित शुल्कों का सदस्यों व असदस्यों से संग्रहण;

(ग) संसाधन के उपयोग व बजट के संबंध में प्रबंधक कमेटी को अनुशंसा करना;

(घ) वित्तीय मामलों से संबंधित दस्तावेज व लेखा रखना.

(II) कार्य उपसमिति :

(क) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कार्यो हेतु आवश्यक मदों की अनुशंसा करना;

(ख) कार्य कि निगरानी व गणुवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में हो इसे सुनिश्चित करना;

(ग) कार्यो के भुगतान का अनुमोदन।

(III) जल प्रबंधन उपसमिति :

(क) जल विनियमन, जल प्रदाय के कार्यक्रम आदि पर प्रबंधन समिति व सामान्य सभा द्वारा लिये गये निर्णयों का परिपालन करना;

(ख) नहर, सरणी की निगरानी व जल के उपभोग को नियंत्रित करना;

(ग) सिंचाई व निकासी व्यवस्था की समय–समय पर जांच;

(घ) जल प्रदाय की लेखा रखना;

(ङ) जल उपयोग से संबंधित नियमों की अवेहलना की दशा में प्रबंधन समिति को सूचित करना;

(च) जल उपभोक्ताओं व भूस्वामियों का लेखा रखना।

(छ) जल के सही उपयोग के बारे में जागरूकता लाना।

(IV) प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण उपसमिति

(क) सदस्यों की प्रशिक्षण संबंधित आवश्यकताओं की पहचान।

(ख) सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,

(ग) कृषक संगठन के विकास से संबंधित गतिविधियों पर सदस्यों को जानकारी देना व उन्हें जागरूक करना।

(V) सामाजिक लेखा, निगरानी व मूल्यांकन उपसमिति

(क) नियम 23 के अनुसार सामाजिक लेखा संचालित करवाना,

(ख) प्रबंधन समिति द्वारा प्राधिकृत, कृषक संगठनों के सभी गतिविंधियों की निगरानी व मूल्यांकन।

(VI) विवाद निराकरण हेतु उपसमिति :

(क) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंधन समिति की उपसमिति की दशा में उसके कार्यक्षेत्र में सदस्यों व जल उपभोक्ताओं के मध्य विवादों का निपटारा।

(ख) वितरिका समिति की प्रबंधन समिति की उपसमिति की दशा में उसके कार्यक्षेत्र में सदस्यों व जल उपभोक्ताओं के मध्य विवादों का निपटारा, और

(ग) परियोजना समिति की प्रबंधन समिति की उप समिति की दशा में उसके कार्यक्षेत्र में विभिन्न वितरिक समितियों के मध्य विवादों का निपटारा

(8) उपसमितियों की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जावेगी। उपसमिति का समन्वयक इस बैठक की अध्यक्षता करेगा व इसके चर्चाओं व निर्णयों का पूरा विवरण रखेगा व इसे आगे की कार्यवाही हेतु प्रबंधन समिति के पास भेजेगा।

(9) इस नियम में वर्णित उपसमितियों के अतिरिक्त कृषक संगठन कोई अन्य उपसमिति / उपसमितियों का गठन इस हेतु विहित प्रकिया के अनुसार कर सकते है।

(10) उपसमितियां, संगठन की संबंधित प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण व दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगी।

21. **संकर्म हाथ में लेने की प्रक्रिया** — अधिनियम की धारा 25 के खंड (ख), तथा (प), धारा 26 के खंड (ख) तथा (ञ) तथा धारा 27 के खंड (ख) तथा (झ) के अधीन संकर्मों को हाथ में लेने के प्रयोजनों के लिये संगठन द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(1) संधारण संकर्म के लिये सिस्टम निदान (सिस्टम डायग्नोसिस) :—

(एक) प्रत्येक कृषक संगठन की प्रबंध समिति और सक्षम अधिकारी, प्रत्येक फसल सीजन (खरीफ तथा रबी) के प्रारंभ होने के पूर्व सामूहिक रूप से पैदल चलकर सिस्टम की स्थिति का अवधारण करने का कार्य हाथ में लेगा.

(दो) कृषक संगठन, प्रत्येक जलीय संरचना का निरीक्षण करेगा और इसकी भौतिक स्थिति को अभिलिखित करेगा.

(2) समस्त संकर्मों को निम्नानुसार प्रवर्गित किया जाएगा :—

(एक) सामान्य प्रचालन और संधारण संकर्म जिसमें सामान्य मरम्मत सम्मिलित है, जैसे कि :—

(क) डिसिल्टिंग;

(ख) जड़ों का निकालना;

(ग) तटों की मरम्मत;

(घ) पलस्तर लगाने का काम (रिवेटमेंट);

(ङ) शटर्स की मरम्मत;

(च) मेसनरी एवं लाइनिंग की मरम्मत;

(छ) स्क्रू गिररिंग शटर्स की सफाई तथा आइलिंग;

(ज) पेंटिंग, रंग रोगन आदि;

(झ) आकस्मिक टूट की मरम्मत और

(ञ) परीक्षण पथ की रखरखाव;

(दो) निर्धारित किये गये मरम्मत कार्य (पुनर्वास संकर्म) —

(क) स्लूस का पुनर्निमाण;

(ख) क्रास रेग्यूलेटर का पुनर्निमाण / मरम्मत;

(ग) जल माप उपकरणों का पुनर्निमाण;

(घ) प्रणाली का पुनरूद्धार; और

(तीन) मूल कार्य –

(क) प्रणाली का आधुनिकीकरण, और

(ख) सिंचाई प्रणाली में कोई अन्य निर्माण संकर्म, उपरोक्त कार्य जल संसाधन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन कृषक संगठन द्वारा अथवा कृषक संगठन द्वारा विशेष रूप से नियोजित व्यक्ति के द्वारा सामान्य सभा के अनुमोदन पर ऐसी दर पर निष्पादित किया जाएगा जो प्राक्कलित दर से अधिक न हो.

(3) सामान्य कार्य और संधारण संकर्म की पहचान भागीदारी वाक थ्रू सभापति (चेयरपर्सन) अध्यक्ष प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर भागीदारिता वाकथ्रू आयोजित करेंगे और समस्त खतरनाक प्रभाव क्षेत्र की पहचान करेंगे जिन्हें कि उपरोक्त सूची के अनुसार मरम्मत की तुरंत आवश्यकता है. सक्षम अधिकारी, हाथ में लिए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची तैयार करने में कृषक संगठन की सहायता करेगा.

(4) **पूर्विकता संकर्म** – कृषक संगठन की प्रबंध समिति इस प्रकार तैयार की गई सूची की चर्चा करेगी और तुरंत किये जाने वाले संकर्मों की पूर्विकता नियत करेगी.

(5) **प्राक्कलन तैयार करना** – सक्षम अधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा यथा संधारित जलीय विशिष्टियों के अनुसार इस प्रकार की पूर्विकता के कार्य के लिए एक पखवाड़े के भीतर प्रचलित अनुसूची की दरों पर प्राक्कलन तैयार करेगा.

(6) **प्रशासकीय अनुमोदन** – कृषक संगठन की प्रबंध समिति निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, तैयार किए गए प्राक्कलन के लिए प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करेगी. प्रत्येक प्रशासकीय अनुमोदन, प्ररूप–1 में प्रशासकीय अनुमोदन के रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा.

(7) **तकनीकी निर्बाधन** – (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी निर्बाधन प्रदान करने के लिये निम्नानुसार शक्तियां होंगी :–

(एक) विशेष मरम्मत –

(क) कार्यपालन यंत्री रू. 2,00,000/- तक

(ख) अधीक्षण यंत्री रू. 5,00,000/- तक

(ग) मुख्य अभियंता रू. 5,00,000/- से अधिक

(दो) सामान्य मरम्मत –

(क) सहायक यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी रू. 50,000/- तक (सक्षम प्राधिकारी)

(ख) कार्यपालन यंत्री : कृषक संगठन को उपलब्ध कराई गई निधि के भीतर पूर्ण शक्तियां ;

(ग) कोई सक्षम प्राधिकारी उससे निम्नतर प्राधिकारी में निहित, तकनीकी निर्बाधन प्रदान कर सकेगा ;

(घ) सक्षम प्राधिकारी, नियमों में अनुलग्न प्ररूप–1 में तकनीकी निर्बाधन के रजिस्टर समस्त तकनीकी निर्बाधन, अभिलिखित करेगा, और

(ङ) तकनीकी निर्बाधन, प्रशासकीय अनुमोदन से अधिक नहीं होगा.

(च) वितरिका समिति, परियोजना समिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी खंड 7 (क) में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों के अनुसार उसके नियंत्रणाधीन किसी समुचित अधिकारी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी निर्बाधन कारित करवाएगा.

(8) **संकर्म हाथ में लेने की रीति :–**

(क) कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा यथा अनुमोदित संकर्म, कृषक संगठन द्वारा स्वयं निष्पादन के लिए हाथ में लिए जाएंगे;

(ख) कृषक संगठन का अध्यक्ष या प्रबंध समिति सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, कोई भी संकर्म प्रत्यक्ष रूप से निष्पादित नहीं करेगा;

(ग) निष्पादित किए गए संकर्म का मूल्य प्राक्कलित व्यय से अधिक नहीं होगा; और

(घ) सक्षम प्राधिकारी, कृषक संगठन द्वारा भुगतान करने हेतु किए गए कार्य का परिणाम स्थिर करने के लिए प्रारंभिक माप और अंतिम माप अभिलिखित करेगा.

(9) परिकल्पित जैबकीय विवरणों का संधारण और अनुशक्ति – सक्षम प्राधिकारी, अनुमोदित जलीय विवरण के संधारण और अनुशक्ति के लिए उत्तरदायी होगा. वह यह सुनिश्चित करेगा कि किसी सिंचाई प्रणाली का परिकल्पित जलीय विवरण परिवर्तित नहीं किया जाए, वह कृषक संगठन का पर्यवेक्षणीय संक्रर्म में मार्गदर्शन करेगा.

(10) संकर्मों पर परिसीमा – किसी भी कृषक संगठन को किसी सिंचाई प्रणाली के परिकल्पित जलीय विवरण में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं होगी, किसी अतिक्रमण पर अधिनियम की धारा 23 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दांडिक उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

(11) हाथ में लिए जाने वाले संकर्मों की सूची का प्रकाशन – (क) हाथ में किए जाने वाले संकर्मों को कृषक संगठन के कार्यालय और क्षेत्र के भीतर के अन्य सार्वजनिक स्थानों और संथानों में प्रदर्शन के माध्यम से विस्तृत रूप से प्रचारित किया जाएगा.

(ख) सूची के साथ, संकर्मों के अन्य विवरण, प्राक्कलन, मूल्य और निष्पादन के तरीके की विस्तृत प्रचार दिया जाना चाहिये, और

(ग) यदि कोई सदस्य, हाथ में लिए गए संकर्म से संबंधित किसी अभिलेख को चाहता है तो वह कृषक संगठन द्वारा नियत की गई फीस के भुगतान पर ऐसा कर सकेगा.

(12) अन्य निधि या अतिरिक्त अभिदाय सम्मिलित करने की स्वतंत्रता – सदस्य या तो नगद में या सामग्री या श्रम के रूप में स्त्रोतों में अभिदाय करने के लिए स्वतंत्र है.

(13) किए गए संकर्म का सबूत – सक्षम प्राधिकारी, कृषक संगठन द्वारा किए गए कार्य को अभिलिखित करने के लिए लेवल फील्ड बुक और माप बुक संधारित करेगा.

(14) किये गये कार्य के लिए भुगतान — रूपये 1000/— से ऊपर के लिए गये संकर्मों के लिए समस्त भुगतान चेक द्वारा किए जाएंगे. कृषक संगठन, किए गए समस्त भुगतानों को तारीखवार रोकड़—बही में अभिलेख संधारित करेगा.

(15) मूल संकर्म — कोई कृषक संगठन, अपने कार्यक्षेत्र के भीतर किसी मूल संकर्म को निम्नलखित के अध्यधीन ले सकेगा, अर्थात :—

(क) विनिर्दिष्ट अनुमोदन — ऐसा करने के लिए ऐसी शक्तियों से निहित किए गए प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा.

(ख) संकर्मों के लिए प्राक्कलन, जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और संकर्म कृषक संगठन को जहां कही भी वे आगे आएं ऐसे संकर्मों के निष्पादन के लिये प्राक्कलित दरों पर भाड़े पर दिया जायेगा.

(ग) यदि कृषक संगठन, किसी संकर्म को हाथ में लेने को सहमत हो जाते हैं तो जल संसाधन विभाग के साथ एक करार किया जाएगा.

(घ) कृषक संगठन को संकर्म पारी के बाहर पैदावार के पाक्षिक आधार पर या उससे पूर्व भी जैसा कि परस्पर विनिश्चय किया जाए भुगतान किया जाएगा.

(ङ) जहां कृषक संगठन आगे नहीं आते है वहां "संकर्म विभाग निर्देशिका" के अधीन विहित की गई प्रक्रिया का सरकार द्वारा समय—समय पर दिये गए किसी निर्देश का अनुसरण किया जाएगा.

22. **अतिक्रमणों को हटाना** — अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के अनुसार एक जल उपभोक्ता संथा अपने कार्य क्षेत्र में नहर व्यवस्था से संबंधित भूमि/संपत्ति पर से अतिक्रमण को हटा सकती है व इस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती हैं :—

(i) प्रबंधन समिति की बैठकों में अतिक्रमण पर चर्चा;

(ii) प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव पारित कर सकती है कि उक्त अतिक्रमण अधिनियम की धारा 39 के अनुसार अपराध है;

(iii) प्रबंधन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार व इन नियमों के नियम 36 के अधीन जल उपभोक्ता संथा अतिक्रमण को हटाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकती है;

(iv) अतिक्रमण हटाये न जा सकने कि दशा में, उपरोक्त (I), (II) व (III) के संबंध में संबंधित नहर अधिकारी को सूचना देना;

(v) संबद्ध नहर अधिकारी को अतिक्रमण से संबंधित सर्वेक्षण व आधिकारिक रिर्पोट बनाने में सहयोग;

(vi) सरकार शासकीय प्रक्रिया के अनुसार, संबद्ध नहर अधिकारी को अतिक्रमण हटाने में सहायता।

23. कृषक संगठन की सामाजिक संपरीक्षा –

(1) प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर कृषक संगठन निम्नलिखित विवरण के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा संचालित करेगा :–

(एक) सामाजिक संपरीक्षा, जल के बजट के विरूद्ध जल का उपयोग और प्रत्येक कृषक संगठन को उपलब्ध निधियों के संबंध में प्रणाली के संधारण के लिए उपगत व्यय दोनों ही के लिए की जाएगी.

(दो) सामाजिक संपरीक्षा निम्नलिखित के लिए होगी :–

(क) जल वितरण में समानता,

(ख) उत्पादन में वृद्धि,

(ग) उत्पादकता में वृद्धि,

(घ) फसल परिवर्तन,

(ङ) बहु फसल,

(च) जल उपयोग क्षमता,

(छ) संकर्मों के निष्पादन के लिए संसाधनों का उपयोग,

(ज) पूर्ववर्ती सीजन की तुलना में कृषक संगठन के जोते गए क्षेत्र में सुधार, और

(झ) किए गए संकर्मों की गुणवत्ता.

(न) इस अधिनियम एवं नियम के अधीन अन्य कृत्य !

(2) कृषक संगठन के अधीन समस्त हिताधिकारियों को इस प्रकार की गई सामाजिक संपरीक्षा प्रत्येक कृषक संगठन के कार्यालय के सूचना फलक पर एक सूची, जिसमें खर्च की गई निधियों के संदर्भ में उद्भूत लाभ अन्तर्विष्ट होंगे, चिपका कर अवगत कराया जाएगा.

(3) जब कभी भी कोई संकर्म हाथ में लिया जाए, संकर्म का प्राक्कलित मूल्य, निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित संकर्म की मद, संकर्म के निष्पादकों का विवरण आदि, संकर्म स्थल पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा. जिससे कि कृषक संगठन के अधीन प्रत्येक हिताधिकारी को निष्पादित किए जाने वाले संकर्म के विवरण तथा उपगत होने वाले व्ययों की जानकारी हो जाए.

(4) सक्षम प्राधिकारी, सामाजिक संपरीक्षा के संचालक में समस्त सहायता देगा. राजस्व और कृषि अधिकारी भी अपेक्षित सहायता देंगे.

(5) इस प्रकार संचालित की गई सामाजिक संपरीक्षा को अभिलिखित किया जाएगा और उसकी एक प्रति जल उपभोक्ता संथा (एसोसिएशन) के मामले में वितरिका समिति को, वितरिका समिति के मामले में परियोजना समिति को और परियोजना समिति की दशा में शीर्ष समिति और सरकार को भेजी जाएगी.

(6) संपरीक्षा, सामाजिक संपरीक्षा में पाई गई त्रुटियां, यदि कोई हों, के परिशोधन पर अपने विनिर्दिष्ट विचार के साथ अपनी वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट में सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट को सम्मिलित करेगा.

24. कार्य योजना और जल बजट –

कृषक संगठन के लिए जल बजट (1) संबंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसके नियंत्रण के अधीन कार्य क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहायता से नीचे दिए गये ब्यौरे के अनुसार जल बजट तैयार करेगी :–

(एक) परियोजना समिति, खरीफ सीजन के आरंभ के एक माह पूर्व, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाएं, जलाशय में प्रत्याशित भीतरी बहाव और विद्यमान उपलब्धता को बनाएगी और समस्त वितरिका समितियों को जल का आबंटन बनाए रखेगी, वितरिका समिति बदले में जल उपभोक्ता संथा को उसकी अधिकारिता में उपलब्ध कराए गए जल को आबंटित करेगी;

परंतु ऐसी मध्यम सिंचाई परियोजना जहाँ वितरिका समिति गठित नहीं है, वहां परियोजना समिति, जल उपभोक्ता संथा को जल आबंटित करेगी.

(दो) कोई कृषक संगठन, अपने सदस्य घटकों को जल वितरित करने में पेजयल के या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, ध्यान रखेगा जैसा कि समय–समय पर संरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए.

(तीन) परियोजना समिति रबी सीजन के प्रारंभ होने पर जल की वास्तविक उपलब्धता पर आधारित और कृषकों द्वारा "सहमत फसल पद्धति" के आधार पर सिंचाई के लिए खुले रखे जाने के लिए क्षेत्र का अवधारण करेगी. इस प्रकार उपलब्ध जल वितरिका समितियों और जल उपभोक्ता संथा के बीच साम्यापूर्ण आबंटित किया जाएगा. मध्यम या लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में साम्यापूर्ण आबंटन, एक कालावधि के लिए प्रत्यय चक्रानुक्रम अपनाकर प्राप्त किया जाएगा.

(चार) कृषक संगठन में से प्रत्येक, ऐसी कार्य योजना तैयार करेंगे जो निर्धारित समयावधि पर निकाले जाने वाले जल की मात्रा विनिर्दिष्ट करेगा.

(पांच) जल निकालने की, कृषक संगठन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गेज बिंदु पर प्रत्येक दिन, मानिटर की जाएगी.

(छह) मंदोक्ती और वितरण का पुनर्विलोकन प्रत्येक कृषक संगठन द्वारा प्रत्येक पाक्षिक की समाप्ति पर और किए गये सुधार उपायों से किया जाएगा.

(सात) प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर, तत्संबंधी कृषक संगठन, सिंचित किए गए क्षेत्र, जल आपूर्ति की मात्रा और फसलों की सीमा के साथ प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए जल की गुणवत्ता की एक रिपोर्ट तैयार करेगी.

(आठ) कृषक संगठन, जल बजट में त्रृटियों और विचलन (भूल–आदि) का विशलेषण करेगा और निकटतम उच्चतर श्रेणी को रिपोर्ट करेगा.

(नौ) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में, जल उपभोक्ता संथा, कार्य योजना, जल निकासी का दिनांक का विनिश्चय करेगी जो कि तालाब में संग्रहण/भीतरी बहाव पर अवलंबित रहते हुए सिंचाई के लिए खुला छोड़ा जाएगा.

25. **जल विनियम** – (1) जल बजट तैयार करने के पश्चात्, कृषक संगठन, जल विनियमन की एक योजना निम्नानुसार तैयार करेगा :–

(क) निकासी और बंद का दिनांक समस्त सदस्यों को अग्रिम रूप से सूचित कर दी जाएगी.

(ख) समस्त उपभोक्ताओं में जल का साम्यापूर्ण वितरण, जल विनियमन में मुख्य सिद्धांत होगा.

(ग) कृषक संगठन जल निकालेगा और तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित भीतरी बहाव को मानीटर करेगा.

(घ) किसी कृषक संगठन में प्रत्येक निकास के लिए एक बाराबन्दी अनुसूची (टर्नशेड्यूल) तैयार की जाएगी.

(ड) कृषक संगठन, सक्षम प्राधिकारी की सहायता से कमांड क्षेत्र में फसलवार क्षेत्र अभिलिखित करेगा.

(च) कृषक संगठन मानिटरिंग (अनुश्रवण) करने के प्रयोजन के लिए ऐसे यंत्रों को प्रतिस्थापित करेगा जो कि उसकी आधिकारिता के भीतर अपेक्षित हो.

26. **लेखे/वित्त** – (1) कृषक संगठन, किसी राष्ट्रीय बैंक में या सहकारी बैंक, अर्थात जिला सहकारी सेन्ट्रल बैंक या राज्य शीर्ष सहकारी बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलेगा, यथास्थिति अध्यक्ष और प्रबंध समिति द्वारा यथानामनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के एक सदस्य द्वारा खाते को संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा. कृषक संगठन, समुचित वाउचर और प्राप्तियों के साथ लेखा बही (केश बुक) और व्यय के लेखों को संधारित करेगा.

(2) प्रत्येक व्यय, एक पावती (रसीद) या वाउचर द्वारा समर्थित होना चाहिए जो कि अध्यक्ष द्वारा भुगतान के लिए सम्यक् रूप से जारी किया जाएगा.

(3) समस्त व्यय, वित्त उप समिति द्वारा एक माह में एक बार अनुमोदित किए जाएंगे.

(4) लेखा रजिस्टर का संधारित किया जाना – प्रत्येक कृषक संगठन, एक लेखा रजिस्टर संधारित करेगा. निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिलेख में कृषक संगठन का नाम, पता और मुद्रा रहेगी और मशीन क्रमांकित रहेगी, अर्थात् :–

(क) रोकड़ बही;

(ख) बिल रजिस्टर;

(ग) आकस्मिक रजिस्टर;

(घ) रसीद बुक; और

(ड) चेक रजिस्टर.

27. **अभिलेखों का संधारित किया जाना** – प्रत्येक कृषक संगठन, अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित अभिलेखों से भिन्न, निम्नलिखित अभिलेख संधारित करेगा, आयुक्त/सरकार के अधिनियम/नियमों/निर्देशों और आदेशों की एक अद्यतन प्रति रखेगा :–

(क) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा द्वारा निम्नलिखित मानचित्र संधारित किया जाएगा, अर्थात:–

(एक) संथा की सीमाओं और अधिकारिता, संथा की सीमाओं के भीतर जल हस्तांतरण पद्धति को दर्शाते हुए एक मानचित्र,

(दो) कृषक संगठन संविधान नियम, 2006 के नियम 3 के उपनियम (3) में यथा विहित अनुक्रमांक के साथ अधिसूचित कमांड क्षेत्र को दर्शाते हुए मानचित्र;

(ख) निम्नलिखित रजिस्टर संधारित किए जाएंगे, अर्थात :—

(1) संपत्ति रजिस्टर और अभिलेख — इन अभिलेखों में कृषक संगठन में निहित संपत्तियों आस्तियों और दायित्वों जैसे भूमियों, भवनों, नहर तटों आदि का विवरण अंतर्विष्ट रहेगा.

(एक) तालिका रजिस्टर (संघटक रजिस्टर) प्रारूप ण में एक तालिका रजिस्टर, जलीय विवरण की संरचना के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जिसमें नहर और उनकी जलीय विशिष्टियां सम्मिलित है;

(दो) रिक्त भूमि और भवनों का रजिस्टर प्रारूप त में;

(तीन) प्रकीर्ण संपत्ति रजिस्टर अन्य लघु संपत्तियां जैसे कि वृक्ष, घास आदि, प्ररूप थ में, और;

(चार) मशीनों का रजिस्टर जिसमें कार्यरत/खराब पड़ी हुई मशीनों की सूची प्ररूप (द) में

(2) सदस्यता रजिस्टर और अभिलेख, कृषक संगठन संविधान नियम, 1999 के नियम 4 के उपनियम (1), (2) तथा (3) में सदस्य से संबंधित यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टर.

(3) जल बहाव रजिस्टर और अभिलेख — प्रत्येक कृषक संगठन को तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित जल की आपूर्ति की जाएगी. इन भीतरी बहावों को प्रतिदिन कृषक संगठन द्वारा यथा विनिश्चय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों पर मानीटर करने की आवश्यकता है :—

(एक) जलाशय गेज रजिस्टर : प्ररूप — **ध** में ;

(दो) नहर गेज रजिस्टर प्ररूप **न** में ;

(4) क्षेत्र फसल रजिस्टर तथा अभिलेख :

(एक) कमांड क्षेत्र रजिस्टर: प्ररूप **प** में;

(दो) कृषकवार मांग रजिस्टर : प्ररूप **फ** में ;

(5) संकर्म रजिस्टर और अभिलेख —

(एक) प्रशासकीय मंजूरी की रजिस्टर प्ररूप — **ढ** में ;

(दो) तकनीकी निर्बाधन का रजिस्टर प्ररूप — **ढ** में ;

(6) नकद रजिस्टर और अभिलेख —

(एक) रोकड़ बही प्ररूप — **ब** में ;

(दो) रसीद बुक प्ररूप — **म** और **भ—1, भ—2** और **भ—3** में ;

(तीन) रसीद बुक की जारी रजिस्टर प्ररूप **भ—4** में ;

(चार) बिल रजिस्टर प्ररूप — **म** में ;

(पांच) चेक मेमो रजिस्टर प्ररूप — **द** में ;

(छः) विशेष (शुल्क) फीस रजिस्टर प्ररूप — **द—1** में.

(7) कार्यवृत्त रजिस्टर और अभिलेख – किसी साधारण निकाय सम्मिलन, प्रबंध समिति सम्मिलन, किसी उप समिति सम्मिलन की प्रत्येक कार्यवाही एक कार्यवाही बुक (मिनिट बुक) में पृथक् से अभिलिखित की जाएगी.

28. **शुल्कों का उद्ग्रहण और संग्रहण** – (1) कृषक संगठन, सम्बद्ध समिति के साधारण निकाय द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी फीस का उद्ग्रहण कर सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई फीस कृषक संगठन के लिये निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु उद्ग्रहीत की जायेगी :–

(क) प्रसुविधाएं उपलब्ध कराना; या

(ख) विनिर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना;

(ग) कृषक संगठन की अत्यावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना;

(घ) कृषक संगठन की आस्तियों को तैयार करना; और

(ङ) प्रणाली में सुधार करना.

(3) सक्षम प्राधिकारी, साधारण निकाय द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात् उप नियम (2) (दो) में यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राक्कलन तैयार करेगी और प्रबंध समिति तब भू–धारण या सदस्यों की मांग के अनुपात फीस के उद्ग्रहीत करने का विनिश्चय करेगी. प्रबंध समिति अपने विनिश्चय के पश्चात् संबंधितों को मांग सूचना तामील करेगी.

(4) संग्रहित की गई समस्त फीस का सम्यक् रूप से लेखा–जोखा रखा जाएगा और संबंधित व्यक्ति को उसकी रसीद दी जाएगी.

(5) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संगृहीत की गयी फीस उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी –

(6) (क) किसी सदस्य द्वारा भुगतान में व्यतिक्रम करने पर प्रबंध समिति व्यतिक्रमियों की एक सूची शोध राशि के साथ तैयार करेगी.

(ख) खंड (क) में इस प्रकार तैयार की गई व्यतिक्रमी सूची, वसूली के लिए जल संसाधन विभाग के उपयंत्री को दी जाएगी जिसकी अधिकारिता में किसी कृषक संगठन का कार्य क्षेत्र आता है.

(7) जल उपभोक्ता संथा द्वारा एकत्र जल शुल्क को राज्य सरकार के राजकोष में जमा किया जावेगा व अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अनुसार इस जमा राशि का न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत संबंधित जल उपभोक्ता संथा को निम्न प्रकिया के अनुसार दिया जावेगा ।

(i) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को एक रसीद पुस्तिका उपलब्ध करवायी जायेगी व ये सदस्य या उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति, जहां ऐसे व्यक्ति के नियुक्त को प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, अपने क्षेत्र में न जल शुल्क के संग्रहण का अधिकार होगा व इसके बदले में शुल्क देने वाले देने वाले सामान्य सभा के सदस्यों को प्ररूप भ–1 के अनुसार सभी को प्रदान की जावेगी।

(ii) निर्वाचित सदस्यों या उनके द्वारा (1) में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा संग्रहित राशि को सात दिनों के भीतर संबंधित जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के पास जमा करवाया जायेगा व अध्यक्ष इसके बदले में अध्यक्ष उन्हें प्ररूप भ–2 के अनुसार रसीद देगा।

(iii) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष द्वारा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों (ii) के अनुसार संग्रहित राशि को सात दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करवाकर फार्म X – 3 में रसीद प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राशि प्राप्ति के सात दिवसों के अंदर यह राशि राजकोष/बैंक में जमा की जावें व संबंधित कार्यपालन्र अभियंता को राजकोष/बैंक में जमा कराये जाने के सात दिवस के अंदर जमा कराये जाने के पर्याप्त दस्तावेज के साथ जानकारी देगा।

(iv) (iii)के अधीन जमा की गयी राशि का पच्चीस प्रतिशत भाग, जल उपभोक्ता संथा को, संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा इस हेतु राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करवायी गयी राशि से आंबटित किया जावेगा।

(v) किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के राजकोष/बैंक में (iii) के अनुसार जमा की गयी राशि के न्यूनतम (iv) के अनुसार न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत का आंबटन अलग वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

(vi) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को जल शुल्क संग्रहण में सेवा देने के लिये पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल प्रदान किया जावेगा। इस राशि का निर्धारण प्रबंध समिति व इसका अनुमोदन जल उपभोक्ता संथा की सामान्य सभा करेगी व यह राशि जल उपभोक्ता संथा को (iv) के द्वारा प्राप्त मद से प्रदान की जावेगी।

(vii) उन स्थितियों जबकी राज्य सरकार द्वारा जल उपयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले जल कर में कोई छूट या माफी इत्यादि का कोई कार्यक्रम अथवा योजना प्रस्तावित की जाती है तो ऐसे कार्यक्रम, योजना अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने हेतु जल उपभोक्ता संथाएं स्वतंत्र होंगी और इस प्रकार के कार्यक्रम, योजना, इत्यादि को लागू करने की स्थिति में, इसमें दर्शित सीमाएं वगैरह सभी संबंधित जल उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगी।

(viii) इस उपनियम के अंतर्गत जल उपभोक्ता संथा को देय राशि के अलावा जल उपभोक्ता संथा को सामान्य परिचालन एवं संधारण के लिये अन्य/और राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

29. **वित्तीय संपरीक्षा** – प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति और नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के तीन माह पश्चात् न ही प्रत्येक कृषक संगठन अपने लेखाओं की संपरीक्षा निम्नानुसार करवाएगा :–

(i) प्रबंध समिति, एक संपरीक्षक को जिसे सामान्य संपरीक्षण कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, नियुक्त करेगी;

(ii) इस प्रकार नियुक्त किया गया संपरीक्षक, कृषक संगठन के कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति होगा और जो लेखे का युक्तियुक्त ज्ञान रखता हो;

(iii) कृषक संगठन की प्रबंधन समिति द्वारा संपरीक्षक अपनी नियुक्ति का अनुमोदन किया जाएगा;

(iv) इस प्रकार नियुक्त किया गया संपरीक्षक अपनी नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर प्राप्तियों और व्ययों के लेखें की छानबीन के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएगा और संबंधित कृषक संगठन के अध्यक्ष को, लेखा विवरण और तुलन–पत्र के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट देगा;

(v) संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें नियम 23 के उपनियम 5 में वर्णित सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट शामिल है, साधारण निकाय को उसके सम्मिलन में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी;

(vi) कृषक संगठन की प्रबंध समिति, संपरीक्षा रिपोर्ट साधारण निकाय को प्रस्तुत करेगी; और

(vii) यदि समस्त संव्यवहार दस लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक होता है तो कृषक संगठन लेखे की संपरीक्षा के लिए किसी चार्टर्ड अकाउन्टैंट की सेवाएं लेगा.

30. **लेखा परीक्षक की शक्तियां :–**

(1) नियम 28 के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक सभी लेखा पुस्तकों, भुगतान पर्ची, अन्य विवरण, वर्षवार लेखा या अन्य कोई दस्तावेज को देखने का अधिकार होगा, साथ ही लेखा परीक्षक के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये जैसा आवश्यक हो कृषक संगठन के किसी भी पदाधिकारी से जानकारी व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

(2) लेखा परीक्षक का पर्याप्त समय (तीन दिन से अधिक नहीं) के अंदर यदि सूचनाएं व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जांते तो तथ्य उचित कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जावेगा। समक्ष प्राधिकारी इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकेगा।

31. **लेखा परीक्षक द्वारा बिना अनुमति किसी दस्तावेज को न हटाया जाना –**

लेखा परीक्षक, कृषक संगठन के कार्यालय से किसी भी प्रकार के दस्तावेज को नहीं हटायेगा, पंरतु लेखा रिपोर्ट हेतु आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजों व अभिलेखों की छायाप्रति या प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

32. **लेखा परीक्षण की सूचना –**

लेखा परीक्षक, प्रारंभ करने के दिनांक की सूचना, उस दिनांक से कम से कम एक सप्ताह से कृषक संगठन के अध्यक्ष को लिखित में देगा।

पंरतु किन्ही विशेष कारणों से जिन्हें लिखत जिनका उल्लेख कर, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षण की सूचना सात से कम दिनों पूर्व या बिना सूचना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित किये जाने पर लेखा परीक्षण कर सकता है।

33. **खातों व स्टेटमेन्ट्स का अभिप्रमाणन –**

लेखा परीक्षक, अंतिम खातों के साथ संलग्न बकाया प्रपत्र रसीद, भुगतान पर्ची, आय, भुगतान खाता, खर्चे

34. **लेखा परीक्षक की रिपोर्ट –**

(1) जहां तक संभव हो लेखा परीक्षण के बाद लेखा परीक्षक प्रारूप Z – 2 में रिपोर्ट बनाकर किसान संगठन व अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) यह रिपोर्ट बहुत विस्तृत नहीं होगी परंतु इसमें सभी सुसंगत तथ्यों का समावेश होगा जैसे –

(क) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा पारित दिशा निर्देशों, नियम, आदेश या अधिनियम के विरूद्ध प्रदत्त राशि या बकाया राशि

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या गलत आचरण के द्वारा हुआ नुकसान

(ग) व कोई राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् लेखा में उसका उल्लेख करना आवश्यक था पर नहीं किया गया उसका विवरण,

(घ) नकद प्रतिभूति, स्टॉक, अन्य आस्तियों के भौतिक सत्यापन में पायी गयी कमी।

(ङ) उप कंडिका (क), (ख), (ग), (घ) में वर्णित कमियों के अतिरिक्त कोई अन्य सारवान, अनौचित्य या अनियमितता।

(3) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिये कि –

(क) कि उसने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण अपने ज्ञान व पूर्ण विश्वास में इसलिये ली है, क्योंकि लेखा परीक्षण के लिये उनकी आवश्यकता थी।

(ख) कि उसके मतानुसार, अधिनियम व नियमों के हिसाब से कृषक संगठन द्वारा खाता पंजियों को रखा गया है कि नहीं।

(ग) कि कृषक संगठन की बैलेन्स शीट, आय व्यय का लेखा, रसीद और भुगतान खातों जिनका रिपोर्ट में उल्लेख हो को उचित तरीके से रखा गया है कि नहीं।

(4) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्ररूप 2ख या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस हेतु निर्धारित प्ररूप में होगी।

35. **प्रबंध समिति को भंग करना** – (1) अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रबंध समिति को भंग करने से पहले प्राधिकृत अधिकारी को उपनियम (3) में वर्णित निम्नलिखित कदम उठाना चाहिये।

(i) सरकारी राशि में गड़बड़ी को बताते हुए कारण बताओ नोटिस;

(ii) प्रबंध समिति द्वारा दिये गये जवाब को लेना व विचार करना :

परंतु जहाँ प्रबंध समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस का नोटिस जारी होने के 45 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं आता तो इस दशा में जवाब की प्रतीक्षा किये बिना प्राधिकृत अधिकारी आगे की कार्यवाही हेतु कदम उठा सकता है।

(iii) प्रबंध समिति भंग करने से पहले, यथास्थिति इससे उच्च स्तर के कृषक संगठन या नहर अधिकारी से परामर्श सहित समुचित अन्वेषण एवं जांच करवाना।

(2) नियम (1) के अनुसार प्रबंध कमेटी को भंग किये जाने पर, भंग किये जाने कि तिथि से तीन महीनों के भीतर समिति का पुर्ननिर्माण किया जावेगा।

(3) प्रबंध समिति को भंग करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार है :–

(i) परियोजना समिति की प्रबंध समिति हेतु – मुख्य अभियंता की अनुशंसा पर राज्य सरकार;

(ii) वितरिका समिति की प्रबंध समिति हेतु – मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा पर राज्य सरकार;

(iii) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति हेतु – कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा पर अधीक्षण अभियंता.

36. अपराध एवं शास्तियां – (1) कृषक संगठनों को अधिनियम की धारा 39 के अधिन विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(2) कृषक संगठन का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, किसी व्यक्ति को उसके अपराध की सूचना देगा।

(3) वह व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है उसे अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

(4) प्रबंध समिति उपनियम (2) और (3) में दर्शाए अनुसार तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात् बहुमत से अपराध की प्रवृति व गंभीरता पर निर्णय लेगी।

(5) यदि अपराध संदेह से परे सिद्व हो जाता है तो प्रबंध समिति अधिनियम की धारा (42) के अनुसार जुर्माने के रूप में रकम नियत करेगी।

(6) जुर्माने की राशि इतनी होनी चाहिये कि व्यवस्था में पहुँचे नुकसान व दूसरों को पहुँचे नुकसान की भरपाई हो सके।

(7) उपनियम (5) के अंधीन वसूली गयी राशि की पावती दी जायेगी व इसका पर्याप्त लेखां रखा जावेगा।

(8) उन सभी प्रकरणों में जहाँ अपराध के कारण देय नुकसान 1000/– रूपये से ज्यादा प्राक्कलित किया गया है वहां कृषक संगठन के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के तहत कानूनी कार्यवाही हेतु शिकायत संबंधित अधिकारी के समक्ष दर्ज करायी जावेगी।

37. **सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति** – (1) अधिनियम की धारा 28 (1) के अनुसार, जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित अधिकारी, कृषक संगठनो के सभी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी होंगे –

(i) सभी जल उपभोक्ता संथा – अनुविभागीय अधिकारी

(ii) वृहद तथा मध्यम सिंचाई प्रणाली में वितरिका समिति – कार्यपालन अधिकारी

(iii) मध्यम सिंचाई प्रणाली में परियोजना समिति – कार्यपालन् अभियंता

(iv) वृहद् सिंचाई प्रणाली में परियोजना समिति – अधीक्षण अभियंता

(2) उपनियम (1) के अनुसार जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता, प्रत्येक योजना के कृषक संगठन हर स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के नाम अधिसूचित करेंगे।

परंतु जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता नियम 21 के उपनियम (7) के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति देने के अधिकार इस नियम से अप्रभावित रहेंगे।

38. **सक्षम प्राधिकारी के कृत्य** –

कृषक संगठन की प्रबंध समिति के कृत्यों को करते हुए अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी :–

(क) प्रबंध समिति द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित होगा और चर्चा में सम्मिलित होगा लेकिन उसे मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा,

(ख) संधारण योजना की तैयारी में सहायता करेगा.

(ग) निष्पादन के लिये पहचाने गए संक्रमों के प्राक्कलन तैयार करेगा, इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा विहित किए गए प्रतिमानों और नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जाएगा.

(घ) प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार संधारण संकर्मों की तकनीकी निर्बाधन देगा. तकनीकी निर्बंधन कार्य के लिए प्रशासनिक मंजूरी तक परिसीमित रहेगी.

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित जलीय विशिष्टियों के संदर्भ में सिंचाई पद्धति में कोई परिवर्धन या परिवर्तन न किया जाए,

(च) जलीय विशिष्टियों के उल्लंघन में किसी कृषक संगठन द्वारा पद्धति में की गई किसी तोड़–फोड या परिवर्तन को जल संसाधन विभाग के ध्यान में लाएगा. वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के अनुसरण में कार्यवाही की गई है.

(छ) प्रबंध समिति के सदस्य को पद्धति के तकनीकी विवरण उपलब्ध कराएगा.

(ज) कार्य योजना को तैयार करने और अनुमोदन करने में, प्रबंध समिति की सहायता करेगा.

(झ) जल पूर्ति और मौसमी स्थितियों पर आधारित रहते हुए, जल विनियम पर सलाह और सहायता देगा.

(ञ) कृषक संगठन के लिए जल बजट तैयार करने में मदद करना।

(ट) सिंचित क्षेत्रों के निर्धारण में सहायता देगा.

(ठ) कृषक संगठन द्वारा उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियुक्त किए गए किसी सहायक की प्रशिक्षण में सहायता करेगा.

(ड) कृषक संगठन की, विभिन्न रजिस्टरों के संधारण में मार्गदर्शन देगा.

(ढ) किए गए कार्य के लिए माप अभिलिखित करेगा और संकर्म उप–समिति के अनुमोदन पर आधारित कृषक संगठन द्वारा बिल को पारित करेगा.

प्ररूप "क"

अधिसूचना

(नियम 3(1) देखिए)

यतः संपूर्ण कमांड क्षेत्र को जलीय आधार पर जल उपभोक्ता क्षेत्रों में अंकित करता विनिश्चित किया गया है और यतः इस प्रकार से विभाजित किया गया जल उपभोक्ता क्षेत्र, जहां और जो प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम हो तक संभव हो सके, पुनः समान रूप से ऐसी सम संख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जल उपभोक्ता संथाओं को निर्मित करने के उद्देश्य से विभाजित किये जाएंगे।

अतएव् छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदार अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के नियम के उपनियम के अधीन मैं .... कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ..../प्राधिकृत अधिकारी, एतद्द्वारा .... जल उपभोक्ता क्षेत्र को .... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अंकित करता हूं और यह निर्देशित करता हूं कि, विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शे एवं रेखाचित्रों को ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार अंकन के विरूद्ध ऐसी कोई आपत्तियां या दावे, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित तारीख को छोडकर 7 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे।

.... सिंचाई प्रणाली ....

जल उपभोक्ता संथा ग्राम का नाम ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या .... तहसील का नाम ....

योजना का प्रकार (वृहद/मध्यम/लघु) .... योजना का नाम ....

कुल कमांड क्षेत्र, हेक्टेयर में .... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक ....

अनुक्रमांक	स्लूस द्वार की स्थिति	कमांड क्षेत्र		ग्राम का नाम
		खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/
प्राधिकृत अधिकारी
जिला..

प्ररूप "ख"

(नियम 3 (20) देखिए)

यतः तारीख .... को प्रदर्शित प्ररूप "क" के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया तथा उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया.

और यतः यह समझा जाता है कि प्ररूप "क" में संशोधन आवश्यक समझे गये हैं और तद्नुसार उनकी नीचे दी गई सारणी में, एतद्द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है.

.... सिंचाई प्रणाली ....

जल उपभोक्ता संथा ग्राम का नाम ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या ....

तहसील का नाम .... योजना का प्रकार (वृहद/मध्यम/लघु) ....

योजना का नाम .... कुल कमांड क्षेत्र, हेक्टेयर में ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक ....

क्रमांक	स्लूस द्वार की स्थिति	कमांड क्षेत्र		ग्राम
		खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/
प्राधिकृत अधिकारी
जिला..

प्ररूप "ग"

(नियम 4(1) देखिए)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक. 7 सन् 2006) के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन, मैं .... तहसीलदार तहसील .... का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण, नीचे दी गई सारणी के अनुसार भू–खातेदारों की सूची प्रकाशित करता हूं उक्त सूची के विरूद्ध कोई भी आपत्तियां या दांवे मेरे समक्ष, सूची प्रदर्शित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर फाइल किये जा सकेंगे.

जल उपभोक्ता संथा का नाम ....

जल उपभोक्ता संथा (उद्वहन एवं ट्यूब वेल है या नहीं) ....

ग्राम का नाम .... तहसील का नाम ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक .... (भाग क्र.) .... कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ....

योजना का प्रकार (वृहद/मध्यम/लघु) .... योजना का नाम ....

ज़िला ....कुल क़मांड क्षेत्र (हेक्टेयर में) ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति (शीर्ष/मध्यम/अंतिम क्षेत्र) ....

भू–धारियों की सूची

अनुक्रमांक	भू–खातेदार का नाम एवं पिता का नाम	उम्र	लिंग	पति/पत्नी का नाम	वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा क्रमांक	ग्राम का नाम	यदि अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या जल उपभोक्ता संथा में भी भू–धारक है। यदि हां तो उसके विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्राधिकृत अधिकारी
जिला .... जल
उपभोक्ता संथा

प्ररूप "घ"

(नियम 4 (1) देखिए)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक. 7 सन् 2006) के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन, मैं, ... तहसीलदार, ... तहसील का प्राधिकृत अधिकारी होने से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रानुसार बनाई गई सभी मतदाताओं, जो भू-धारी (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन अधिकारों के अभिलेख में भू-स्वामी या अभिधारी) हैं और जिन्होंने निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की गई इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है, की सूची नीचे विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष तथा प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु इस प्ररूप में प्रदर्शित करता हूं.

इस सूची के विरूद्ध कोई भी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष एक सप्ताह के भीतर विचार तथा अंतिम निर्णय हेतु फाइल की जा सकती है.

जल उपभोक्ता संथा का नाम ....

जल उपभोक्ता संथा (उद्वहन एवं ट्यूब वेल है या नहीं) ....

ग्राम का नाम .... तहसील का नाम ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक .... (भाग क्र.) .... कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ....

योजना का प्रकार (वृहद्/मध्यम/लघु) .... योजना का नाम ....

जिला ....कुल कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में) ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति (शीर्ष/मध्यम/अंतिम क्षेत्र) ....

सभी मतदाताओं की सूची

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक ....

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	पिता का नाम	आयु	लिंग	पति/पत्नी का नाम	वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)	भू-धारक (भू-स्वामी या अभिधारी)	ग्राम का नाम	भू-खातेदारी		यदि अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या जल उपभोक्ता संथा में भू-धारक है। यदि हां तो उसके विवरण
									खसरा क्र.	सीमा क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्राधिकृत अधिकारी
जिला .... जल
उपभोक्ता संथा

प्ररूप "ङ"

[नियम 4 (3) देखिए]

नाम सम्मिलित करने पर आपत्ति

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,

जल उपभोक्ता संथा

महोदय,

मैं जल उपभोक्ता संथा की निर्वाचक नामवाली के अनुक्रमांक .... पर श्री ....के नाम को सम्मिलित करने पर निम्नलिखित कारणों से आपत्ति करता हूं.

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर उल्लेखित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

मेरा नाम इस जल उपभोक्ता संथा की निर्वाचक नामावली में निम्नानुसार सम्मिलित किया जा चुका है.

नाम (पूरा) ....

पिता/माता/पति का नाम ....

जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) ....

अनुक्रमांक..

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा
निशान (पूरा डाक का पता)

तारीख...

मैं उसी निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में सम्मिलित हूं, जिसमें आपत्ति किया गया नाम सम्मिलित है मेरा अनुक्रमांक उसमें.. है, मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूं और प्रति हस्ताक्षर करता हूं.

निर्वाचक के हस्ताक्षर...
नाम (पूरा)..

टिप्पणी :– कोई व्यक्ति, जो ऐसा अभिकथन करता है या घोषणा करता है जिसे वह मिथ्या होना जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के उपबंधों के अधीन दंडनीय है.

प्ररूप "च"

[नियम 4 (3) देखिए]

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,

जल उपभोक्ता संथा

महोदय,

मै निवेदन करता हूं कि मेरा नाम उपरोक्त जल उपभोक्ता संथा की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए.

1. नाम (पूरा) ....

2. पिता ..../माता ....

/पति का नाम ....

3. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) ....

4. मेरे निवास स्थान की विशिष्टियां निम्नलिखित है :-

(क) मकान नंबर : ....

(ख) गली/मोहल्ला : ....

(ग) नगर/ग्राम : ....

(घ) डाक खाना (पोस्ट आफिस) : ....

(ड) पुलिस थाना/तहसील : ....

(च) जिला : ....

5. धारित भूमि की विशिष्टियां :

(क) खसरा क्रमांक : ....

(ख) विस्तार : ....

(ग) ग्राम का नाम : ....

(घ) सिंचाई प्रणाली का नाम : ....

मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं –

(1) कि मैं भारत का नागरिक हूं.

(2) कि मेरी उम्र प्रथम जनवरी/प्रथम जुलाई.......................... को....................... वर्ष..............................माह थी.

(3) कि मैं इस जल उपभोक्ता संथा का उपरोक्त पते के स्थान पर जल उपभोक्ता हूं.

स्थान :..

तारीख :..

दावेदार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप "छ"

[नियम 4. का उपनियम (3) देखिए]

निर्वाचक नामावली में से प्रविष्टि निकालने हेतु आवेदन

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,

जल उपभोक्ता संथा

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि.................................. जल उपभोक्ता संथा की निर्वाचक नामावली के अनुक्रमांक .... पर प्रविष्ठि श्री/श्रीमति .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... से संबंधित नाम सूची में से निकाल दिया जाये क्योंकि उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई है/इस जल उपभोक्ता संथा में वह जल उपभोक्ता नहीं है/उसका नाम पूर्व में ही मतदाता सूची के अनुक्रमांक .... पर सम्मिलित है, अतः वह निम्नलिखित कारणों से निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का पात्र नहीं हैं.

....

....

....

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि, उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं.

मैं घोषणा करता हूं कि मेरा नाम इस जल उपभोक्ता संथा की नामावली के अनुक्रमांक.......................... पर नामांकित होने से मैं एक निर्वाचक हूं.

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

(डाक का पूरा पता)

स्थान.. ....

तारीख ....

टिप्पणी :– कोई व्यक्ति, जो ऐसा अभिकथन करता है या घोषणा करता है जिसे वह मिथ्या होना जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के उपबंधों के अधीन दंडनीय है.

मैं उसी उपभोक्ता संथा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में सम्मिलित हूं जिसके निकाले जाने के लिये दावेदार ने आवेदन दिया है. मेरा अनुक्रमांक उसमें.. है मैं इस दावे का समर्थन करता हूं और अपने प्रतिहस्ताक्षर करता हूं.

निर्वाचक के हस्ताक्षर...

नाम (पूरा)...

....

टिप्पणी :– कोई व्यक्ति, जो ऐसा अभिकथन करता है या घोषणा करता है जिसे वह मिथ्या होना जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के उपबंधों के अधीन दंडनीय है.

प्ररूप "ज"

[नियम 4 का उपनियम (3) देखिए]

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन हेतु सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि, भू–धारियों की सूची, मतदाता सूची और जल उपभोक्ता संथा के अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची के प्रारूप में संशोधनों की सूची छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के अनुसार तैयार की गई है और उक्त सूचियों की एक प्रति संशोधनों की सूचियां के साथ प्रकाशित्त कर दी गई है, और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी.

स्थान :– ....

तारीख :– ....

प्राधिकृत अधिकारी

पद

जिला..

प्ररूप "झ"

[नियम 4 का उपनियम (5) (1) देखिए]

घोषणा

मैं.. सुपुत्र श्री ....

मकान नं ....मोहल्ला ....ग्राम ....

का निवासी, आयु लगभग .... वर्ष, जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) ....

निम्नानुसार भूमि का धारक हूं :–

खसरा क्रमांक	विस्तार क्षेत्र हेक्टेयर में	ग्राम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)

मैं, घोषणा करता हूं/करती हूं कि, मैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... में मतदान करने का इच्छुक हूं.

स्थान :... हस्ताक्षर..

तारीख :...

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,

.... जल उपभोक्ता क्षेत्र,

.... तहसील,

.... जिला

मैं,.. जल उपभोक्ता संस्था का प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का श्री .... को निम्नलिखित कारणों से आबंटन करता हूं.

1. आवेदक के निवेदन के आधार पर.
2. धारित भूमि के विस्तार के आधार पर.
3. अन्य

प्राधिकृत अधिकारी

....

....

प्राप्ति स्वीकृति

श्री .... से जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विकल्प का प्रयोग करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

प्राधिकृत अधिकारी

....

....

प्ररूप "ञ"

[नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट वितरिका समितियों को गठित करने के प्रयोजन हेतु वितरिका हेतु वितरिका क्षेत्र.. सिंचाई प्रणाली को अंकित करती है.

.... सिंचाई प्रणाली

....जिला

सारणी

अनुक्रमांक	वितरिका समिति का नाम	स्लुस द्वार की स्थिति	जल उपभोक्ता संथाओं के नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप "ट"

[नियम 6 का उपनियम (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सरकार, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट परियोजना समितियों को गठित करने के प्रयोजन हेतु परियोजना क्षेत्र.. सिंचाई प्रणाली को अंकित करती है.

.... सिंचाई प्रणाली

....जिला

सारणी

अनुक्रमांक	परियोजना समिति का नाम	स्लुस द्वार की स्थिति	वितरिका समितियों के नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप "ठ"

[नियम 8 का उपनियम (2) देखिए]

वापसी सूचना

अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति/जल उपयोग संथाओं/वितरिका समिति/परियोजना समिति, जो तहसील/तहसीलों.......... ....जिला.. में स्थित है, मतदाताओं/साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई का गठन करती है. हम लोगों ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य/उक्त जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के चेयरपर्सन में तत्क्षण विश्वास खो दिया है. हम उसे वापिस बुलाना प्रस्तावित करते हैं.

तद्नुसार, यह निवेदन किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन उक्त .... जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के निम्नलिखित मतदाताओं/साधारण निकाय के सदस्यों का एक सम्मिलन बुलाया जाय और वापिस बुलाने का प्रस्ताव लाया जाय और वहां एक संकल्प पारित करने के प्रयोजन से मतदान किया जाय.

तारीख...

अनुक्रमांक	नाम	ग्राम	मतदाता सूची में अनुक्रमांक संख्या	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रति,

प्राधिकृत/नामनिर्दिष्ट अधिकारी/तहसील/कलेक्टर कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट.................... जिला

प्ररूप "ड"

[नियम 8 का उपनियम (3) देखिए]

सत्यापन

मैं प्राधिकृत अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारी होने के कारण प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य.................................. .... तहसील.. जिला में स्थित जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के सभापति को वापस बुलाने के प्रयोजन से वापसी सूचना प्राप्त की है, संबंधित मतदाता सूची/संबंधित साधारण निकाय की सूची के साथ वापसी सूचना पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति के हस्ताक्षर को सत्यापित किया है और उसके दिये गये नामों को ठीक तथा सत्य पाया है. तदनुसार इस मामले में और कार्यवाही करता हूं.

प्राधिकृत नामनिर्दिष्ट अधिकारी

स्थान..

जिला..

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

प्ररूप "ढ"

[नियम 21 के उप नियम (6) एवं नियम 27 के उपनियम (5) देखिए]

तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम

डब्ल्यू.ए.एस./डी.ए.एस./पी.ए.एस./डब्ल्यू.टी.एस./डी.टी.एस./पी. मंजूरी संख्या एवं वर्ष	मंजूरकर्ता	लेखा–शीर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलन की राशि	मंजूरी का दिनांक	आद्यक्षरित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

डब्ल्यू.ए.एस. जल उपभोक्ता संथा की प्रशासकीय मंजूरी.

डब्ल्यू.टी.एस. सक्षम प्राधिकृत द्वारा जल उपभोक्ता संथा की तकनीकी मंजूरी

डी.ए.एस. वितरिका समिति की प्रशासकीय मंजूरी

डी.टी.एस. सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा वितरिका समिति की तकनीकी मंजूरी

पी.ए.एस. परियोजना समिति की प्रशासकीय मंजूरी

पी.टी.एस. सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना समिति की तकनीकी मंजूरी

प्ररूप "ण"

[नियम 27 के उपनियम (1) देखिए]

कार्य खंडों का रजिस्टर

परियोजना का नाम........................ जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम........................

अनु क्रमांक	शीर्ष से दूरी	स्थिति दांया (और) बांया (एल) आरपार	कार्य का नाम एवं विवरण			घटाये हुए स्तर (मीटर में)		विमाएं		किनारों का ढलान एवं निकास की संख्या	सिंचित का योग्य क्षेत्र जल ग्रहण जल निकास हे./वर्गमीटर	प्रवाह घनमीटर प्रति सेंकंड या क्षमता मि.घ.मी.	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			नहरे, छोटी नहरें, एक्वाडक्ट या	तल (अ) नहर	(अ) नहर का पूर्ण प्रवाह स्तर	(अ) लाईनिंग का ऊपरी स्तर	(अ) नहर तल की चौडाई/तल में गिरावट	गहराई या ऊंचाई (अ) नहर	किनारे चौडाई बांये/दायें (अ) नहर	आग्र एवं पृष्ट एवं ढलान (अ) नहर	(अ) आयाकट निम्न	(अ) नहर पूर्ण जल स्तर पर	1. पुल तथा नियंत्रक के प्रकरण में माप कालम
				(ब) नाली	(ब) अधकतम प्रवाह स्तर	(ब) किनारे/पैरापिट स्तर	(ब) नाली के तल की चौडाई/तल में गिरावट	(ब) किनारे की दीवार	(ब) बाढ़ बांध	(ब) बाढ़ बन्ध	(ब) प्रवाह क्षेत्र	(ब) नाली में अधिकतम प्रवाह स्तर	(ब) गडर के नीचले तल तक की लिये जावें
						(स) बाढ़ किनारे का स्तर							
			अधिमार्ग (सुपर पैसेज) तल में गिरावट नहर के तल में गिरान	तल (सिल)	अग्र (अ) तल	पृष्ट (अ) तल	लंबाई (अ) निम्न तल	निकास द्वार/नीचे की ऊंचाई	कुल लंबाई	निकास द्वार की संख्या	आयाकट निम्न	पूर्ण प्रवाह स्तर	संक्षिप्त नामवली एफ. एस.एल. पूर्ण प्रवाह स्तर एवं एम.एफ.एल.
					(ब) पूर्ण प्रवाह स्तर	(ब) पूर्ण प्रवाह स्तर	(ब) ऊपरी तल						
			स्लुस (जल निकासी द्वार) या सायफन	तल या फर्श	(अ) नहर का अग्र तल/पृष्ट का तल	(अ) अग्र/पृष्ट पूर्ण प्रवाह तल	तल पर चौडाई	निकासी द्वार की ऊंचाई	पाईप अथवा बेरल की पूर्ण लंबाई	निकास द्वार की संख्या	(अ) आयाकट (1) मुख्य नहर	(अ) पूर्ण प्रवाह स्तर (1) मुख्य नहर	अधिकतम प्रवाह स्तर के लिये प्रयुक्त किया गया
					(ब) नाली का तल	(ब) नाली का अधिकतम प्रवाह स्तर					(2) शाखा नहर	(2) शाखा नहर (ब) नाली का अधिकतम प्रवाह स्तर	
			अन्दरगमन वहिरगमन अतिरिक्त जल निकास द्वार (एस्केप स्लूस)	शीर्ष या तल	अधिकतम प्रवाह स्तर (अ) ऊपर	किनारे का प्रभाव शीलस्तर (अ) नहर	निकासद्वार की दीवार की चौडाई ऊपर नीचे	दीवार की ऊंचाई (निकास द्वार)	कुल लंबाई	निकास द्वार की संख्या	प्रवाह क्षेत्र	(अ) अधिकतम प्रवाह स्तर	—
					(ब) नीचे	(ब) बाढबंध						(ब) पूर्ण प्रवाह स्तर	
			नियंत्रक और पुल	शीर्षस्तर या तल स्तर	पूर्ण प्रवाह स्तर ऊपर नीचे	(अ) प्लेटफार्म	चौडाई (अ) निकास	ऊंचाई (अ) निकास	कुल लंबाई	(अ) निकास द्वार की संख्या	जुड़े हुए ग्राम	पूर्ण प्रवाह स्तर	—
						(ब) सड़क मार्ग	(ब) सड़क मार्ग	(ब) पैरापिट		(ब) द्वार का प्रकार			

प्ररूप "त"

[नियम 27 (1) (दो) देखिए]

भवन एवं भूमि का रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम..

अनु क्रमांक	ग्राम एवं अनुक्रमांक स्थान	भवन का प्रकार							भूमि						अभियुक्ति	किराया/वास्तविक नीलामी राशि		
		नाम विवरण	दीवार	फर्श	छत	कुर्सी क्षेत्र वर्गमीटर	भूमि	मानक किराया	नहर नाली	सीमां (रीच)	सरल क्रमांक (सर्वे)	निस्तार	प्रकार गीली सूखी खराब पड़त		1999	2000	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

प्ररूप "थ"

[नियम 27 (1) (तीन) देखिए]

पौधे–घास–अन्य विविध संपत्ति का रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम...

अनुक्रमांक	विविध संपत्ति वस्तु क्रमांक	तालाब बांध/नहर .... से तक........	संपत्ति										वार्षिक प्राप्ति		
			स्थान	वृक्ष की संख्या	वृक्षों के नाम	तना का घेरा एवं ऊंचाई	घास या ल्यूलिफ्लोरा	मछली	भू–पटरी	अन्य	निम्नतर किराया/निर्धारित नीलामी राशि	1997	1998	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप "द"

[नियम 27 के उपनियम (1) (चार) देखिए]

संयंत्र रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम..

अनुक्रमांक	संयंत्र/मशीन का नाम	निर्माण एवं माडल	मशीन की अश्व शक्ति	क्रय वर्ष	मूल पुस्तकीय मूल्य	भाड़ा क्रय प्रमार्य कि.मी. प्र.घं.	कार्यकरण दशा	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप "घ"

[नियम 27 (3) (एक) देखिए]

जलाशय गैज एवं निस्सारण रजिस्टर

जलाशय का नाम..

एफ.टी.एल.............................. एम.डब्ल्यू.एल.................................... टी.बी.एल......................... जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम..

तारीख	जलाशय का स्तर प्रायः 8 बजे	क्षमता कि. घ. मी.	स्लूस पर (1)/स्लूस (2) पर										वाष्पीकरण		कुल बाहरी प्रवाह मि. क्यू. मी.	वर्षा मि. मी.	जलाशय में जल स्तर का घटना बढ़ना मीटर में	कुल जल संग्रहण कुल रिक्तता मि.क्यू. मी.	कुल आवक मि. क्यू. मी.	कुल जल उपयोग मि.क्यू. मी.	टिप्पणियां
			सामने की गेंज रीडिंग	पृष्ट गेज की	निकासी मार्ग का आकार	जल स्तर	प्रवाह		शीर्ष पर जलस्तर	निकास मार्ग एवं	क्यू. मी. प्रति सेकंड	मि. क्यू. मी.	मीटर में	मि. क्यू. मी.							
							क्यूमेक	मि. क्यू. मी.													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

प्ररूप "न"

[नियम 27 (3) (दो) देखिए]

नहर–गैज–निस्सारण रजिस्टर

नाम–मुख्य नहर/शाखा..तल की चौड़ाई....................जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम....................

प्रारंभ में तल की चौड़ाई..अंत में पूर्ण निस्सारण गहराई..

पूर्ण निस्सारण गहराई/गेज डिस्चार्ज..............................गेज..

डिस्चार्ज..

तारीख	समय	गेज कृषक संगठन क्षेत्र प्रारंभ में	निस्सारण क्यू.मी. प्रति सेकंड	गेज कृषक संगठन क्षेत्र अंत में	निस्सारण क्यू.मी. प्रति. सेकंड	निस्सारण	
						क्यूमेक	मि.क्यू.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप "प"

[नियम 27 (4) (एक) देखिए]

कमांड क्षेत्र रजिस्टर

स्त्रोत का नाम...जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम...

अनुक्रमांक	भू–खातेदार का नाम/ पिता का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कमांड क्षेत्र का विस्तार	कुल	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप "फ"

[नियम 27 का उपनियम (4) (दो) देखिए]—

सिंचित क्षेत्र एवं मांग रजिस्टर

स्त्रोत का नाम...जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम...

अनुक्रमांक	भू-खातेदार का नाम/ पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	धृति का विस्तार	वास्तविक सिंचित क्षेत्र	फसल का प्रकार	वाटरिंग की संख्या	जल भार निर्धारण	
							दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप "ब"

[नियम 27 का उपनियम (6) (एक) देखिए]

रोकड़ बही

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम ....

प्राप्ति पक्ष								भुगतान पक्ष							
प्राप्ति की तारीख	अस्थायी प्राप्ति की संख्या एवं तारीख (यदि कोई हो तो)	प्राप्त वाउचरों की संख्या	किससे प्राप्त हुआ	राशि	लेखा शीर्ष	प्राप्ति के ब्यौरे	तारीख सहित आद्य हस्ताक्षर	भुगतान की तारीख	वाउचर क्रमांक	किसे भुगतान किया गया	नगद	चेक	लेखा शीर्ष	भुगतान के ब्यौरे	तारीख सहित आद्य हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप "भ"

[नियम 27 का उपनियम (6) (दो) देखिए]

मूल प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(कृषक संगठन की मोहर)

रसीद क्रमांक.. तारीख....................................

श्री...पुत्र...

निवासी ....

से रूपये..

(शब्दों में) .... प्राप्त किये.

प्रयोजन ....

स्थान :

तारीख :

कृषक संगठन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

द्वितीय प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(कृषक संगठन की मोहर)

रसीद क्रमांक.. तारीख....................................

श्री...पुत्र...

निवासी ....

से रूपये..

(शब्दों में) .... प्राप्त किये.

प्रयोजन ....

स्थान :

तारीख :

कृषक संगठन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप "भ-1"

[नियम 28 का उपनियम (7) (दो) देखिए]

मूल प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(जल उपभोक्ता संथा की मोहर)

रसीद क्रमांक.. तारीख....................................

श्री.. पुत्र..

निवासी ....

से रुपये..

(शब्दों में) .... प्राप्त किये.

प्रयोजन ....

स्थान :

तारीख :

सदस्य, प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा के हस्ताक्षर व मोहर

द्वितीय प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(जल उपभोक्ता संथा की मोहर)

रसीद क्रमांक.. तारीख....................................

श्री.. पुत्र..

निवासी ....

से रुपये..

(शब्दों में) .... प्राप्त किये.

प्रयोजन ....

स्थान :

तारीख :

सदस्य, प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा के हस्ताक्षर व मोहर

प्ररूप "म–2"

[नियम 28 का उपनियम (7) (दो) देखिए]

मूल प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(जल उपभोक्ता संथा की मोहर)

रसीद क्रमांक.. तारीख....................................

श्री..पुत्र..

निवासी ....

से रूपये..

(शब्दों में)..

प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम..

पुत्र.......................................निवासी............................ प्राप्त किये.

प्रयोजन..

स्थान :

तारीख :

अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संथा के हस्ताक्षर व मोहर

द्वितीय प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(जल उपभोक्ता संथा की मोहर)

रसीद क्रमांक.. तारीख....................................

श्री..पुत्र..

निवासी ....

से रूपये..

(शब्दों में)..

प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम..

पुत्र.......................................निवासी............................ प्राप्त किये.

प्रयोजन..

स्थान :

तारीख :

अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संथा के हस्ताक्षर व मोहर

प्रारूप "मं–3"

[नियम 28 का उपनियम (7) (दो) देखिए]

मूल प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी की मोहर)

रसीद क्रमांक.................... तारीख....................

श्री.................... पुत्र....................

निवासी ....

से रूपये....................

(शब्दों में)....................

प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम....................

पुत्र.................... निवासी.................... प्राप्त किये.

प्रयोजन....................

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

द्वितीय प्रति

अस्थायी प्राप्ति रसीद

(सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी की मोहर)

रसीद क्रमांक.................... तारीख....................

श्री .... पुत्र....................

निवासी ....

से रूपये....................

(शब्दों में)....................

प्रबंधन समिति के सदस्य का नाम....................

पुत्र.................... निवासी.................... प्राप्त किये.

प्रयोजन....................

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

प्ररूप "भ–4"

[नियम 27 का उपनियम (6) (तीन) देखिए]

रसीद बुक निर्गम

जल उपभोक्ता संथा का नाम ....

अनुक्रमांक	रसीद बुक नं.	पृष्ठ	किसे प्रदाय किया गया		पावती
			प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप "म"

[नियम 27 का उपनियम (6) (तीन) देखिए]

बिल रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम ....

अनुक्रमांक	प्रस्तुत करने की तारीख एवं जावक क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलन की लागत	स्वीकृति संदर्भ	बिल की राशि	माप पुस्तिका का क्रमांक तथा पेज क्रमांक	एजेंसी का नाम	आद्य हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप "य"

[नियम 27 का उपनियम (6) (चार) देखिए]—

चैक मेमो रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम ....

अनुक्रमांक	चैक किसके नाम प्रदाय किया गया है	कार्य का नाम	चैक क्रमांक एवं तारीख	चैक की राशि	चैक पुस्तिका क्रमांक	बजट की राशि	शेष राशि	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप "य–1"

[नियम 27 का उपनियम (6) (पांच) देखिए]

विशेष शुल्क रजिस्टर

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम ....

अनुक्रमांक	तारीख	विशेष शुल्क का विवरण	कालावधि	किससे प्राप्त किया	राशि	अस्थायी रसीद क्रमांक	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप "य–2"

(नियम 34 का उपनियम (1) देखिए)

.. कृषक संगठन के लेखों की लेखा परीक्षक का

.. को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन

....कृषक संगठन की 31 मार्च .... तक की आय और व्यय लेखा तथा भुगतानों का इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न बेलेंस शीटों का अंकेक्षण किया, प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. अंकेक्षण हेतु, सभी जानकारियों व स्पष्टीकरणों का अपने ज्ञान व विश्वास के आधार पर जो भी जानकारियां एवं स्पष्टकीरण आवश्यक थे, उन्हें प्राप्त किया।
2. जहां तक दस्तावेजों व अभिलेखों से स्पष्ट होता है, अधिनियम व नियमों के अनुसार जो भी लेखा व दस्तावेज आवश्यक है, उन्हें .... कृषक संगठन द्वारा रखा गया।
3. इस प्रतिवेदन में उल्लेखित सभी बेंलेसशीट, आय/व्यय का लेखा, रसीदें, लेखा के नियमों के अनुसार .... कृषक संगठन द्वारा रखी गया।
4. .... कृषक संगठन द्वारा किये गये सभी भुगतान विधि अनुसार व प्रधिकार क्षेत्र के अंदर है, केवल .... (विधि विरूद्ध भुगतान का वर्णन करें)
5. किसी व्यक्ति के लापरवाही/दुराचरण के कारण कोई कमी/हानि होना प्रतीत नहीं होता केवल .... (कमी/हानि/धोखा/आदि पाये जाने पर इसका वर्णन करें।
6. .... कृषक संगठन द्वारा प्राप्त की गयी सभी राशि का पूरा लेखा रखा गया है व इसें इर्ज किया गया है, केवल ....
   (यदि किसी प्राप्ती का लेखा न हो तो उल्लेख करें।

..........................का स्थान　　　　नाम...............................

दिनांक ....　　　　पद...............................

मुहर...............................

7. ऊपर वर्णित अनियमितता या कमी के अलावा अन्य कोई भी भौतिक कमी/अनियमितता नहीं पायी गयी।
8. .... कृषक संगठन को प्राप्त सभी अनुदानों का उपयोग सभी शर्तो व नियमों के अनुसार हुआ है, केवल .... (दुरूपयोग/अनाधिकृत व्यपवर्तन का उल्लेख करें)।
9. मैंने .... कृषक संगठन के अध्यक्ष से सभी अनियमितताओं व आपत्तियों पर चर्चा की, तथा जहां तक संभव हो सका उनका निराकरण कर दिया गया है, केवल ....
   (उन मुख्य आपत्तियों का उल्लेख जिनका निराकरण नहीं हो सका है)
10. मेरे मतानुसार व मेरे पास उपलब्ध जानकारियों के आधार पर तथा उन स्पष्टकीरणों के अनुसार जो मुख्य प्रतिवेदन के साथ संलग्न है सभी लेखे सही व उचित है :–
    (i) ....कृषक संगठन की 31 मार्च .... तक की बेलेंस शीट में दर्शाये गये विवरण।
    (ii) उस दिनांक तक आय या अतिरिक्त खर्चे में अतिशेष/कमी, का आय/व्यय का लेखा।
    (iii) उस दिनांक तक ग्राम सभा द्वारा भुगतान व प्राप्ती खाते के सभी भुगतान व प्रविष्टियां।

....

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर

स्थान : ....

तारीख : ....

नाम : ....

पद : ....

पद स्थापना का स्थान : ....

मुद्रा : ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

"CHHATTISGARH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI NIYAM, 2006 "

TABLE OF CONTENTS

Sections:-

1. Short title
2. Definition
3. Delineation of Command Area of an Irrigation System.
4. Preparation of landholders list, Voters list and other Water User's List.
5. Delineation of distributory areas.
6. Delineation of project areas.
7. Procedure for conducting elections
8. Recall.
9. Rights of Farmers' Organisation.
10. Responsibility of the Farmers Organisation.
11. Rights of Members.
12. Responsibility of Individual water users.
13. The General Body Meetings.
14. The General body meeting
15. Notice of meeting.
16. Quorum for the General Body.
17. Minutes of the Meeting.
18. Powers of the General Body.

19. Meetings of the Managing Committee.

20. Constitution and functions of Sub-Committee.

21. Procedure for taking up works.

22. Removal of Encroachments.

23. Social Audit of Farmers' Organisation.

24. Operational Plan and Water Budgeting.

25. Water Regulation.

26. Accounts/Finance.

27. Records to be maintained.

28. Levy & Collection of Fees

29. Financial Audit.

30. Powers of auditor.

31. Auditor not to remove any document without permission.

32. Notice of commencement of audit.

33. Certification of accounts and Statements.

34. Auditor's Report.

35. Dissolution of Managing Committee.

36. Offences and Penalties.

37. Appointment of Competent Authority.

38. Functions of. Competent Authority.

Forms

Form A – Notification

Form B – Amendments to Form – "A"

Form C – Land holders list

Form D	– List of all other Water Users'
Form E	– Objection to inclusion of name
Form F	– Application for inclusion of name in electoral roll
Form G	– Application for deletion of entry in electoral roll
Form H	– Notice of final publication of electoral roll
Form I	– Declaration
Form J	– Table
Form K	– Table
Form L	– Recall notice
Form M	– Verification
Form N	– Register of technical sanction / administrative sanction
Form O	– Register of component works
Form P	– Register of buildings & land
Form Q	– Register of trees-grass-other miscellaneous properties
Form R	– Register of machines
Form S	– Reservoir Gauge- discharge register
Form T	– Canal gauge- discharge register
Form U	– Command area register
Form V	– Register of irrigated areas and demands
Form W	– Cash- Book
Form X	– Original temporary receipt / Duplicate temporary receipt
Form X-1	– Original temporary receipt / Duplicate temporary receipt
Form X-2	– Original receipt / Duplicate receipt
Form X-3	– Original receipt / Duplicate receipt
Form X-4	– Issue of receipt books
Form Y	– Bill register
Form Z	– Register of cheque memo register
Form Z-1	– Special fee register
Form Z-2	– Auditor's report of the accounts of Farmers Organisation

NOTIFICATION

In exercise of the, powers conferred by Section 55 of the "Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006" (Act 7 of 2006), the State Government hereby makes the following rules:-

RULES

1. Short title and commencement.- (1) Rules and commencement of these rules may be called the "Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006".

(2) They shall come into force with effect from the date of its publication in the official "Gazette".

2. Definition. - In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006;

(b) "Authorised Officer" means an officer authorised by the District Collector not below the rank of a Naib Tahsildar;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Farmers Organisation" means water user's Association at the primary level, Distributory Committee at the secondary level and Project Committee at the project level;

(e) "Notice" means notice appended to these rules;

(f)The words and expressions used but not defined in these rules shall have the respective meanings assigned to them in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki

Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No.7 of 2006) and the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006.

3. Delineation of Command Area of an Irrigation System. - (l) The District Collector, may by notification delineate the command area under each of the irrigation system within his district on a hydraulic basis which may be administratively viable; and declare it to be a water users' area for the purpose of the Act and publish a notification in Form-A. The Farmer's Organisation shall have distinct name; in accordance with the notification published under this sub-rule.

(2) Detailed ayacut maps of individual Water Users Association identified within the declared Water Users Association area of each irrigation system as per sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Act shall be prepared in order to facilitate final delineation by the District Collector based on hydraulic boundaries , clearly indicating the boundaries of the Territorial Constituencies.

(3) For the purpose of this rule, every water users association shall have the name of a village as its distinct name in which the major extent of the command is situated. If there is more than one association in such village, then such association shall be called by adding numerals to the distinct name.

(4) For each of the irrigation system the Collector shall cause to be prepared the maps or sketches, indicating the distribution system like majors, minors and outlets along with the related structures in the command area. In the map or sketch the village boundaries, the drains, ayacut roads and all structures shall be marked.

(5) The areas irrigated or planned to be irrigated under each of the distributory, minor, survey number wise shall be, prepared.

(6) The command area for each water user area shall be delineated on hydraulic basis, each to be served by a distinct segment of the irrigation system and with a control

structure or a mechanism at its head for supply of allocated or designed quantity of water for that command area.

(7) The delineated area may have one or more distributories or minors or sub-minors or direct pipes or outlets or a combination of two or more thereof, serving its command. It shall also have a distinctly demarcated boundary which could be a drain, or a bund or an uncommandable land.

(8) In case of minor irrigation system, including tanks, diversion channels, lift irrigation schemes, wells, and such other smaller irrigation systems each shall form into one water user area.

(9) In Case major and medium irrigation system such water user areas shall be more than one.

(10) To ensure administrative viability, the area of operation of each of the Water User's Area shall be the limits of a village or contiguous villages situated within a Revenue Circle, as far as possible. In exceptional cases, the Water Users Association area may be extended to more than one taluk or district.

(11) A Canal Officer not below the rank of an Executive Engineer, duly empowered by the Appropriate Authority in this behalf shall, by notification in the Official Gazette delineate command areas of Lift or Tube Well Irrigation Water Users' Associations, separately based on the prescribed guidelines and subject to Section 23 of the Act and declare those areas to be the areas of operation of respective Lift or Tube Well Irrigation Water Users' Associations:

Provided that there shall be one Lift Irrigation Water Users Association for each Lift Irrigation Scheme:

Provided also that there shall be more than one Lift Irrigation Water Users Association for any Lift Irrigation Project with a command area of more than 2000 hectares.

Provided further that there shall be one Tube Well Water Users Association for a cluster of Tube wells subject to the condition that the aggregate command area or area of operation of such Tube Well Water Users Association shall be, to the extent possible, between forty to three hundred hectares and that one tube well unit should not be separated from other such unit with in the area of operation of such Tube Well Water Users Association by a physical distance of more than ten kilometers.

Provided also that there shall be one territorial constituency for each of the tubewell units within the area of operation of a Tube Well Water Users Association.

(12) Subject to sub rule (11) the provisions made for Water Users Association for Minor Irrigation systems under the Act shall, mutatis mutandis, apply to the delineation and functioning of Lift or Tube well Water Users Association.

(13) In the area delineated as an area of operation of the Lift or Tube Well Irrigation Water Users' Associations under sub-rule (11), Lift or Tube Well Irrigation Water Users' Associations shall be constituted by the landholders that is, the owner and or tenant recorded as such in the record of rights under the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No.20 of 1959).

(14) While delineating the Territorial Constituencies of Water Users' Association based on a hydraulic basis, they shall be demarcated as the Territorial Constituencies in the Head, Middle and Tail Reaches, based on their proximity to the water source.

(15) The delineated area shall be notified by the Collector and all modifications proposed for delineation would be based on recommendations made by the Canal Officer in Charge of irrigation project and such canal officer shall arrive at the recommendation made in this regard only after consultation with the farmers who are proposed beneficiaries under such Schemes.

(16) The District Collector shall divide each of the water user area in Major or Medium Irrigation Project, as far as possible equally into not more than twelve territorial constituencies as specified below:

Upto 1000 hectares	: minimum 4 Territorial Constituencies
From 1001 to 1500 hectares	: upto 8 Territorial Constituencies
From 1501 to 2000 hectares	: upto 12 Territorial Constituencies

'(17) The District Collector shall divide each of the water user area in Minor Irrigation Projects, as far as possible equally into not more than ten territorial constituencies as specified below:

Upto 200 hectares	: minimum 4 Territorial Constituencies
From 201 to 600 hectares	: upto 6 Territorial Constituencies
From 601 to 1000 hectares	: upto 8 Territorial Constituencies
From 1001 to 2000 hectares	: upto 10 Territorial Constituencies

Note. - The command area under a direct pipe outlet shall not be bifurcated while dividing territorial constituencies.

(18) The draft command area map or sketch of the water user's area demarcating the boundaries of territorial constituencies in the area of operation shall be prepared. The particulars containing the survey numbers of the lands situated in each of such territorial constituency in Form "A" shall be displayed together with such map or sketch on the notice board of the Gram Panchayat at and the Janpad Panchayat, for information of the land holders.

(19) Objections or suggestions against the delineation of water user area or the division of territorial constituencies, if any, may be filed, by the landholders in the area of operation, before the District Collector within a period of seven days excluding the date of display.

(20) Within two days of the receipt of the objections or suggestions, the District Collector shall after conducting a summary enquiry make such changes or modifications wherever considered necessary in the maps or sketches duly recording reasons thereof, whose decision thereon shall be final.

(21) A final map or sketch in pursuance of sub-rule (13) shall immediately be displayed in the office of the Gram Panchayat and Janpad Panchayat in Form "B" by the District Collector.

(22) Wherever the area of operation of a Water Users Association falls in more than one district, a Secretary of the State Government may direct the Collector of one district to exercise the powers and perform the functions of the Collector in such areas.

(23) For new and ongoing Schemes the delineation of command area for determining the area of operation for Water Users Association shall be carried out in the manner prescribed under this rule.

4. Preparation of landholders list, Voters list and other Water User's List. - 4(1): The District Collector shall prepare or cause to be prepared by the authorized officer, the list of landholders on the basis of record of rights, in form "C". The list shall also include wife of such land holder, who themselves do not hold land, as they are deemed to be the landholders under the Act. On the basis of the list as so prepared he shall prepare or cause to be prepared territorial constituency wise voters list in Form "D", consisting of those landholders who have completed eighteen years of age including wife of such land holder, who themselves do not hold land and who have completed eighteen years of age as on the date of issue of notification for conducting elections in a water users' area for electing the president and members of the managing committee of the Waters Users' Association.

(2) .The lists prepared under sub-rule (1) shall be displayed on the notice board of the office of the concerned Gram Panchayat and the Janpad Panchayat.

(3) Before finalising the lists mentioned in sub-rules (1), the District Collector shall invite objections in Form-E against inclusion of any name or names in Form "F" and for deletion of any name or names in Form "G" within a week of display under sub-rule (2). After receiving the objections if any, the District Collector shall consider all such

objections within a week and finalise such lists, by appending the names to be deleted or incorporated, at the end of each list and a final notice thereof shall be published in Form "H" for verification.

(4) Each land-.holder in the water users' Area shall have one vote only irrespective of his land holdings in the said area.

(5) (i) In case, a land holder has land in more than one Territorial Constituency of a water user area, the land holder shall opt for one constituency by giving a declaration as specified in Form "I" to the Authorised Officer.

(ii) In case no such option is exercised by the land holder, the Authorised Officer shall allot his vote to the constituency in which the landholder holds the maximum extent of land; where such land held is the same in two constituencies any of the constituency may be allotted.

(6) The lists prepared under sub-rule (1) shall be revised six months before, the commencement of the subsequent elections in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006.

5. <u>Delineation of distributory areas</u>.- (1) The Government, keeping in view the operational viability and in consultation with the District Collector, for the purpose of constituting Distributory Committees, delineate the command area by a notification in Form "J", under a major project into such number of distributory areas as they consider proper.

(2) The delineation in sub-rule (1) shall be based on the recommendations made jointly by the Canal Officer in charge of the concerned irrigation projects and the concerned Water User Associations.

(3) A distributory area may contain three or more contiguous water users' areas.

(4) In delineating a distributory area, no water user area shall be divided or bifurcated into parts.

6. **Delineation of project areas.** - (1) The Government, keeping in view the operational viability and in consultation with the District Collector, delineate, the command area by a notification in Form "K" under a major irrigation project into one or more project areas for the purpose of constituting a Project Committee or Committees.

(2) The delineation in sub-rule (1) shall be based on the recommendations made jointly by the Canal Officer in charge of the concerned irrigation projects and the Presidents of the Distributory Committees in the Project area.

(3) The entire command area under a medium irrigation project shall be treated as a single unit and notified by the Government as a Project Area.

7. **Procedure for conducting elections.**-(1) The election to the office of the President and the members of a Farmers' Organisation shall be conducted in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006.

(2) No Member shall hold more than one elective office in a Water Users' Association. If a person is elected as President of Water Users' Association and also as a Member of the Managing Committee, he shall resign one of such offices within 15 (fifteen) days of the declaration of the results, by a letter addressed to the concerned Competent Authority. If he fails to do so, he shall cease to be a Member of the Managing Committee of the Water Users' Association. The Competent Authority then shall immediately inform the fact of resignation or cessation of such office to the District Election Officer and the President of the Distributory Committee where such committee exists. Such casual vacancy shall be filled in accordance with the Provisions of Section-20 of the Act.

8. **Recall.-** (l) The competent authority for receiving the recall notice in respect of a President or a Member of the Managing Committee by any Farmer's Organisation shall be the District Collector or an officer nominated by him.

(2) The recall notice in Form "L" shall be signed by one third of the total voters in respect of the President or a Member of the managing committee of a Water Users' Association, and one third of the total members of the General Body in respect of the President or a Member of a Managing Committee of a Distributory Committee or the Project Committee.

Provided that, no such motion of recall against any office bearers shall be allowed within one year from the date of resumption of office of such office bearer.

Provided further that the members who are defaulter in respect of water charges shall not be allowed to sign the recall motion.

(3) On receipt of such notice the Competent Authority shall verify the notice in Form "M".

(4) The officer nominated by the District Collector shall call for a meeting of the voters or the members of the General Body, as the case may be, of the respective Farmers Organisation within seven days after verification of the notice.

(5) Two third majority of the total voters present and voting and half, of the total number of members of the association voting at a General Body meeting specially convened for this purpose have voted in favour of the motion for recall, the motion shall be deemed to have been passed.

(6) After the motion passed under sub-rule (5) the competent authority shall issue the proceedings of motion to the concerned President or the Member of the respective Farmers' Organisation immediately stating that the recall became effective from the date of passing of the resolution; and accordingly he shall cease to hold such office.

9. **<u>Rights of Farmers' Organisation</u>** :--The rights of the Farmers' Organization shall be as follows :-

(i) to obtain information in time about water availability, opening/ closing of main canal, periods of supply and quantity of supply, closure of canals etc.;

(ii) to receive water in bulk from the irrigation department for distribution among the water users on agreed terms of equity and social justice;

(iii) to receive water according to an approved time schedule;

(iv) to allocate water to non-members;

(v) to levy separate fees for maintenance of the system ;

(vi) to levy any other fee or service charges, to meet management costs and any other expenses;

(vii) to utilize the canal bunds - as long as such use is not obstructive, or destructive to hydraulic structures - by planting timber, fuel, or fruit trees or grass for augmenting the income of the farmers organisation;

(viii) to obtain the latest information about new crop varieties, and their pattern, package of practices, weed control etc., for agriculture extension service and purchase inputs such as seeds, fertilizers and pesticides; for use of its members;

(ix) to have full freedom to grow any crop other than those expressly prohibited by a law and adjust crop areas within the total water allocated without causing injury to neighboring lands;

(x) to participate in planning, and designing of micro irrigation system;

(xi) to suggest improvements/modifications in the layout of Field Channels/Field Drains to supply water to all the farmers in the command; and

(xii) to plan and promote use of the ground water.

(xiii) to carry out other agro based activities for economic upliftment of its members ;

(xiv) to engage into any activity of common interest of members in the command area related to irrigation and agriculture and supplementary businesses for self sufficiency and sustainability of the Organization;

(xv) to receive funds and support from various development programmes of the central and State government and other national and international development agencies.

10.**Responsibility of the Farmers Organisation**:--The responsibility of Farmers Organisation shall be as follows:--

(i) to prepare the schedules of water deliveries and communicate to the concerned;

(ii) to organize preparation of crop plan to match water deliveries with crop requirements;

(iii) to supply water to all members in the command areas as per the approved terms;

(iv) to carry out timely maintenance and repairs to the distributory system including drains and other properties;

(v) to organize repairs of the systems by the farmers free of cost or on payment ;

(vi) to avoid and prevent misuse and waste of water;

(vii) to use water economically and judiciously and furnish data, to the Water Resources Department on water use, irrigated area, all round irrigation efficiency, and crop yields.

(viii) to inspect water utilization by the farmers in the command; assess irrigated crop area and collect data on crop yields;

(ix) to impose and recover penalties or fines for misuse and wastage of water and tampering or damaging with the irrigation network controls, sluices, outlets etc., as per the provision of the Act;

(x) to educate farmers on preparing fields and adopting modern methods of field irrigation, such as borders, furrows, graded bonding for all round efficiency;

(xi) to educate farmers on new crop varieties, packages of modern practices, pesticides, weedicides etc.;

(xii) to procure and hire implements and gadgets for agricultural operation where feasible and needed;

(xiii) to improve the system for efficient and economical use of available/allocated water, for efficient production of crops; and

(xiv) to minimize conveyance and operational losses of water.

11. **Rights of Members**:--The rights of the member users shall be as follows:--

(i) to suggest improvements/modifications in water deliveries;

(ii) to get information relating to water availabilities, allocations, opening/ closing of canals and outlets, period of supply, frequency, etc.;

(iii) to receive water as per specified quota for use;

(iv) to have the freedom of growing any crop, other than those prohibited by law or by a resolution by the farmers organisation, adjusting the areas within the water allocated;

(v) to sell or transfer the water share to any other water user within the operational area of water users association with the permission of the concerned water users association and without affecting the rights of the other members of the Association.

(vi) to participate in the General body meeting and receive annual reports; and

(vii) to receive equitable benefits from the activities of the organization.

12. **Responsibility of Individual water users**:--The responsibilities of the individual water users shall be as follows:

(i) to maintain the micro-level irrigation system particularly the turn outs, field channels, structures, and field drains;

(ii) to be aware of the rules of operation of water supply framed by the farmers organization for each season;

(iii) to adhere to the water delivery schedules;

(iv) to not interfere/tamper with the system by breaching, cross bunding, damaging the structure in the minor, sub-minor or field distribution system;

(v) to close the turnout fully after the allotted turn or time is over;

(vi) to conserve water and make judicious use of the irrigation supply;

(vii) to divert water if not required during the turn or time allotted, so as not to damage other member farmers;

(viii) to get the lands levelled/ shaped for efficient utilization of land and water and to prevent deep percolations leading to water logging and salinity in the downstream area;

(ix) to pay the water charges fees and other charges regularly and in time;

(x) to avoid misuse/wastage of water, taking water out of turn, taking more time than allotted;

(xi) to maintain Field Channels/Field Drains in the reaches specified by the Water User Association, or contribute to labour/cost for maintenance, whenever required;

(xii) to permit inspection by the Competent Authority or the Farmers Organization of:

(a) irrigated area;

(b) measurement of irrigated area;

(c) observation of water levels in dug wells/bores/tubewells;

(d) crop-cutting experiments for assessing productivity / production; and

(xiii) to respect easementary rights and other customary practices in vogue in the system

13. **General Body**. - (1) The general body of a farmers' organisation shall comprise all members as specified in subsection (3) of section 4, sub-section (2) of section 7 and sub-section (2) and sub-section (3) of section 10 of the Act in respect of the Water Users Association, Distributory Committee and Project Committee respectively.

(2) The general body shall be assisted by the competent authority appointed under section 28 of the Act. The competent authority shall have the right to attend the meeting and record his views, but shall have no right to vote.

14. **The General Body Meetings**.-(l) The meetings of the General Bodies shall be held at least twice in a year, once before 'the kharif and once before the rabi season. The

meetings shall be presided over by the President and in his absence the members present shall elect one person from amongst themselves to preside/chair the meeting.

(2) The meeting of the General Body may also be called at any time by the President or Managing Committee members through a majority resolution or by members of the organisation through a requisition signed by not less than one third of the members who have voting right.

(3) General Body meeting shall also be held on receipt of a direction from the Government or from the Commissioner, Ayacut or by the next higher Committee or the Farmers' Organisation in respect of matters relating to urgent public importance.

15. Notice of meeting. -(1) On receipt of a notice either under sub-rule (2) or (3) of rule 14, the Managing Committee of the Farmers Organisation shall convene a general body meeting within twenty days by giving seven days prior notice specifying the place, date, time and agenda items for the meeting:

Provided that in cases of emergency a meeting may be called at three days advance notice.

(2) The notice may be sent by hand or post or publication or by beat of drum and shall be pasted on the notice board of the concerning organisation.

16. Quorum for the General Body.-(1) The quorum for a meeting shall be not less than one third of the total members of the concerning organisation.

(2) If there is no quorum for the meeting it shall stand adjourned and be convened on such date and time as the Managing Committee may determine. At such adjourned meeting no quorum shall be necessary and the members present may transact the business for which the meeting was called.

(3) In a General Body meeting, the items specified in the agenda alone will be discussed. No other subjects will be discussed without the express permission of the Chairperson/President or the majority decision of the members present in the meeting.

17. **Minutes of the Meeting**.- Every proceeding of the General Body shall be recorded in the minutes book maintained for the purpose and authenticated by the President or the person who has presided over the meeting, as the case, may be. A copy of the minutes shall be sent to the authority at the next higher committee.

18. **Powers of the General Body**. - The general body shall have the following powers, namely: -

(1) to approve the operational plan for each crop season and review its implementation in the area of operation;

(2) to make recommendations to the Managing Committee for allocation of water in the distribution system according to the operational plan approved;

(3) to decide on the manner of regulation and distribution of water ;

(4) to recommend the preparation and consequently approval of annual and long-term financial and works plan and to priority works for maintenance / repairs / upkeep, rehabilitation of the irrigation system;

(5) to approve annual financial budget and review of the performance of previous years' budget;

(6) to approve the appointment of auditors for the annual audit and / or concurrent audit and to fix fees for the same;

(7) to approve the setting up of sub-committees of members for various activities and functions of the Organisation;

(8) to create or set up such fund as may be required for different activities / works;

(9) to entertain and dispose appeals against orders of the Managing Committee between water users;

(10) to authorize the President to enter into agreement between the Water Users' Association and the upper level committee or the Canal Officer as per sub-section 3 of Section 25 of the Act.

(11) to approve the levy of fees as defined under section 32 of the Act;

(12) to take decisions on raising of resources under section 31 of the Act for the benefit of the organisations ;

(13) to carry out the recall proceedings as per section 14 of the Act.

19. Meetings of the Managing Committee. - (1) The meetings of the Managing Committee shall be held at least once in every month at the office of the Organisation. Special meetings may, however, be held if it is so required. A meeting requisitioned shall be held within seven days of the receipt of requisition for such a meeting by the President.

(2) The General Body of the Farmers Organisation shall also convene a meeting of the Managing Committee before each irrigation season to guide and help the members regarding;

(i) Canal operation schedule and water distribution programme;

(ii) Maintenance of canal system before commencement of season;

(iii) the information about the latest decisions taken by the upper level committees;

(3) Notice for the meeting shall be sent by hand / post / delivery or published on the Notice Board and beat of drum.

(4) The President shall preside over the meetings of the Managing Committee. In his absence, the Managing Committee may nominate a member from amongst themselves to preside over the meeting.

(5) Every proceedings of the Managing Committee shall recorded in minutes book maintained for the purpose by a member of the Managing Committee. A copy of the minutes shall be sent to the authority of the next higher tier wherever they exist.

(6) The quorum of the meeting shall be one-third of the members. All resolutions shall be carried out by majority of the members present and voting.

(7) If there is no quorum for the meeting the meting shall be adjourned for that day and be convened again. For an adjourned meeting no quorum is required.

20. Constitution and functions of Sub-Committee. – (1) Managing Committee of the Farmers' Organisation may constitute specific Sub-Committees to carry out specific functions as assigned by the Managing Committee. The Constitution of the Sub-Committees shall be approved by the General Body of the Farmers Organisation.

(2) The following Sub-Committees may be constituted -

(i) Finance and Resources Sub-Committee;
(ii) Works Sub-Committee;
(iii) Water Management Sub-Committee;
(iv)Training and Capacity Building Sub-Committee;
(v) Social Audit and Monitoring and Evaluation Sub-Committee;
(vi) Dispute Resolution Sub-Committee;

(3) Each Sub-Committee shall consist of a Convener and five other members with each such member being nominated from different territorial constituencies and having a reputation for honesty, integrity, understanding or experience in the specified field.

(4) (a) The convener of the sub-committee shall be a member of the Managing Committee other than the President.

(b) In case of a Project Committee not more than five members shall be selected for each Sub-Committee from the general body of the Project Committee in that Project and at least two members amongst these shall be women.

(c) In case of Distributory Committee not more than five members shall be selected for each Sub-Committee from the general body of the Distributory Committee and at least two members amongst these shall be women.

(d) In case of Water Users Association, not more than five members shall be drawn from the general body of the Water Users Association and at least two members amongst these shall be women.

(5) No member shall represent more than one sub-committee.

(6) If the strength available from the above arrangement is short of the requirement, the President of the respective Managing Committee may co-opt members of the Territorial Constituencies:

Provided that not more than one member of the Territorial Constituency of Water Users Association can be co-opted in the Sub-Committee.

(7) The functions of the sub-committees shall be as follows:-

(i) Finance and Resources sub-committee:

(a) to plan, mobilise and collect resources;

(b) to ensure collection of dues from members and non-members as levied under section 32 of the Act;

(c) to recommend to Managing Committee the use and deployment of resources and Budget; and

(d) to maintain records relating to financial matters;

(ii) Works sub-committee:

(a) to recommend estimates of works for administrative approval;

(b) to supervise works and ensure completion of works in time and quality control; and

(c) to approve payments for the works.

(iii) Water Management sub-committee:

(a) to carry out the decisions of the Managing Committee and the general body on Water Regulation, schedule of water release;

(b) to organise patrolling of the canal, channels and regulate the use of water;

(c) to check the irrigation and drainage system regularly;

(d) to record the water deliveries;

(e) to report to the Managing Committee any violations in the use of water; and

(f) to maintain records of landowners and water users;

(g) to educate in optimum use of water;

(iv) Training and Capacity Building sub-commitee

(a) to identify training needs of the members; and

(b) to organize and conduct training for the members ;

(c) to provide information, education and awareness on activities relating to the growth of the farmers orgnaisation to the members

(v) Social Audit and Monitoring and Evaluation sub-committee:

(a) to conduct social audit as mentioned in rule 23;

(b) to monitor and evaluate all activities of the farmers organization as authorized by the Managing Committee

(vi) Dispute Resolution Sub-Committee:

(a) In case of sub-committee of the Managing Committee of Water Users Association, to resolve the disputes between members and water users in its area of operation;

(b) In case of sub-committee of the Managing Committee of Distributory Committee, to resolve the disputes among the Water Users Associations in its area of operation; and

(c) In case of sub-committee of the Managing Committee of Project Committee, to resolve the disputes amongst the Distributory Committees in its area of operation

(8) The Sub-Committee shall meet as frequently as necessary. The convener of the Sub-Committee will preside over the meetings and maintain the record of discussions and decisions thereof and place the record to the Managing Committee for further action.

(9) The Farmers' Organisation in addition to the sub committees mentioned in this rule may constitute any other sub committee/s in accordance with the procedure in this rule.

(10) The Sub-Committee shall function under the general superintendence, control and direction of the President of the respective Managing Committee of the organisation.

21. <u>Procedure for taking up works</u>.-For the purposes of taking up works under clauses (b) and (u) of Section 25, clause (b) and (j) of Section 26 and clause (b) and (i) of Section 27 of the Act, the Farmers' Organisation shall adopt the following procedure:

(1) System Diagnosis for Maintenance Works,

(i) Prior to the commencement of every crops season (kharif & rabi) the Managing Committees and Competent Authority of every Farmers' Organisation shall undertake to assess the condition of the system (system diagnosis) through a participatory walk through exercise.

(ii) The Farmers' Organisation shall inspect each and every hydraulic structure and record its status.

(2) All works shall be categorised as follows:

(i) Normal Operation and Maintenance Works, which includes ordinary repairs, such as:-

- (a) Desilting;
- (b) Weed removal;
- (c) Embankment repairs;
- (d) Revetment;
- (e) Repairs to shutters;
- (f) Repairs to masonry and lining;
- (g) Cleaning & Oiling of screw gearing shutters;
- (h) Painting of hoists and gates etc;
- (i) Emergent breach closing works, and
- (j) Maintenance of inspection paths.

(ii) Scheduled Maintenance Works (Rehabilitation Works) -

(a) Reconstruction of sluices;

(b) Reconstruction/repairs to drops regulators;

(c) Reconstruction of measuring devices;

(d) Rehabilitation of the system; and

(iii) Original Works-

(a) Modernisation of the System; and

(b) Any other construction works in the irrigation system. The above works shall be executed by the Farmers' Organisation, or by any especially hired personnel of the farmers' organisation with the approval of its General Body under the supervision of the Water Resources Department at the rates not exceeding estimated rates.

(3) Identification of normal operation and maintenance works-participatory walk-through. -The Chairperson/President along with the Managing Committee members shall organise a participatory walk through with the competent authority or his engineer representative within the area of operation .of the Farmers' Organisation and identify all the critical reaches, which need immediate repair as listed out above. The competent authority shall assist the Farmers' Organisation in preparation of detailed list of works to be undertaken.

(4) Prioritising Works.- The Managing Committee of the Farmers' Organisation shall discuss the list so prepared and 'fix up priority or works to be taken up immediately.

(5)Preparation of estimates.- The competent authority shall prepare estimates within a fortnight for the works so prioritised according to the hydraulic particulars as maintained by the Water Resources Department at the prevailing schedule of rates.

(6) Administrative approval.-The Managing Committee of the Farmers' Organisation shall accord administrative approval for the estimates prepared subject to availability of

funds. Each administrative approval shall be recorded in the register of administrative approvals in Form-N.

(7) Technical Clearance.-(a) The powers for giving technical clearance by the Competent Authority shall be as follows:

(i) Special Repairs:

(a) Executive Engineer,	Up to Rs. 2,00,000 /-
(b) Superintending Engineer.	Up to Rs. 5,00,000/
(c) Chief Engineer,	Above Rs. 5,00,000/-

(ii) Ordinary repairs:

(a) Sub-Divisional Officer (Competent Authority)	Up to Rs. 50,000/-
(b)Executive Engineer,	Full powers within the funds provided to Farmers' Organisation.

(b) a Competent Authority may accord technical clearance vested in an authority lower than him;

(c) the Competent Authority, shall record all the technical clearances in the register of technical clearance in Form-I appended to the rules, and

(d) the technical clearance shall not exceed the Administrative approval;

(e) in respect of a Distributory Committee, the Project Committee, the Competent Authority may cause the technical clearance to be given by an appropriate officer under his control as per the financial powers mentioned in clause (a).

(8) Manner of taking up works. -(a) Works as approved by the Managing Committee of the Farmers' Organisation shall be taken up for execution by the Farmers' Organisation itself;

(b) Under no circumstances Chairperson/President or Managing Committee Member of the Farmers Organisation executes a work directly in his individual capacity;

(c) The cost of works executed shall not exceed the estimated costs; and

(d) The competent authority shall record the initial measurements and final measurements for quantifying the work done for making payments by the Farmers' Organisation.

(9) Maintenance and Adherence to the Designed Hydraulic Particulars. - The competent authority shall be responsible for the maintenance and adherence to the approved hydraulic particulars. He shall ensure that the designed hydraulic particulars of an irrigation system are not altered with. He shall guide the Farmers' Organisation in supervising works.

(10) Limitations on Works. - No Farmers' Organisation shall have the power to interfere with the designed hydraulic particulars of an Irrigation system. Any violation will invite the penal provisions under section 39 of the Act; and the rules made there under.

(11) Publication of List of Works to be Taken-Up. -(a) The lists of works to be taken up should be given wide publicity by means of display in the office of the Farmers' Organisation and other public places and institutions within the area;

(b) Along with the lists other particulars of works, estimates, values, and mode of execution should be given wide publicity; and

(c) If any member wishes to have access to any of the records relating to works to be taken up, he may do so on payment of the fee as fixed by the Farmers' Organisation.

(12) Freedom to Add Other Funds or Extra Contributions. - The members are free to contribute resources either in cash or by way of material or labour.

(13) Proof of Works Done.-The competent authority shall maintain. Level Field Book, and Measurement Book for recording the work done by the Farmers' Organisation.

(14) Payment for the Works Done.-All payments for works done above Rs. 1000/- shall be paid by cheque. The Farmers' Organisation shall maintain a record of all payments made in the Cash-book date-wise.

(15) Original Works. -A Farmers' Organisation may take up any original work within its area of operation subject to the following conditions; namely:-

(a) Specific approval shall be obtained from the authority vested with such powers to do so.

(b) The estimates for works shall be prepared by the Water Resources Department and works shall be let out to the Farmers' Organisation wherever they come forward for execution of such works at the estimated rates.

(c) If the Farmers' Organisation agrees to take up any work, an agreement shall be entered into with the Water Resources Department.

(d) Payments shall be made to the Farmers' Organisation based on the, out turn of work on fortnightly basis or even earlier as may' be mutually decided.

(e) Where the Farmers' Organisation does not come forward the procedure as prescribed under the "Works Department Manual" shall be "followed or as per any direction given by the Government from time to time.

22. Removal of Encroachments- In accordance with sub-section (2) of Section 25 of the Act a Water Users' Association may remove encroachments from property attached to the canal system within its area of operation and shall take the following steps therefore-

(i) Discuss about the encroachment in the meeting of the Managing Committee;

(ii) Pass a Resolution in the Managing Committee by majority of members present and voting that such an encroachment constitutes an Offence under Section 39 of the Act;

(iii) As per Resolution passed by the Managing Committee, the Water Users' Association shall make efforts to remove the encroachment including by taking all possible measures under rule 36 of these rules;

(iv) In case of failure to remove the encroachment, inform the concerned Canal Officer in writing about (i), (ii) and (iii) above;

(v) Help the concerned Canal Officer in carrying out the survey and preparing official report about the encroachment;

(vi) Assist the concerned Canal Officer in removing the encroachment as per the government procedure.

23. **<u>Social Audit of Farmers' Organisation</u>**. -(l) At the end of each crop season the Farmers' Organisation through its Social Audit and Monitoring and Evaluation Sub-Committee shall conduct Social Audit as detailed below:-

(i) Social Audit shall be done for water utilisation against the water budgeting and expenditure incurred for maintenance of the system with reference to the funds available to each of the Farmers' Organisation and shall also cover:

(ii) Social audit shall be for following:-

(a) Equity in water distribution;

(b) Increase in production;

(c) Increase in productivity;

(d) Crop diversification;

(e) Multiple cropping;

(f) Water use efficiency;

(g) Utilisation of resources for execution of works;

(h) Improvement in the cultivated areas of the Farmers' Organisation compared to previous season; and

(i) Quality of works undertaken.

(j) All other activities as mentioned under the Act and in the Rules.

(2) The Social Audit so conducted shall be made known to all the beneficiaries under the Farmers' Organisation by way of displaying a list containing the benefits accrued with reference to funds spent on the notice board of the office of each of the Farmers' Organisation.

(3) Whenever a work is taken up, the estimated cost of the work, item of work proposed to be executed, details of the executors of the work etc., are to be exhibited on a board at the place of the work; so that every beneficiary under the Farmers' Organisation is aware of the details of the work being executed and expenditures to be incurred.

(4) The Social Audit so conducted shall be recorded and a copy thereof be sent to the Distributory Committee in the case of Water Users Association, to the Project Committee in the case of Distributory Committee; and to the State Level Policy Committee in the case of Project Committee.

(5) The auditor appointed under rule 29 shall incorporate the Social Audit Report in his annual audit report together with his specific observations on rectification of defects, if any, noticed in the social audit.

24. <u>Operational Plan and Water Budgeting</u> -The Managing Committee of the respective Farmers' Organisation shall, along with the assistance of the competent authority, prepare a water budget for the area of operation under its control as detailed below:-

(i) One month before the onset of the Kharif season, the Project Committee shall, subject to such directions as may be given by Government from time to time, work out

the anticipated inflows and existing availability in the reservoir and work out the water allocation to all the Distributory Committees; the Distributory Committees in turn shall allocate the water made available to Water Users' Association in its jurisdiction:

Provided that in the case of medium irrigation projects not having Distributory Committees, the Project Committee shall allocate water to the Water Users' Associations.

(ii) A Farmers' Organisation in distributing water to its member constituents shall have regard to allocations meant for drinking waters, or for any specified purpose as may be decided by Government from time to time.

(iii) For the Rabi Season, the Project Committee will determine the area to be thrown open for irrigation based upon the actual availability of water and the cropping pattern agreed by the farmers at the beginning of Rabi Season. The water so available shall be allocated equitably among the Distributory Committees and Water Users' Associations. In the case of medium or minor irrigation system, equitable distribution shall be achieved by adopting circular rotation over a period.

(iv) Each of the Farmers' Organisations shall draw up an operational plan, which shall specify the quantity of water to be drawn on a specified periodical basis.

(v) The drawls of water shall be, monitored each day at specified gauge points as decided by the Farmers' Organisation.

(vi) Review of the drawals and distribution shall be done by each of the Farmers' Organisation at the end of each fortnight and corrective measures taken.

(vii) At the end of each season the respective Farmers' Organisation shall prepare a report of water received and utilised along with the area, irrigated, quality of water supply and extent of crops.

(viii) The Farmers' Organisation shall analyse the shortcoming and deviations in water budget and report to the next higher tier.

(ix) In respect of a minor irrigation system the Water Users' Association shall decide the operational plan, date of release of water, which are to be thrown open for irrigation depending upon the storage/inflows into the tank.

25. Water Regulation. -After water budget is prepared, the Farmers' Organisation shall draw up a plan of water regulation as follows:

(a) The dates of release and closer shall be informed to all members well in advance;
(b) Equitable distribution of water amongst all users shall be the main principle in water regulation;
(c) A Farmers' Organisation shall draw water and monitor flows based on the operational plan prepared;
(d) A Warabandi Schedule (Turn-Schedule) shall be prepared for each outlet in a Farmers Organisation;
(e) The Farmers' Organisation shall record the crop-wise area in the command area with the assistance of the Competent Authority, and

(f) A Farmers' Organisation may, for the purpose of monitoring. install such devices as may be required within its jurisdiction.

26. Accounts/Finance- (1) The Farmers' Organisation shall open an account in a nationalised bank or co-operative bank namely; the District Cooperative Central Bank or the Chhattisgarh State Apex Co-operative Bank in its name. The account shall be operated jointly by the President and one of the Managing Committee members as nominated by the Managing Committee. The Farmers' Organisation shall maintain the cashbook and accounts of expenditure with appropriate vouchers and receipts.

(2) Every expenditure should be supported by a receipt, or voucher which shall be duly passed for payment by the president.

(3) All expenditure has to be approved by the finance sub-committee, at least once a month.

(4) Every Farmers' Organisation shall maintain accounts register. Each of the following record shall bear the name, address and the seal of the Farmers' Organisation and shall be machine numbered; namely:-

(a) Cash book;
(b) Bill registers;
(c) Contingent registers;
(d) Receipts books; and
(e) Cheque register.

27. **Records to be maintained.**-Each of the Farmers' Organisations shall maintain the following records, other than the records specifically mentioned in the Act in these rules. An up-to-date copy of the Act/Rules/Directions and orders of Commissioner/Govt. :-

(a) The following maps shall be maintained by each Water Users' Association; namely: -

(i) Map showing the boundaries and jurisdiction of the association, water conveyance system, within the boundaries of the association;

(ii) Map showing the notified command area with Serial numbers as prescribed in sub-rule (6) of rule 3 of the Farmers' Organisation Constitution, rules, 2006.

(b) The following registers shall be maintained; namely:

(1) Property Register and Records. -These records shall contain the details of properties, assets and liabilities vested .in a Farmers' Organisation like lands, buildings, canal banks etc.

(i) Inventory Register (Component Register). -An inventory register in Form O shall contain particulars of hydraulic particulars of structures, including details of canals and with their hydraulic particulars.

(ii) Register of Vacant Land and Buildings in Form P.

(iii) Miscellaneous Property Register. -Other minor properties such as trees grass etc. in form Q and

(iv) Register of Machines.- shall contain the list of machines working and condemned in Form-R.

(2) Membership Register and Records. -Registers relating to memberships as specified in sub-rule (1), (2) and (3) of Rule 4.

(3) Water Flows Register and Records.-Every Farmer' Organisation shall be supplied with water, based on the operational prepared plan. These flows need to be monitored daily at specified locations as decided by Farmers Organisation-

(i) A Reservoir Gauge Register in Form-S.

(ii) A Canal Gauge Register in Form-T.

(4) Area Crops Register and Records:

(i) Command Area Register in Form-U.

(ii) Farmer Wise Demand Register in Form-V

(5) Works Register and Records:

(i) Register of Administrative Sanctions in Form-N.

(ii) Register of Technical Clearance in Form-N.

(6) Cash register and Records:

(i) Cash Book in Form-W.

(ii) Receipts Book in Form-X. and X-1,X-2 and X-3

(iii) Register of Issue of Receipt Book in Form X- 4.

(iv) Bill Register in Form-Y.

(v) Cheque Memo Register in Form-Z.

(vi) Special Fee Register in Form Z-1.

(7) Minutes Register and Records.-Every proceeding of a General Body meeting, a Managing Committee meeting, a Sub-Committee meeting shall be recorded separately in a minutes book.

28. Levy & Collection of Fees. -(1) The Farmers' Organisation may by resolution passed by the General Body of the concerning committee. levy .a fee.

(2) a fee under sub-rule (1) shall be levied for the following purposes for the Farmers' Organisation:

(a) to provide facilities or;

(b) to provide specific services;

(c) to meet any urgent needs of the Farmers' Organisation;

(d) to build up assets of the Farmers' Organisation, and

(e) to improve the system.

(3) After passing the resolution by the General Body the competent authority shall prepare the estimate for the purpose as specified in sub-rule (2) and the Managing Committee, shall decide a levy of fee proportionate to the land holding or to the number of members. The Managing Committee after it's decision shall serve the demand notice to the concerned.

(4) all fees collected shall be duly accounted for and the receipt thereof be given to the concerning person.

(5) a fee collected for a specific purpose shall be used only for that purpose.

(6) (a) In default of payment of fee by any member, the Managing Committee shall prepare a list of defaulters along with amounts due.

(b) The defaulters list so prepared in clause (a) shall be sent to the Sub-Engineer, Water Resources Department, of the area in whose jurisdiction the area of operation of a Farmers' Organisation lies for recovery.

(7) The water charges collected by the Water Users' Association shall be deposited with the treasury of the State Government and on such deposit a minimum of twenty five percent of the deposited amount shall be assigned to the said Water Users' Association in accordance with sub section (3) of Section 31 of the Act in the manner as follows:

(i) The President of Water Users Association shall issue a receipt book to each of the elected territorial constituency members and each of these elected members or any person appointed by them, with such appointee having the approval of the Managing Committee, shall collect the water charges in their own constituency and shall in turn issue the receipt to the members of the general body making the payment in form X-1

(ii) The amount collected by the elected territorial constituency members or their appointees under (i) shall be deposited by them within seven days with the President of the concerned Water Users' Association and the President shall issue a receipt to the elected territorial constituency members or their appointees in form X-2.

(iii) The President of the concerned Water Users' Association shall deposit the amount collected under (ii) with the Competent Authority within seven days of receipt from the elected territorial constituency members and obtain a receipt for the same in form X-3. The Competent Authority shall then ensure that the amount collected is deposited with the treasury/bank of the State Government within seven days of receipt from the President of the concerned Water Users' Association in the prescribed manner and he

shall inform the concerned Executive Engineer of such deposit within seven days with the requisite proof of deposit.

(iv) On deposit of amount under (iii) a minimum of twenty five percent of the deposited amount shall be assigned to the Water Users Associations by the concerned Executive Engineer from the funds made available to him by the State Government.

(v) On the amount deposited under (iii) with the treasury/bank of the State government within one financial year, the assignment of minimum of twenty five percent of the deposited amount to the Water Users Associations under (iv) shall be carried out within the next financial year.

(vi) The President of the Water Users Association and the Elected territorial constituency members or their appointees shall, in lieu of services rendered by them for collection of water charges under this sub rule, be provided adequate monetary compensation as decided by the Managing Committee and approved by the general body of the Water Users Association and from the amount assigned in (iv) to the said Water Users Association.

(vii) In situations where there is State Government Programme, Scheme or Initiative for remission of water charges for the water users, the Water Users Associations shall be free to adopt such Programme, Scheme or Initiative in its area of operation and upon such adoption the Programme, Scheme or Initiative, for the extent specified therein, shall apply to all the concerned water users.

(viii) In addition to the amount assigned to Water Users Association under the this sub rule the Water Users Association shall not be entitled to any other amount or funds from State Government for normal operation and maintenance works within its area of Operation.

29. **Financial Audit**.-At the end of each financial year, and not later than three months after the commencement of the new financial year, each of the Farmers' Organisation shall cause its accounts to be audited as follows:

(i) the Managing Committee shall appoint an Auditor who has minimum B. Com qualification and having adequate experience in normal auditing work;

(ii) the Auditor so appointed shall be a person of repute in the area of operation of the Farmers Organisation, who has reasonable knowledge in accounts;

(iii) the appointment of the Auditor shall be approved by the Managing Committee of the Farmers' Organisation;

(iv) the Auditor so appointed shall take all steps necessary to scrutinise the accounts of receipts and expenditure, within thirty days from the date of his appointment and furnish the audit report along with the statement of accounts and balance sheet to the President of the concerned Farmers' Organisation;

(v) the audit report including the social audit report as mentioned in Rule 23 sub rule 5 shall be submitted to the General Body in its meeting for its approval;

(vi) the Managing Committee of a Farmers' Organisation shall provide the audit report to the General Body, and

(vii) if the overall transactions exceed Rs. 10 lakhs per annum, the Farmers' Organisation shall engage a Chartered Accountant for audit of accounts.

30. **Powers of auditor**. - (l) Every auditor appointed under rule 29 shall have the right of access at all times to books and accounts, vouchers, statements, returns, correspondence, notes or other documents and records and shall be entitled to require from any of the

office bearers of the Farmer Organisation Sabha such information and explanations as the auditor may think necessary for the performance of his duties as auditor.

(2) If the required information and records are not provided to the auditor within a reasonable time not exceeding three days, the fact shall be brought to the notice of the Competent Authority for further appropriate action in the matter. The Competent Authority shall pass an order as he/she may deem fit.

31. **Auditor not to remove any document without permission**. -The auditor shall not remove from the office of the Farmers Organisation any books, vouchers or documents of any kind whatsoever. The auditor may however obtain photocopies or certified copies of such documents and records as may be considered necessary by him for the process of audit report.

32. **Notice of commencement of audit**. -The auditor shall give to the President of the Farmers Organisation not less than one week's notice in writing of the date on which he proposes to commence the audit:

Provided that the auditor may, for special reasons to be recorded in writing give notice of less than seven days for the audit or commence audit without any notice, on the authority of the competent authority.

33. **Certification of accounts and Statements**. -The auditors shall verify and certify the correctness of the Balance sheet, Receipt and Payment Account. Income and Expenditure Account and all other statements and Returns required to be submitted or attached with the final accounts as per relevant accounting rules and other rules.

34. **Auditor's Report**. -(l) As soon as practicable after completion of the audit, the Auditor shall prepare and send a report in form Z- 2 to the Farmers Organisation and to the Competent Authority under the Act.

(2) The report shall be concise but shall contain all relevant facts and shall include *inter alia* the following points -

(a) every sum paid or payable which is contrary to the Act, rules or orders and directives given by the State Government from time to time.

(b) the amount of any deficiency or loss, which appears to have been caused by the negligence or misconduct of any person.

(c) the amount of any sum received which ought to have been but is not brought into account by any person:

(d) the discrepancies noticed, if any, on physical verification of cash securities, stocks and other assets; and

(e) any other material impropriety or irregularity which may have been observed in the accounts other than those mentioned in sub- clauses (a), (b), (c), and (d).

(3) The auditor's report shall also state,

(a) Whether he has obtained all the information and explanations which to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purposes of his audit:

(b) Whether, in his opinion, proper books of accounts as required by the Act and rules made there under, have been kept by the Farmers Organisation :

(c) Whether the Farmers Organisations' balance sheet, income and expenditure account and the receipt and payment account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and other relevant records.

(4) The auditor's report shall be made in the form Z2 and in such other forms as may be determined by the State Government from time to time.

35. **Dissolution of Managing Committee**.- (1) In accordance with Section 40 of the Act before dissolution of a Managing Committee the following steps shall be taken by the Appropriate Authority as mentioned in sub-rule (3):

(i) Issue of show cause notice indicating commission of a gross misappropriation of Government funds;

(ii) Receipt and consideration of the reply from the Managing Committee to the notice so served;

Provided that where the Management Committee fails to reply to the notice issued upon it within forty five days of issuance of such notice, the appropriate authority may proceed to take further action without waiting for the receipt of reply from such Committee.

(iii) Conduct appropriate investigation and enquiry including consultation with the next upper level Farmers Organization or the Canal Officer as the case may be, before proceeding to dissolve the Managing Committee.

(2) On dissolution of the Managing Committee under rule (1), the Managing Committee shall be re-constituted within a period of three months from the date of dissolution.

(3) For the purpose of dissolution of Managing Committee the Appropriate Authority shall be as under;

(i) For Managing Committee of the Project Committee: State Government on recommendation of Chief Engineer

(ii) For Managing Committee of the Distributory Committee: Chief Engineer on recommendation of Superintending Engineer

(iii) For Managing Committee of the Water Users Association: Superintending Engineer on recommendation of the Executive Engineer

36. **<u>Offences and Penalties</u>**: --(1) The Farmers' Organisation shall have a right to take action on any of the offence specified under Section 39 of the Act.

(2) The President of the Farmers' Organisation or his nominees shall give a notice of the offence to the individual.

(3) The individual who has committed the offence shall be given reasonable opportunity, to explain his point of view.

(4) The Managing Committee after examining the material as indicated at sub rule (2) and (3) shall decide, by a majority, the nature and gravity of the offence.

(5) If the offence is proved beyond doubt, the Managing Committee may fix an amount as fine, as specified under Section 42 of the Act and recover it.

(6) The fine amount shall be adequate enough to rectify the tampering or damage in the system, and injury caused to others.

(7) The money recover as per sub-rule (5) above shall be duly acknowledged and accounted for.

(8) In all cases where the damage due to the offence is estimated to be more than Rs.1,000/- a complaint shall be lodged by the President of the Farmers Organisation or his nominee with the concerned authority as per Section 20 of the Code of Criminal Procedure (Cr.P.C.), 1973 for legal action.

37. **Appointment of Competent Authority**- (1) In accordance with Section 28(1) of the Act the following officers of the Water Resources Department shall be the Competent Authority for the Farmers Organisation at all levels;

(i) All Water Users Associations - Sub Divisional Officer.

(ii) Distributory Committee in medium and major irrigation system- –Executive Engineer

(iii) Project Committee in medium irrigation system - Executive Engineer

(iv) Project Committee in major irrigation system – Superintending Engineer

(2) In accordance with sub-rule (1) the concerned Chief Engineer of the Water Resources Department shall notify the names of the Competent Authorities for each level of the Farmers' Organisation for each scheme :

Provided that nothing contained in this rule will affect the powers of the Chief Engineer of the Water Resources Department to accord technical clearance under sub-rule (7) of rule 21.

38. Functions of. Competent Authority. -In the functioning of the Managing Committee of the Farmers Organisation, the Competent Authority, appointed under sub-section (1) of Section 28 of the Act, shall –

(a) attend the meeting convened by the Managing Committee, and participate in the discussions but he has no voting right;

(b) assist in the preparation of maintenance plan;

(c) prepare estimates for works identified for execution; the estimate shall be prepared as per the norms and the rules prescribed by the Water Resources Department in this regard.

(d) accord technical clearance to the maintenance works, as per the powers delegated. The technical clearance shall be limited to the administrative sanctions for the work;

(e) ensure that no alteration or change is made in the irrigation system, with reference to the approved hydraulic particulars;

(f) bring to the notice of Water Resources Department any tampering or changes made in the system, by any Farmers' Organisation in contravention of the hydraulic particulars. He shall ensure that action is taken in accordance with the Act;

(g) provide technical details of the system to the member of the Managing Committee;

(h) assist the. Managing Committee in the preparation and approval of operational plan;

(i) advise and assist on water regulation, based on the water supplies and seasonal condition;

(j) assist in preparing water budgeting for the Farmers' Organisation;

(k) provid overall help and assistance in areas irrigated;

(l) help in training any helper appointed by the Farmers' Organisation in discharging their duties;

(m) guide the Farmers' Organisation in maintaining various registers; and

(n) record measurement for the work done and pass the bills for payments by Farmers Organistaion based on the approved of the works sub-committee.

FORM "A"

NOTIFICATION

[See sub-rule (1) of rule 3]

Whereas, it has been decided to delineate the entire command area into. Water Users' Areas on hydraulic basis and which are found to be administratively' viable;

And whereas, the water users' areas as so divided shall be further divided equally as far as possibly into such number of territorial constituencies for the purpose of forming the Water Users' Associations;

Now therefore under sub-rules..... I, ... the Collector and District Magistrate of .... District! Authorised Officer hereby delineate .... Water Users' Area into .... territorial constituencies, and direct that the maps and sketches indicating the various Water User's Areas and the territorial constituencies shall be displayed on the notice board of the .... Gram Panchayat and on the notice board of the office of the Janpad Panchyat.

Any objections or claims against, the delineation detailed below may be filed before the authorised officer within seven days excluding the date of display on the notice board of the office of Gram Panchayat or the Janpad Panchayat.

.... Irrigation System..................................

Name of Water Users' Association............ Total Nos. of Territorial constituencies.........

.... Name of the Tehsil..............................

Type of the Scheme (Major/Med/Minor)...... Name of Scheme.................................

Total Command Area in Ha..................... Territorial constituency No............................

Sl. No.	Location of Off-Take Sluice	Command Area Survey No.	Command Area Extent in Ha.	Name of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Collector & District Magistrate/Authorised Officer
District..............................

FORM "B"

[See sub-rule 20 of rule 3]

Whereas, the objections received against Form-A displayed on : . . . . (Date) have been considered and thoroughly examined.

And whereas, it is considered that the amendments to Form "A" are considered necessary; and accordingly they are hereby made and revised in the table hereunder.

....	Irrigation System....................................
Name of Water Users' Association..............	Total Nos. of Territorial constituencies.........
....	Name of the Tehsil..................................
Type of the Scheme (Major/Med/Minor)......	Name of Scheme.....................................
Total Command Area in Ha.....................	Territorial constituency No..............................

Sl. No.	**Location of Off-Take Sluice**	**Command Area**		**Name of Village**
		Survey No.	**Extent in Ha.**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**

Collector & District Magistrate
/Authorised Officer
District.................................

FORM "C"

[See sub-rule (1) of rule 4]

Under sub-rule (1) of rule 4 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006), I, ... the Tehsildar of the ....

Tehsil being the Authorised Officer hereby publish the land holders list as in the table below. Any objections or claims.' against the above list may be filed before me within a week from the date .of display of this list.

Name of the water users' association ....

Water Users' Association (Is it LIS and Tubewell or Not)

Name of the village ....Name of the Tehsil ....

Territorial Constituency No. ....(Part No.)..................

Total Territorial Constituencies ....

Type of Scheme Major/Medium/Minor)...................

Name of the Scheme ....

District.. Total Command Area (In Ha.) ....

Territorial Constituencies Position (Head/Middle/Tail reach)..............................

Land Holders List

Sl. No.	Name of the land holder & Father's name	Age	Sex	Spouse' Name	Category (ST/SC/OBC/ General)	Extent of Holding (Ha.)	Khasra No.	Name of the village	Whether Landholder or Water User in other TC? If yes, specify the TC (s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Collector & District Magistrate/Authorised Officer
District............................water User Association

FORM"D"

[See sub-rule (1) of rule 4]

Under sub-rule (1) of rule 4 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006), I, ... the Tehsildar . . . . Tehsil being the Authorised Officer hereby display in this form the list of all the voters who are the land holders (Owner and/or tenant recorded as such in the record of rights under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959) arid have completed eighteen years of age on the date of issue of Notification prepared territorial constituency wise, 'for electing the President and members of the managing committee of the Water Users' Association specified below.

Any objection against the list may be filled before the undersigned within a week for consideration and finalisation.

Name of the water user's association . . . .

Water Users' Association (Is it LIS and Tubewell or Not)

Name of the village . . . .Name of the Tehsil . . . .

Territorial Constituency No. . . ..(Part No.)..

Total Territorial Constituencies .... Type of Scheme (Major/Medium/Minor).......

Name of the Scheme ....

District. . . . . Total Command Area (In Ha.) . . . .

Territorial Constituencies Position (Head/Middle/Tail reach)...................................

List of All Other Water Users'

Territorial Constituency Serial No...............

Sl. No.	Name of the voter	Father's Name	Age	Sex	Spouse' Name	Category (ST/SC/OBC/General)	Land Holder (Land Owner/Tenant)	Name of village	Land Holding		Whether Landholder or Water User in other TC? If yes, specify the TC (s)
									Khasra No.	Extent	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Collector & District Magistrate/Authorised Officer

District.......................................Water Users Association

FORM "E"

[See sub-rule (3) of rule 4]

OBJECTION TO INCLUSION OF NAME

To,
The Authorised Officer,
.... Water User Association.

Sir,

I object to the inclusion of the name of .... at Serial No. . ... in .... Water Users' Association electoral roll for the following reason (s).

I hereby declare that the facts mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

My name has been included in the electoral roll for this Water User Association as follows:

Name (in full) ....

Father's /Mother's/Husband's name..

Caste (SC/ST/OBC/General) ....

Serial No...

Date.................................... **Signature/Thumb Impression of Objector**
(Fun Postal Address)

I am an elector included in the same electoral roll in which the name objected to appear, my serial number therein is .... I support this objection and countersign it:

Signature of the elector
Name (in full)
....

Note. -Any person who makes a statement or declaration which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under provisions of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006).

FORM "F"

[See sub-rule (3) of rule 4]

To,
The Authorised Officer
... .Water User Association.

Sir

I request that my name be included in the electoral roll for the above Water Users' Association.

1. Name (in full)..

2. Father's/Mother's/Husband's name.......................................

3. Caste (SC/ST/OBC/General) ....

4. Particulars of my place of residence are..

   (a) House No.. . . . .
   (b) Street/Mohalla.......................................
   (c) Town/Village..............................
   (d) Post Office . . . .
   (e) Police Station / Tehsil ....
   (f) District.. . . . .

5. Particulars and holding . . . .

   (a) Survey No. . . . .
   (b) Extent.......................................
   (c) Name of the village . . . .
   (d) Name of the Irrigation System . . . .

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief:
(i) that I am a citizen of India;
(ii) that my age on the first day of January 1st/July Ist was . .. .
years and . . .. months;
(iii) that I am water User' of this Water Users' Association at the address given below.

Place ......

Date. . . . .

Signature or thumb impression of claimant

FORM-G

[See sub-rule (3) of rule 4]

APPLICATION FOR DELETION OF ENTRY IN ELECTORAL ROLL

To,
The Authorised Officer,
.... Water User Association

Sir,

I submit that the entry at Serial No. of the .... electoral roll for the Water Users' Association relating to *. Shri/Smt............................... ....*son/wife/daughter... .... of requires to be 'deleted as the 'said person is ' *dead / is not a water user in this Water Users' Association / his name is already included in the voters list at Serial No...................... as such be is not entitled to be registered in the electoral roll for the following reasons.

....

....

....

I hereby declare that the facts mentioned above are tore to the best of my Knowledge and belief.

I declare that I am an elector of this Water Users' Association being enrolled at Serial No.... ......,... of the roll.

Place............

Date................ **Signature/Thumb Impression of Objector**
(Full Postal Address)

Note.-Any person who makes a statement or declaration which is false of which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under provisions of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari, Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006).

Strike out the in appropriate words.

I am an elector..included in the electoral roll of the same Water User's Association in which the claimant has applied for deletion. My Serial No. therein is .... I support this claim and countersign it.

Signature of the elector
Name (in full) ....

Note:-Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under provisions of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam 2006 (Act 7 of 2006).

FORM "H"

[See sub-rule (3) of rule 4]

NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF ELECTORAL ROLL

It is hereby notified for public information that the list of amendments to the draft landholders list, voters list and other water users' list of the Water Users' Association have been prepared in accordance with the Chhattisgarh Sinchai 'Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari' Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006), and a copy of the said lists together with the lists of amendments have been published and will be available for inspection at may office.

Place. . . . . Authorised Officer, ...

Designation

Date. . . . . District.

FORM I

[See sub-rule (5) (i) of rule 4]

DECLARATION

I .... son of Shri ....

.... resident at Door No ....

of.................................. village .... aged about ....
........................years, Caste (SC/ST/OBC/General) ....
hold lands as follows:

Survey No.	Extent in Ha.	Village	Territorial Constituency No.
(1)	(2)	(3)	(4)

I declare that I intended to vote in Territorial Constituency No............

Place.................... Signature...............................

Date....................

To,
The Authorised Officer,
..............................Water User's Area
..............................Tehsil
..............................District

I, the Authorised officer for the .... WUA, do hereby allot........................ Territorial constituency to Shri .... for the following reasons:

1. Based on the applicants request
2. Based on the extent of land held.
3. Others.

Authorised Officer
....

Acknowledgement

Received an application form for exercise of option to territorial Constituency in WUA from Shri ....

Authorised Officer
....

FORM "J"

[See sub-rule (1) of rule 5]

* In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006) the Government hereby delineate the. Distributory areas.................. .... Irrigation System, for the purpose of constituting Project Committees as specified in the table below.

TABLE

Sl. No.	Name of the Distributory Committee	Location of the Off-Take Sluice	Names of the WUAs	Names of the Tehsil	Name of the District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM-K

[See sub-rule (1) of rule 6]

* In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006, (Act 7 of 2006) the Government hereby delineates the project areas for .... Irrigation System, for the purpose of constituting Project Committees as specified in the table below.

.... Irrigation System
.... District

TABLE

Sl. No.	Name of the Distributory Committee	Location of the Off-Take Sluice	Names of the WUAs	Names of the Tehsil	Name of the District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM "L"
[See sub-rule (2) of rule 8]

RECALL NOTICE

The undersigned persons constitute one third of the total number of voters/members of General. Body of the, Water User's Association/Distributory Committee/Project Committee situated in . . . . , ...
Tchsi1/Tehsils . . . . District. We have lost confidence in the President/Member Managing Committee/Chairperson of the said Water Users' Association Distributory Committee /Project Committee. We propose to recall him.

Accordingly it is requested to call for a meeting of the following voters/ Members of the General Body of she said . . . . Water Users' Association/Distributory Committee/Project Committee under sub-rule (4) of rule 8 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (Act 7 of 2006) rules and to move the motion for recall and conduct voting for the purpose of passing a resolution there at date.

Sl. No.	Name	Village	Sl. No. in voters list	Signature
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

To,

The Authorised/ Nominated Officer,

Tehsil/ Office of the Collector and

District Magistrate ……… District

FORM "M"

[See sub-rule (3) of rule 8]

VERIFICATION

I being the authorised Officer/Nominated Officer has received the Recall notice for the purpose of recalling the President/Member of the Managing Committee Chairperson of the . . . . Water users' Association / Distributory Committee Project Committee situated in . . . . Tehsil/ Tehsils District has Verified the signature of the persons subscribe to the recall Notice with the concerned voters list/lists of the concerned General Bodies and found their names give therein to be correct and genuine. Accordingly I proceed to take -further action in the matter.

Authorised Nominated Officer,
Station . . . .
District ....

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
................., Secy.

Form- N

[See sub-rule (6) of rule 21 and sub-rule (5) of rule 27]

REGISTER OF TECHNICAL SANCTION (T.S.) / ADMINISTRATIVE SANCTION (A.S.)

Name of the W.U.A / F.O.....................

WAS/DAS/PAS/WTS/DTS/PTS Sanction No. and year	Sanctioned By	Head of Account	Name of Work	Amount of Estimate	Date of Sanction	Initial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Note:-

W.A.S.	W.U.A.'s Administrative Sanction
W.T.S.	W.U.A.'s Technical Sanction by Competent Authority (Technical)
D.A.S.	Distributory Committee's Administrative Sanction
D.T.S.	Distributory Committee's Technical Sanction by Competent Technical Authority
P.A.S.	Project Committee Administrative Sanction
P.T.S.	Project Committee Technical Sanction by Competent Technical Authority

Form-O

[See sub-rule (1)(i) of rule 27]

REGISTER OF COMPONENT WORKS

Name of the Scheme.......................... **Name of the W.U.A./F.O.................**

SL. No.	Distance from head	Position Right-® Left-(L) Across-(X)	Name and description of work	Reduced levels (m) or ft.			Dimensions (m) or ft.			Slopes of bank number of vents openings	Areas chargable catchment or drainage ha/Km.^{2}	Discharge capacity (Million cum of Mcft)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Canals Channels, aqueducts or super passages	Bed (a) canal (b) drain	(a) FSL of canal (b) MFL of drain	(a) Top of lining (b) Bank/parapet © Flood bank	(a) Canal BW/Bed fall (b) drain BW/bed fall	Depth or height (a) canal (b) side wall	Top width of bank R/L (a) canal (b) flood bank	Front Rear & slopes (a) canal (b) flood bank	(a) Ayacut below (b) drainage area	At (a) FSC of canal (b) MFL of drain	1. In case of regulators & bridges the dimension under
			Drops and canal fallls	Sill or floor	Front (a) Bed (b) FSl	Rear (a) Bed (b) FSl	Length (a) at sill (b) at top	Height of opening vent or notch	Overall length	Number of openings of vents	Ayacut below	At FSL of canal	column (a) should be up to bottom of grider.

Sluices or syphones	Sill or floor	(a) Canal bed From rear (b) Drain bed	(a) Canal FSL From rear (b) Drain MFL	width at sill	Height of vent	Overall length of pipe or barrel	Number of vents	(a) Ayacut (i) parent canal (ii) offtake canal	(a) At FSL (i) parent canal (ii) offtake Canal (b) At MFL of drain	2. The allbrivation toiloring FSC Full supply level MFL Maximum flood
Inlets outlets escape, sluices	Crest or sill	MFL (a) above (b) below	Top (a) Canal bank (b)Canal bank operation	Widht of wall (top/bottom of vent)	Height of wall or vent	Overall length	Number of vents	Drainage area	(a) At MFL (b) At FSL	level B/W Bed width R/L Right Left.
Regulators and bridges	Crest or sill	FSL (a) above (b) below	(a) Platform (b) Road	Width of (a) vent (b) road way	Height of (a) vent (b) parapet	Overall length	(a) Number of vents (b) type of gates	Villages connected	At FSl	----------

FORM –P
[See sub-rule (1)(ii) of rule 27]

,REGISTER OF BUILDINGS & LAND

Name of the W.U.A./F.O. ....

			Building Type									Lands		Rent/ Auction Amounts Realised			
S. No.	Village & S.No. Location -on	Name Description	Walls	Floor	Roof	Plinth in sft	Land	Standard Rent	Canal Drain	Reach	S.No.	Extent	Type Wet/Dry waste Barren	Remarks	1997	1998	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

FORM -Q

[See sub-rule (1)(iii) of rule 27]

REGISTER OF TREES-GRASS -OTHER MISCELLANEOUS PROPERTIES

Name of the W.U.A./F.O...

S. No.	M.P. Item No.	Tank Bund Canal Bank RF-LF Reach From-To	Details of M.P, Items									Year-wise collection			
			Location	No. of Tree	Name of Tree	Girth & Rft. Of Trunk	Grass or lulieflora	Fish	Born	Others	Min. Rent /Bid fixed	1997	1998	2006	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)

Form- R

[See sub-rule (1)(iv) of rule 27]

REGISTER OF MACHINES

Name of the W.U.A.....................

S. No.	Name of Machine	Make & Model	H.P. of Machine	Year of Purchase	Original Book Value	Hire Charges per km. Hour	Working Condition	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORM -S

[See sub-rule (3)(i) of rule 27]

RESERVOIR GAUGE-DISCHARGE REGISTER

Name of Reservoir/Tank......................... **Name of the W.U.A./F.O..**

F.T.L.........MWL.....TBL.......

Date	Reservo-ir level to 8 A.M	Capacity in Mcft.	Front Guage	Rear Gauge	Head Sluice (1) Sluice (2)				Spilway/surplus weir				Evaporation		Total out flow Mcft.	Rainfall	Rise/fall of Res. Level in ft.	Net Impounding depletion Mcft.	Total Inflow Mcft.	Net Utilisation Mcft.	Rema-rks
					Vent way & opening	head	Discharge cusecs	Mcft.	Head over crest	vent way & opening	Discharge cusecs	Mcft	In ft.	in Mcft							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Form- T

[See sub-rule (3)(ii) of rule 27]

CANAL GAUGE-DISCHARGE REGISTER

Name of the W.U.A/ F.O........

Name of parent canal/Distributory......

AT START	AT END
Bed width..............	Bed width............
Full Supply Depth ...	Full Supply Depth ...
Gauge	Gauge ....
Discharge...............	Discharge...............

Date	Time	Gauge @ Start of F. O.	Discharge in Cusecs	Gauge @ end of F. O.	Discharge in cusecs	Discharge	
						In cusecs	In Mcft.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Form- U

[See sub-rule (4)(i) of rule 27]

COMMAND AREA REGISTER

Name of Source .... Name of the W.U.A / F.O................

S. No.	Name of the Land Holder/Father's Name	Name of village	Survey Number	Extent of Command Area	Total	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Form-V

[See sub-rule (4)(ii) of rule 27]

REGISTER OF IRRIGATED AREAS AND DEMANDS

Name of Source .... Name of the W.U.A. ....

S. No.	Name of the Land Holder/Father's Name	Survey No.	Extent of holding	Actual area Irrigated	Type of Crop	Nos. of Watering	Water Charge Rate	Assessment Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORM W

[See sub-rule (6)(i) of rule 27]

CASH – BOOK

Name of the W.U.A./F.O.....................................

Date of Receipt	No. of Temporary Receipt if any with date	No. of Vouchers received	From whom received	Amount	Head of Account	Details of Receipt	Dated Initials	Date of Payment	Voucher No.	To whom paid	Cash	Cheque	Head of Account	Details of Payment	Dated Initials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

FORM-X

[See sub-rule (6)(ii) of rule 27]

ORIGINAL
TEMPORARY RECEIPT
(Stamp of Farmers Association)

Book No............................

Receipt No........................ Date.................................

Received Rupees...

....

From Shri..

S/o...

R/o...

Towards the ....

....

Place:

Date:

Signature Authorised
Authority of the Farmers
Association

DUPLICATE
TEMPORARY RECEIPT
(Stamp of Farmers Association)

Book No....................................

Receipt No................................ Date................................

Received Rupees...

....

From Shri..

S/o...

R/o...

Towards the ....

....

Place:

Date:

Signature Authorised
Authority of the Farmers
Association

FORM-X - 1
[See sub-rule (7) of rule 28]

ORIGINAL
TEMPORARY RECEIPT
(Stamp of Water Users' Association)

Book No............................
Receipt No...........................   Date...............................
Received Rupees..
....
From Shri...
S/o...
R/o...
Towards the ....
....

Place:

Date:

Signature
Member of Managing Committee of
Water Users' Association with Stamp

DUPLICATE
TEMPORARY RECEIPT
(Stamp of Water Users' Association)

Book No.
Receipt No...........................   Date...............................
Received Rupees..
....
From Shri...
S/o...
R/o...
Towards the ....
....

Place

Date:

Signature
Member of Managing Committee of
Water Users' Association with Stamp

FORM-X – 2
[See sub-rule (7) of rule 28]

ORIGINAL
RECEIPT
(Stamp of Water Users Association)

Book No.. ....
Receipt No.......................... Date.................................
Received Rupees..
....
From
Shri...(Name
of the Member of Managing Committee of Water Users' Association)...
S/o..
R/o..
Towards the ....
....

Place

Date:

Signature
PRESIDENT
of the Water Users Association with
Stamp

DUPLICATE
RECEIPT
(Stamp of Water Users Association)

Book No.
Receipt No.......................... Date.................................
Received Rupees..
....
From Shri...
(Name of the Member of Managing Committee of Water Users' Association)
S/o...
R/o..
Towards the ....
....

Place

Date:

Signature
PRESIDENT
of the Water Users Association with
Stamp

FORM-X – 3

[See sub-rule (7) of rule 28]

ORIGINAL
RECEIPT
(Stamp of Competent Authority/Sub-Divisional Officer)

Receipt No........................ Date..................................

Received Rupees...
....
From
Shri...(Name
of the President of Water Users' Association)...
S/o..
R/o..
Towards the ....
....

Place: Signature
Date: Competent Authority/Sub-Divisional
Officer with Stamp

DUPLICATE
RECEIPT
(Stamp of Competent Authority/Sub-Divisional Officer)

Book No........................ Date..................................
Receipt
No.........................

Received Rupees...
....
From Shri...

(Name of the President of Water Users' Association)
S/o..
R/o..
Towards the ....
....

Place: Signature
Date: Competent Authority/Sub-Divisional
Officer with Stamp

Form X-4
(See Subrules (6) (iii) of Rule 27)

Issue of Receipt Books

Name of WUA..

S. No.	Receipt Book No.	Pages	Issued to		Acknowledgement
			Name of T.C. member	Name of T.C.	
1	2		3	4	5

FORM-Y

See sub-rule (6)(iii) of rule 27]

Bill Register

Name of W.U.A./F.O. ....
....

S.No.	Date of Submission and Despatch No.	Name of the Work	Amount of Estimate	Ref. To Sanction	Amount of bill	M.B. No. and Page	Name of the Agency	Initial
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM-Z

[See sub-rule (6)(iv) of rule 27]

Register of Cheque Memo Register

Name of W.U.A./F.O......................

....

S. NO.	To whom the Cheque issued	Name of the Work	Cheque No. & Date	Amount of Cheque	Cheque Book No.	Amount of Budget	Balance Amount	Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM

[See sub-rule (6)(v) of rule 27]

Special Fee Register

Name of W.U.A./F.O............

....

S. NO.	Date	Description of Special Fee	Period	From whom collected	Amount	Temp. Receipt No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM NO. Z-2

[See sub-rule (1) of rule 34]

AUDITOR'S REPORT OF THE ACCOUNTS OF FARMERS ORGANISATION........... FOR THE YEAR ENDED ON.......... have audited the attached Balance Sheets of ....Farmers Organisation as at 31st March............the Income and Expenditure Account and payment. Account for period on that date, annexed thereto:

Report as follows:

1. I have obtained all the information and explanation which to the best of my knowledge and belief, were necessary for the purpose of audit.

2. In my opinion, proper books of accounts and other records required by the Act and rules have been kept by the ...Farmers Organisation so far as appears from my examination of such books and records.

3. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and the Receipt and ...Farmers Organisation Account referred to in this report are in agreement with the Books of Account referred to in this report.

4. All the payment made by the ...Farmers Organisation are in accordance with the law and within the authority of the ...Farmers Organisation except............................ [report contrary payments if any) .

5. No deficiency or loss appears to have been caused by the negligence or misconduct of any person except.................[report if deficiency/fraud, loss etc. detected).

6. All the sum ought to have been received by ...Farmers Organisation have been brought into account; except..............[report accounted receipts, If any)

7. No material Impropriety or Irregularity was observed except, those reported as above.

8. All the grants received by ...Farmers Organisation have been utllised and applied In accordance with the terms of sanction and attached conditions except.......................[report, misutilisation /un-authorised diversions etc.)

9. I have discussed the Irregularities, discrepancies and other objections with the President of the ...Farmers Organisation and settled all possible objections except (report In brief main unsettled objections).

10. In my opinion and to the best of my information and according to the in explanations give and subject the detailed report, annexed hereto the said accounts gives a true and fair view:-

(i) In the case of Balance Sheet, of the state of affair of the ...Farmers Organisation as at 31st March..........

(ii) In the case of Income and Expenditure Account of the Surplus/ Deficit of Income over expenditure for the period ended on that date; and

(iii) In the case of Receipt and Payment Account of all the receipts and payments of the Gram Sabha for the period ended on that date.

Signature of Auditor

Place:

Dated

Name

Designation

Place of posting

Seal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

"छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006"

विषय सूची

खण्डः—

अध्याय — एक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —
2. परिभाषा —

अध्याय दो

निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासकीय तंत्र

3. निर्वाचनों के संचालन के लिये :—
4. जिला निर्वाचन प्राधिकारी —
5. निर्वाचन अधिकारी —
6. सहायक निर्वाचन अधिकारी —
7. सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा —
8. निर्वाचन अधिकारी का सामान्य कर्त्तव्य —
9. मतदान केन्द्र —
10. पीठासीन अधिाकरी तथा मतदान अधिकारी —

अध्याय — तीन

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों और कृषक संगठन में आरक्षण

11. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आरक्षण अवधरित करने की कलेक्टर की शक्ति —
12. [illegible] और योजना समिति में आरक्षण —

अध्याय — चार

[illegible] संस्था के लिये निर्वाचन नामावली

13. जल उपभोक्ता [illegible] के लिये निर्वाचन नामावली —
14. नामावली की [illegible]
15. नामावली की [illegible] तैयार करना —
16. निर्वाचन नामावली [illegible] की बिक्री व संरक्षण

अध्याय – पॉच

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष का निर्वाचन

17. निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सूचना –
18. विशेष निर्वाचन कार्यक्रम
19. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन
20 नामनिर्देशन पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं –
21. प्रतिभूति निक्षेप –
22. नामनिर्देशनों का प्रकाशन –
23. नामनिर्देशन–पत्रों की जांच –
24 अभ्यर्थिता वापस लेना –
25. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन –
26. अविरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा –
27. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु –
28. अभिकर्ताओं की नियुक्ति –
29. मतदान –
30. मताधिकार
31. मतदान केन्द्र की व्यवस्था –
31–A मतपेटियों का तैयार किया जाना –
32. मतपत्र का प्ररूप –
33. मतपत्र का जारी किया जाना –
34. निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने तथा मतदान की प्रक्रिया –
35. दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाता –
36. महिला निर्वाचकों को सुविधाएं –
37. निर्वाचकों की पहचान –
38. निविदत्त मत –
39. पहचान को चुनौती –
40. प्रतिरूपण के विरूद्ध संरक्षण –
41. खराब तथा वापस लिया गया मतपत्र –
42. मतदान बंद किया जाना और मतदान के पश्चात् मतपेटियों और लिफाफों को सील करना –
43. मतपत्रों, मतपेटियों, पैकटों आदि का लेखा –
44. मतपेटियों को खोलने की जांच तथा मतों की गणना –
45. गणना के लिये स्थान पर प्रवेश –

46. मतपत्रों का रद् किया जाना –

47. मतों की पुनर्गणना –

48. मत बराबर होना –

49. मतों की गणना के समय विघ्न –

50. उपयोग किये गये मत–पत्रों को सीलबंद करना –

51. मतपत्रों का कपड़े के थैले (बैग) में अंतरण –

52. नए मतदान की दशा में मतों की गणना –

53. परिणाम की घोषणा –

54. निर्वाचन प्रमाण–पत्र का प्रदान करना –

55. परिणाम का प्रकाशन –

56. मतपत्रों का निपटारा–

57. आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन –

58. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना, –

59. कतिपय मामलों में सरकार की शक्ति.–

60. कतिपय मामलों में तारीख आदि नियत करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति.–

अध्याय – छह

प्रबंध समिति के सदस्य तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

61. से 71.

अध्याय– सात

प्रबंध समिति के सदस्य और परियोजना समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

72. से 82.

प्ररूप

प्ररूप 1 –

प्ररूप 2 –

प्ररूप 3 – नाम निर्देशन पत्र

प्ररूप 4 –

प्ररूप 5 – विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

प्ररूप 6 – नाम वापसी की सूचन

प्ररूप 7 – अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

प्ररूप 8 – निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

प्ररूप 9 – निर्वाचन नियमों के नियम 20 (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

प्ररूप 10 – निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

प्ररूप 11 — मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

प्ररूप 12 —

प्ररूप 13 — निविदत्त मतपत्रों की सूची

प्ररूप 14 — चुनौती दिए गये मतों की सूची

प्ररूप 15 — भाग — 1 मतपत्र लेखा

भाग — 2 गणना परिणाम

प्ररूप 16 — अंतिम परिणाम पत्रक

प्ररूप 17 — अंतिम परिणाम पत्रक

प्ररूप 18 — निर्वाचन प्रमाण पत्र

प्ररूप 19 —

प्ररूप 20 — नाम निर्देशन–पत्र

प्ररूप 21 —

प्ररूप 22 — जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

प्ररूप 23 — अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

प्ररूप 24 — अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

प्ररूप 25 — निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

प्ररूप 26 — मतपत्र

प्ररूप 27 — मतप

प्ररूप 28 — निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

प्ररूप 29 —

प्ररूप 30 — निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्देशन–पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का विनिश्चिय

प्ररूप 31 — निर्देशनों की सूची

प्ररूप 32 — जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

प्ररूप 33 — अभ्यर्थी द्वारा दी गई अभ्यर्थीता वापसी की सूचना

प्ररूप 34 — अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

प्ररूप 35 — निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

प्ररूप 36 — मतपत्र

प्ररूप 37 — [illegible]

प्ररूप 38 — निर्वाचन नियमों के नियम 73 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7, सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

अध्याय — एक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे.

परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006);

(ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;

(ग) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, निर्वाचन लड़ने वाला कोई व्यक्ति;

(घ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए जिले का कलेक्टर;

(ड) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) "रिटर्निंग अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी;

(छ) "मतदाता सूची" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची.

(ज) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस नियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं वहीं अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) एवं छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम में है।

अध्याय दो

निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासकीय तंत्र

3. **निर्वाचनों के संचालन के लिये** :— (1) अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त किया गया, शासन के सचिव, उसकी अधिकारिता के भीतर निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजन के लिए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी होगा.

(2) कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन संचालित किए जाएंगे.

(3) जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा. इन नियमों के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा भी उसकी अधिकारिता के भीतर किया जा सकेगा, जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए.

(4) जिले का अपर कलेक्टर अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा. जिले में यथा स्थिति तहसीलदार या अनुविभागीय (सब–डिवीज़नल) अधिकारी (राजस्व) उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा.

(5) अपर ज़िला निर्वाचन प्राधिकारी और उप ज़िला निर्वाचन प्राधिकारी, ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो उन्हें जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं जिला निर्वाचन प्राधिकारी उस क्षेत्र की किसी जल उपभोक्ता संथा वितरिका समिति या परियोजना समिति के बारे में इन नियमों के अधीन उसमें निहित की गई शक्तियों में से किसी भी शक्ति का जिले में किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए अपर जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा.

4. **जिला निर्वाचन प्राधिकारी** — संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी प्रबंध समिति के सदस्यों, जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति के **अध्यक्ष** और सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्यों के संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा.

5. **निर्वाचन अधिकारी** — प्रबंध समिति के सदस्य तथा जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष के स्थानों के भरने के लिए और परियोजना की प्रबंध समिति के **अध्यक्ष** और सदस्य के पद के प्रत्येक निर्वाचन के लिए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो यथा संभव राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी होगा जो तहसीलदार का पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.

6. **सहायक निर्वाचन अधिकारी** —जिला निर्वाचन प्राधिकारी, किसी निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा;

परंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी होगा.

7. **सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों का पालन** — निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा.

परंतु कोई भी सहायक निर्वाचन अधिकारी के ऐसे किन्हीं भी कृत्यों को, जो नामनिर्देशन की संवीक्षा से संबंधित है, तब तक नहीं करेगा जब तक कि निर्वाचन अधिकारी, उक्त कृत्यों का पालन करने से अपरिहार्यतः निवारित न किया जाए.

8. **निर्वाचन अधिकारी का उपबंधित रीति में कार्य** — किसी भी निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि समस्त ऐसे कार्य और बातें करें जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन उपबंधित की गई रीति से निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हों.

9. **मतदान केन्द्र** — जिला निर्वाचन प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं, उतने मतदान केन्द्र उपलब्ध कराएगा, जितने कि निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों और मतदान केन्द्रों और उन क्षेत्रों या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए उन्हें क्रमशः उपलब्ध कराया गया है, दर्शाते हुए एक सूची ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा, जैसा कि निर्वाचन प्राधिकारी निर्देश दें.

10. **पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी** — (1) जिला निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे अन्य मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, किंतु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया गया है या जो अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है :

परंतु यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है या अन्यथा कार्य कर रहा है, भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तद्नुसार निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर सकेगाः

परंतु यह और भी कि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष के लिये मतदान का संचालन करने के लिये नियुक्त किया गया मतदान कार्मिक या इस नियम के अधीन उसके द्वारा निर्मित प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी भी किसी अन्य निर्वाचक पद हेतु जिसके लिए कि साथ–साथ निर्वाचन संपादित किया जाना है मतदान संचालित करा सकेगा.

(2) मतदान अधिकारी, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे ऐसा निर्देशित किया जाए, तो इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा.

(3) यदि कोई पीठासीन अधिकारी बीमारी के कारण या अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहता है तो उसके कृत्य का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा, जिसे कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी किसी अनुपस्थिति के दौरान से कृत्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, किया जायेगा.

(4) पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र पर लोक व्यवस्था बनाये रखें और यह देखें कि मतदान निष्पक्ष रीति से संपन्न हो.

अध्याय – तीन

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों और कृषक संगठन में आरक्षण

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आरक्षण अवधारित करने की कलेक्टर की शक्ति –

(1) धारा 5 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को कलेक्टर द्वारा अवधारित किया जायेगा जिसमें/जिनमें महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे।

(2) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या जल उपभोक्ता क्षेत्र की ऐसी जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के कुल जल उपभोक्ताओं के अनुपात में होगी। आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा और आधे या आधे से अधिक का एक माना जायेगा।

(3) अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को यथा साध्य उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किया जाएगा जिसमें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के जल उपभोक्ताओं की कलेक्टर द्वारा निकाली गई प्रतिशतता उसके द्वारा अवरोही क्रम में तत्स्थानी रूप से अधिक पाई जाए।

(4) धारा 5 की उपधारा (13) के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से उतनी संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे, जिनका यथाशक्य निकटम अनुपात महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के साथ वही होगा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जल उपभोक्ता क्षेत्र में कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के साथ है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं लिये स्थान उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों के लिये और/या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से आवंटित किये जाएंगे। सामान्य प्रवर्गों की महिलाओं के लिये स्थानों को शेष रहे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से आवंटित किया जायेगा।

(5) (क) विहित प्राधिकारी उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को, जिसमें उपनियम (4) के अधीन स्थान आवंटित किये जाएंगे, नियत करने के प्रयोजन के लिये अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये पृथक–पृथक रूप से लॉट निकालेगा।

(ख) वार्डों के आवंटन के प्रयोजन के लिये विहित प्राधिकारी संबंधित जल उपभोक्ता संथा के मुख्यालय पर सहजदृश्य स्थान पर एक सूचना यह दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा कि लॉट उस कार्यालय से जिसका नाम ऐसी सूचना में दिया जायेगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तथा समय पर ऐसे व्यक्तियों के सामने निकालेगा जो लॉटों के निकालने के साक्ष्य के रूप में उपस्थित हों।

(ग) महिलाओं के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन के प्रयोजनों के लिये सामान्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों तथा/या अनुसूचित जनजातियों तथा/या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पृथक–पृथक पर्चियाँ तैयार की जायेंगी तथा ऐसी प्रत्येक पर्ची पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पृथक–पृथक क्रमांक लिखे जायेंगे। सामान्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अभिप्रेत समस्त पर्चियाँ एक बर्तन में रखी जायेंगी तथा आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अभिप्रेत पर्चियाँ पृथक/बर्तनों में रखी जायेंगी। सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिये स्थानों के आवंटन के लिये उतनी पर्चियाँ निकाली जायेंगी जितनी कि अपेक्षित हों तथा पर्ची में लिखे गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक पर्ची निकालते समय उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष पढ़कर सुनाये जायेंगे। यही प्रक्रिया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा/या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन के लिये बर्तन में से पर्ची निकालने के निये अपनाई जायेगी।

(घ) कार्यवाहियाँ लेखबद्ध की जायेगी तथा विहित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगी। ऐसी कार्यवाहियों पर कम से कम दो अशासकीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर लॉट निकालने की साक्ष्य के बतौर भी अभिप्राप्त किये जायेंगे। उनके हस्ताक्षर के नीचे उनके नाम और पते भी लिखे जायेंगे।

(ङ) जल उपभोक्ता संथा के पश्चात्‌वर्ती सामान्य निर्वाचन में उन स्थानों के प्रवर्गों के लिये, जो लॉट निकालकर तथा चक्रानुक्रम में आरक्षित किये जाते हैं उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को, जो पूर्व में आरक्षित किए गए हैं उस प्रवर्ग हेतु लॉट निकालने से तब तक के लिये छोड़ दिया जाएगा जब तक कि ऐसे समस्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग न कर लिया जाए।

(च) अधिनियम की धारा 5 (11) के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण किसी भी दशा में जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के कुल स्थानों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

12. **वितरिका और योजना समिति में आरक्षण** – (1) अधिनियम की धारा 8 (6) और धारा 11 (6) के अनुसार वितरिका समिति और योजना समिति की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या क्रमशः वितरिका और योजना क्षेत्र की ऐसी जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के कुल जल उपभोक्ताओं के अनुपात में होगी। आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा और आधे या आधे से अधिक का एक माना जायेगा।

(2) उपनियम 1 के अनुसार और अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार वितरिका समिति और योजना समिति की प्रबंध समिति में आरक्षण अवधारित करेगी।

अध्याय – चार

जल उपभोक्ता संथा के लिये निर्वाचन नामावली

13. जल उपभोक्ता संथा के लिये निर्वाचन नामावली –

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 के नियम 4 के अंतर्गत बनायी गयी मतदाता सूची का ही जल उपभोक्ता संस्था के निर्वाचन नामावली के रूप में प्रयोग होगा।

14. नामावली की भाषा –

नामावली हिंदी में होगी, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य भाषाओं में भी बनाया जा सकता है।

15. नामावली की प्रतियां तैयार करना –

चुनाव संपन्न कराने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्वाचन नामावली की जितनी प्रतियों की आवश्यकता होगी, उतनी प्रतियां तैयार की जावेगी।

कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी जल उपभोक्ता संस्थाओं की निर्वाचन नामावली की एक प्रति अभिलेख हेतु कलेक्टर के कार्यालय में रखी जावेगी। किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी जल उपभोक्ता संस्थाओं के निर्वाचन संस्थाओं के निर्वाचन नामावलियों की एक प्रति संबंधित जल उपभोक्ता संस्था के कार्यालय में रखी जावेगी।

16. निर्वाचन नामावलियों की बिक्री व संरक्षण

(1) कलेक्टर द्वारा प्रक्रिया निर्धारण के पश्चात् समय–समय पर निर्वाचन नामावली की प्रतियां आम जनता को बेची जावेंगी व इससे प्राप्त आय को सरकार द्वारा इस मद हेतु निर्धारित खाते में जमा कराया जायेगा।

(2) एक प्रति कलेक्टर के कार्यालय में इसके अंतिम प्रकाशन के पांच वर्ष तक या नये नामवली का प्रकाशन – इन दोनों में से जो भी पहले हो तक रखा जावेगा।

अध्याय – पॉच

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष का निर्वाचन

17. **निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सूचना** – (1) अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् और जल उपभोक्ता संथा की अवधि का अवसान होने पर या मृत्यु, त्याग–पत्र या वापिस बुलाने पर ऐसे पद की रिक्ति होने पर जल उपभोक्ता संथा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन किया जाएगा.

(2) संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में तथा अनुकूल इस निमित्त जारी किए जाएं. अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुरूप जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन के लिए प्ररूप 1 में सूचना प्रकाशित करेगा.

(3) व्यतिक्रमी सूची, प्ररूप 1 में सूचना के प्रकाशन की तारीख के 15 दिन अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी.

स्पष्टीकरण : व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के अधीन उससे शौध्य किसी राशि का 3 वर्ष या अधिक कालावधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है.

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी होने पर जल उपभोक्ता संथा के निर्वाचन के लिए प्ररूप–2 में हिंदी भाषा में सार्वजनिक सूचना देगा जो मुख्य स्थानों पर ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें.

(5) निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए नियत तारीखें, निम्नलिखित के अध्यधीन होगी:–

(क) नाम निर्देशन–पत्र भरने की अंतिम तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के पश्चात् चार दिन से पूर्व की और दस दिन के पश्चात् की नहीं होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

(ख) नाम निर्देशन–पत्रों की जांच की तारीख, नामनिर्देशन–पत्र भरने की अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन की होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

(ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तथा समय नामनिर्देशन–पत्रों की जांच के लिए नियत दिन के बाद आने वाले तीसरे दिन के अपरान्ह तीन बजे के पश्चात् का नहीं होगा, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

(घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको/जिनको कि मतदान किया जाएगा, वह तारीख या उन तारीखों में से प्रथम तारीख ऐसी तारीख होगी जो अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात् से दसवें दिन से पूर्व की नहीं होगी;

(ङ) मतदान, नियत दिन को पूर्वान्ह 8 बजे प्रारंभ होगा और अपरान्ह 2 बजे समाप्त होगा, मतदान के ठीक बाद, मतगणना प्रारंभ होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

18. **विशेष निर्वाचन कार्यक्रम** – इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्वाचन प्रक्रिया में कोई व्यवधान होता है या किसी न्यायालय के आदेशों के कारण या लेखबद्ध किए जाने वाले अन्य वैध कारणों से निर्वाचन कार्यक्रम को परिवर्तित किया जाना हो तो निर्वाचन प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह या तो सामान्यतया या विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा के संबंध में निर्वाचन कार्यक्रम को, नियम 17 के उपनियम (5) को ध्यान में लाए बिना, इस प्रकार परिवर्तित करे, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे और निर्वाचन अधिकारी उसे प्रभावी करेगा :

परंतु जहां नामनिर्देशन से प्रारंभ होने वाले निर्वाचन कार्यक्रम इस नियम के अधीन पुनः अधिसूचित किया जाता है तो पूर्व में किए गए नाम निर्देशन अग्राह्य हो जाएंगे और नियम 21 के अधीन जमा राशि यदि कोई हो, लौटा दी जाएगी.

19. **अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन** – (1) कोई भी व्यक्ति, जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष और परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित है, प्रत्येक नाम निर्देशन–पत्र जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 3 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 20 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 30 में होगा और अभ्यर्थियों और उनके प्रस्तावक द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित करके और नियत तारीख को या उसके पूर्व विनिर्दिष्ट समय के बीच **(नियम 17 के उपनियम (5))**अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा. अभ्यर्थी, नाम निर्देशन–पत्र पर घोषणा पर, हस्ताक्षर करेगा.

(2) **जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के सदस्य या अध्यक्ष और परियोजना समिति के सदस्य या अध्यक्ष के पद के अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक वे व्यक्ति होंगे जिनके नाम क्रमशः उस जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति या परियोजना समिति की मतदाता सूची में पंजीकृत हों.**

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी का पृथक् से नामनिर्देशन–पत्र पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(4) किसी अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचक पद के लिए एक से अधिक प्रस्तावकों द्वारा अलग–अलग रूप से एक पृथक् नाम निर्देशन प्ररूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

परंतु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन–पत्र नहीं भरे जाएंगे.

20. **नामनिर्देशन पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं** –

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी, नियम तारीख को या उसके पूर्व या तो स्वयं या उसके प्रस्तावक द्वारा प्ररूप 3 में सम्यकरूप से पूर्ण और अभ्यर्थी द्वारा और प्रस्तावक के रूप में संबंधित जल उपभोक्ता संथा के पात्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन–पत्र नियम 17 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान और स्थान पर प्राधिकृत निर्वाचन अधिकारी को देगा.

(2) पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उन्हें तत्काल उस क्रम में जमाएगा जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गये और जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 3 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 20 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 30 में यथा उपबंधित रसीद देगा और निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति इस बात से स्वयं का समाधान कर लेगा कि नामनिर्देशन–पत्र में यथा दर्ज अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम तथा उनका संख्यांक, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम तथा संख्यांक के अनुरूप ही है। जहां आवश्यक हो वहां वह यह निर्देश दे सकेगा कि नामनिर्देशन प्ररूप को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिससे वह निर्वाचक नामावली के अनुसार हो सके।

(3) निवार्चक अधिकारी, ज बवह मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का निर्वचन कर रहा हो तो वह केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देगा, किन्तु नामनिर्देशन की छानबीन पर उसे औपचारिक रूप से स्वीकृत या नामंजूर करते समय वह अपने द्वारा अंगीकृत निर्वचन को उसके लिये कारण देते हुये अभिलिखित करेगा।

21. **प्रतिभूति निक्षेप** — (1) (क) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिये कोई भी अभ्यर्थी तब तक सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसने अपना नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय के पूर्व निर्वाचन अधिकारी के पास प्रतिभूति निक्षेप के रूप में दो सौ रूपये की राशि नकद जमा न की हो या करवाई हो और उसके लिये रसीद अभिप्राप्त न की हो।

(ख) वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य दोनों ही पद पर निर्वाचन लड़ने की वांछा रखने वाला अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी के पास क्रमशः रू. 500 (पांच सौ रूपये) और रूपये 300 (तीन सौ रूपये केवल) की राशि नकद प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेगा या जमा करवाएगा । कोई भी अभ्यर्थी तब तक सम्यक्रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने उक्त प्रतिभूति निक्षेप जमा न कर दिया हो ।

(ग) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य के पदों पर, निर्वाचन लड़ने की वांछा रखने वाला अभ्यर्थी, नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय के पूर्व निर्वाचन अधिकारी के पास क्रमशः रूपये 1000 (रूपये एक हजार केवल) और रूपये 600 (रूपये छह सौ केवल) नकद राशि प्रतिभूति निक्षेप और उसके लिये अभिप्राप्त की गई रसीद जमा करेगा या जमा करवाएगा । कोई भी अभ्यर्थी तब तक सम्यक्रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसने पूर्वोक्त प्रतिभूति निक्षेप न कर दिया हो :

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन–पत्रों में नामनिर्दिष्ट किया गया हो वहां उससे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) यदि उस निमित्त नियत किये गये समय के भीतर कोई नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप जमा किया गया है या ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसका नामनिर्देशन रद् हो गया है या यदि वह नियम–24 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, संबंध में जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि उस व्यक्ति को तत्काल लौटा दी जायेगी । जिसके द्वारा वह जमा की गई हो यदि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी अभ्यार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कोई प्रतिभूति निक्षेप की राशि, जो उसके द्वारा जमा की गई हो उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दी जाएगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं की गई हो तो उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेत्र जमा किया जा चुका हो, निर्वाचित नहीं होता है और उसे मतदान में प्राप्त वैध मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतदान में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या के एक अष्टमांश (1/8) से अधिक नहीं है तो उसका जमा प्रतिभूति निक्षेप सरकार को समपहृत हो जाएगा।

(4) किसी अभ्यर्थी के संबंध में जमा प्रतिभूति निक्षेप, यदि उसे उपनियम (3) के अधीन समपहृत नहीं किया गया है तो वह यथास्थिति अभ्यर्थी को या उस व्यक्ति को, जिसने कि उसकी ओर से उसे जमा किया हो, नियम–52 के अनुसार निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन के भीतर लौटा दिया जाएगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन किसी व्यक्ति को लौटाये जाने के लिये अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वैध प्रतिनिधि को लौटाया जाएगा।

(6) इन नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा, निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के तुन्रत पश्चात् एक आदेश पारित करेगा कि क्या उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप वापिस किया जाएगा या समपहृत किया जाएगा । संबंधित जल उपभोक्ता संथा का सक्षम प्राधिकारी, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप किया है या उसके वैध प्रतिनिधि को प्रतिभूति निक्षेप लौटा देगा, यदि ऐसा प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदेय है। उस नियम (2) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण की दशा में, निर्वाचन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप जमा किया है ऐसे समपहरण के लिये कारणों को देते हुये एक आदेश संसूचित करेगा।

(7) यथास्थिति, जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति में जमा निर्वाचन प्रतिभूति निक्षेप, आक्षेप फीस आदि के मुद्दे प्राप्त की गई रकमें, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों में उपबंधित किसी कारण के लिये संबंधित व्यक्ति को किये गये किन्ही प्रतिदायों की कटौती करने के पश्चात् सरकारी खाते में विप्रेषित की जाएगी।

22. **नामनिर्देशनों का प्रकाशन** — उक्त प्रयोजन के लिये नियत की गई तारीख पर, नाम निर्देशन–पत्रों की प्राप्ति के लिये विनिदष्ट समय का अवसान होने के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, प्राप्त किये गये समस्त नामनिर्देशनों की एक सूची, जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 4 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 21 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 31 में हिन्दी भाषा में उसके कार्यालय में एक सूचना सहित प्रकाशित करेगा कि विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख औरं समय पर नामनिर्देश पर जांच के लिये निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिये जायेंगे ।

23. **नामनिर्देशन–पत्रों की जांच** — (1) नामनिर्देशन की जांच के लिए नियम की गई तारीख पर अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा कि नियम 23 के अधीन विनिर्दिष्ट किया जो उपस्थित हो सकेगा. कोई अन्य व्ययक्ति उपस्थित होने के लिए हकदार नहीं होगा. तथापि निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्तियों को उसकी सहायता करने के लिये प्रवेश दे सकेगा. जैसा कि वह उचित समझे. निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन–पत्रों की, जो कि पूर्वोक्तानुसार प्राप्त किए गए हैं, जांच करने के लिये समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा.

(2) निर्वाचन अधिकारी तब नामनिर्देश–पत्रों की जांच करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों पर, जो कि किसी नामनिर्देशन पर कि जाए विनिश्चय करेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्व–प्रेरणा से संक्षिप्त जांच के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, किसी नाम निर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थात :–

(क) अभ्यर्थी, अधिनियम की धारा 19 के अधीन, यथा स्थिति जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में और परियोजना समिति के **अध्यक्ष** के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित है; या

(ख) कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या दोनों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है; या

(ग) कि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक नियम 19 या 21 के किन्हीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है; या

(घ) कि नामनिर्देशन–पत्र में अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप सही नहीं है :

परंतु निर्वाचन अधिकारी लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि या ऐसी कमी, जो सारवान स्वरूप की नहीं है के आधार पर नामनिर्देशन–पत्र अस्वीकार नहीं करेगा.

(3) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशन–पत्र पर उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए उसके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लेखबद्ध करेगा. जांच यथा समय नियम, 23 के अधीन इस नियत की गई तारीख को पूर्ण की जाएगी और कार्यवाहियों का कोई भी स्थगन किसी अभ्यर्थी को उसकी अभ्यर्थिता के विरूद्ध उद्भूत किए गए किसी प्रतिविरोध का खंडन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के सिवाय सामान्यतया अनुज्ञेय नहीं होगा.

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए यथा जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/ परियोजना समिति में प्रवृत्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति का तब तक एक निर्वाचक है जब कि कि यह सिद्ध न हो जाये कि वह अधिनियम में उल्लेखित किसी निरर्हता के अध्यधीन है.

(5) समस्त नामनिर्देशन—पत्रों की जांच और उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित विनिश्चय को अभिलिखित करने के तुरंत पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची, यथास्थिति जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 5 में वितरिका समिति के लिए प्ररूप 22 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 32 में अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा.

24. **अभ्यर्थिता वापस लेना** — (1) कोई भी अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 6 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 23 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 33 में स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा और ऐसी सूचना ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, उसके नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् और जल उपभोक्ता संथा के मामले में नामनिर्देशकों की जांच के लिये नियत किये गये दिन के उत्तरवर्ती तीसरे अपरान्ह 3 बजे तक और वितरिका समिति और परियोजना समिति के मामले में उसी तारीख को अपरान्ह 1.00 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे के मध्य किसी भी समय, न कि उसके पश्चात्, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो, निर्वाचन अधिकारी को परिदत्त करने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा. निर्वाचन अधिकारी वापसी की सूचना और उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान की विशुद्धता के बारे में स्वयं का समाधान होने पर जल उपभोक्ता संथा हेतु प्ररूप 6 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 23 में परियोजना समिति के लिये प्ररूप 33 में उपबंधित किये गये अनुसार लिये रसीद देगा.

(2) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन वापसी की सूचना प्राप्त होने पर, यथाशक्य शीघ्र, जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 7 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 24 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 34 में वापसी की सूचना प्रकाशित करवाएगा.

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है, उसी निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी के रूप में वापसी को रद्द करने या पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी.

25. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन** — (1) निर्वाचन अधिकारी, नामनिर्देशनों की जांच के दो दिन पश्चात्, जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 8 में और उसी दिन वितरिका समिति के लिये प्ररूप 25 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 35 में हिंदी भाषा में ऐसे व्यक्तियों की, जिनके नामनिर्देशन अस्वीकृति नहीं किये गये हैं और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं ली है एक सूची तैयार करेगा और उसके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित करेगा.

(2) सूची में अभ्यर्थियों के नाम हिंदी में वर्णानुक्रम के अंतर्विष्ट होंगे और उन्हें उनके नामनिर्देशन पत्र के अनुसार किया जाएगा और यदि मतदान आवश्यक पाया जाए तो उसमें उप नियम (3) के अधीन उन्हें आबंटित सुभिन्न चिन्ह भी विनिर्दिष्ट किए जायेंगे.

(3) यदि मतदान आवश्यक समझा जाए तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को, से निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं, एक सुभिन्न चिन्ह न्यस्त करेगा.

(4) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां कोई चिन्ह उपनियम (3) के अधीन अभ्यर्थी को न्यस्त किया जाए, ऐसे अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे न्यस्त किये गये चिन्ह से संबंधित सूचना तत्काल दी जाएगी और उसका प्रतिरूप (स्पेसीमेन) प्रदान किया जाएगा.

26. **अविरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा** – (1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा.

(2) यदि विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट एक ही अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी तुरंत ऐसे अभ्यर्थी को जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 9 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 28 में और परियेाजना समिति के लिये प्ररूप 38 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा.

27. **मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु** – यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान होने पर, मतदान प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारंभ की जाएंगी, मानो कि नया निर्वाचन हो:

परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में कोई नया नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो कि मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट रहा था:

परंतु यह और भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने के पूर्व नियम 24 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना दे दी है, ऐसे प्रत्यादिष्ट होने के पश्चात् निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये अपात्र होगा.

28. **अभिकर्ताओं की नियुक्ति** – (1) (क) किसी जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के पद के किसी निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी, किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा. ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में उसे दो प्रतियों में निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करते हुए दी जायेगी जो नियुक्ति में उसके अनुमोदन के प्रमाण स्वरूप उसकी एक प्रति पर अपनी मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर करके एक प्रति निर्वाचन अभिकर्ता को वापस करेगा.

(ख) निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन से संबंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा, जैसा कि इन नियमों के द्वारा या उसके अधीन एक निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संपादित किए जाने के लिए प्राधिकृत हों.

(2) (क) ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंध में एक अभिकर्ता और एक रिलीफ अभिकर्ता होगा.

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 11 में की जाएगी और मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने के लिये मतदान अभिकर्ता को सौंपी जायेगी.

(ग) किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक उसने उपनियम (2) के अधीन उसकी नियुक्ति का दस्तावेज सम्यक् रूप से पूर्ण करते हुए और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करके, पीठासीन अधिकारी को परिदत्त न कर दिया हो.

(घ) कोई मतदान अभिकर्ता, मतदान से संबंधित से कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत हों.

(3) (क) प्रत्येक अभ्यर्थी मतगणना के लिये नियम स्थान या स्थानों पर उतनी संख्या में मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा, जो कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं.

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 में दो प्रतियों में की जायेगी जिसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना अभिकर्ता को, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मतगणना के लिये नियत किये गये समय के एक घंटे अपश्चात् उपलब्ध कराई जायेगी.

(ग) मतगणना अभिकर्ता, मतों की गणना के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किए जाएं.

(4) (क) प्रत्येक निर्वाचन में, जहां कि मतदान हो, ऐसे निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने का अधिकारी होगा.

(ख) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी स्वयं या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसा कोई कार्य या बात कर सकेगा जो कि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता, यदि नियुक्त किया जाता तो इन नियमों द्वारा या उनके अधीन करने के लिये प्राधिकृत होता, या वह कोई ऐसा कार्य या बात करने में किसी मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सहायता कर सकेगा.

(5) जहां कोई कार्य या बात, मतदान या मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किये जाने के लिये इन नियमों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत हैं तो इस प्रयोजन के लिये नियत किये गये समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति, यदि कार्य या बात सम्यक्रूप से अन्यथा कर दी गई है, किये गये कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं करेगी.

29. **मतदान** – (1) यदि मतदान किया जाना हो तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक पीठासीन अधिकारियों को तुरंत नियुक्त करेगा और उनकी सेवाओं के लिये सरकार द्वारा नियत किये गये पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगा. निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के लिये इतनी संख्या में मतदान अधिकारी की व्यवस्था करेगा जितने कि आवश्यक हों, और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचकों की पहचान करने के लिये पीठासीन अधिकारी की सहायता करने हेतु एक या अधिक पहचान अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा.

(2) पीठासीन अधिकारी यह देखेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से संचालित हों और उस उद्देश्य के लिये एक समय में प्रवेश दिये जाने के लिये निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करने के लिये मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखेगा और –

(क) अभ्यर्थियों और प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में नियुक्त किया गया एक मतदान अभिकर्ता,

(ख) कर्त्तव्य पर उपस्थित पुलिस या अन्य लोक सेवक,

(ग) मतदान अधिकारी और ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय–समय पर निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश दें,

(घ) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(ङ) निर्वाचक के साथ उसकी गोद में का बालक, और

(च) ऐसा व्यक्ति जो किसी दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथ है जो कि बिना सहायता के नहीं चल सकता, को छोड़कर समस्त व्यक्ति अपवर्जित रहेंगे.

(3) जहां कोई महिला निर्वाचक परदा करने के कारण, उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये पहचान अधिकारी द्वारा पहचानी न जो सके तो उससे अपने किसी निकटतम नातेदारों द्वारा पहचाने जाने की अपेक्षा तब तक की जा सकेगी, जब तक कि वह अपनी पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी का अन्यथा समाधान नहीं कर देती है.

स्पष्टीकरण – यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति इस उप निमय के अर्थ के अंतर्गत निकटतम नातेदार है या नहीं तो इसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

30. **मताधिकार** – समस्त निर्वाचक, नियमों के अधीन उपलब्ध कराये गये मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगे.

31. **मतदान केन्द्र की व्यवस्था** – (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे :–

(क) मतदान क्षेत्र, सुसंगत मतदाता सूची में उन निर्वाचकों का अनुक्रमांक, जो मतदान केन्द्र पर, मतदान के हकदार हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो इस प्रकार हकदार मतदाताओं का विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, उनके अनुक्रमांक और उन्हें दिये गये चिन्ह; और

(ग) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक या अधिक पृथक् प्रकोष्ठ अन्तर्विष्ट होंगे जिसमें निर्वाचक मतदान करेंगे.

नोट :– मतदान केन्द्र में संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मतदाताओं को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था होनी चाहिए.

(2) मतदान बूथ पर दो मतपेटियां होंगी, उनमें से एक प्रबंध समिति के सदस्य के लिये और दूसरी जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिये रहेगी :

परंतु जहां जल उपभोक्ता संथा के निर्वाचन के लिये मतदाताओं की संख्या कम है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या पर निर्भर रहते हुए अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये मत डालने हेतु एक मतपेटी का उपयोग कर सकेगा.

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचक नामावली या उसके ऐसे भाग की प्रतियों के साथ जिनमें मतदान के हकदार निर्वाचकों के नाम अंतर्विष्ट हों पर्याप्त संख्या में मतपेटियां और ऐसे कागज (पेपर) तथा मतपत्रों पर चिन्ह लगाने हेतु निर्वाचकों के लिये आवश्यक वस्तुएं, स्टेशनरी और प्ररूप, जो आवश्यक समझे जाएं, उपलब्ध करायेगा.

31. **मतपेटियों का तैयार किया जाना –** (1) जहां मतपेटी सुरक्षित रखे जाने के लिये पेपर सील का उपयोग किया जाता हो, वहां पीठासीन अधिकारी, पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं के, जो कि उस पर करने की वांछा करें, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा.

(2) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् मतपेटी में उसके लिये नियम स्थान में इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील चिपकायेगा और तब सुनिश्चित करेगा और ऐसी रीति में पेटी को सुरक्षित करके सील करेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये स्थान खुला हो.

(3) किसी मतपेटी को सुरक्षित रखने के लिये उपयोग में लाई गई सील ऐसी रीति में की जायेगी कि पेटी बंद हो जाने के पश्चात् बिना सील तोड़े उसका खोला जाना संभव नहीं हो.

(4) जहां पेपर सील का उपयोग मतपेटी सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक नहीं है, वहां पीठासीन अधिकारी ऐसी रीति में मतपेटी सील कर सुनिश्चित करेगा कि उसमें मत डालने के लिये स्थान खुला हो और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो उन्हें सील लगाने के लिए अनुज्ञात करेगा.

(5) किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग की गई प्रत्येक मतपेटी के भीतर तथा बाहर दोनों तरफ लेबिल के साथ निम्नलिखित चिन्हित होगा :

(क) मतदान केन्द्र का वर्णन,

(ख) मतपेटी का अनुक्रमांक (केवल मतपेटी के बाहरी तरफ लेबिल पर मतपत्र के एक ओर भरा जायेगा), और

(ग) मतदान की तारीख.

(6) पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतपेटी खाली है और उपनियम (5) में निर्दिष्ट लेबिल हैं.

(7) मतपेटी तब बंद की जाएगी, सील की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं की नजर में रखी जाएगी.

(8) पीठासीन अधिकारी, मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मतदान अभिकर्ता तथा उपस्थित अन्य को मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली मतदाता सूची की यथास्थिति, चिन्हित प्रति या चिन्हित प्रतियां प्रदर्शित करेगा.

32. **मतपत्र का प्ररूप** — (1) प्रत्येक मतपत्र उससे संलग्न प्रतिपर्ण (काउण्टर फाइल) के साथ होगा और उक्त मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, निर्देश दें.

(2) प्रत्येक मतपत्र किसी निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व :—

(क) मुद्रांकित होगा और उसके पीछे ऐसे ब्यौरे लिखे होंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

मतदान केन्द्र का नाम तथा क्रमांक,

जल उपभोक्ता संस्था का नाम,

राजस्व सर्किल का नाम,

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पीछे पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे.

33. **मतपत्र का जारी किया जाना** — (1) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी किया जाता है उसके अव्यवहित पूर्व पीठासीन अधिकारी, —

(क) मतदाता सूची में यथा कथित रूप से निर्वाचक का क्रमांक, नाम तथा विवरण आहूत करेगा, और

(ख) उसके प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की मतदाता सूची का क्रमांक रिकार्ड करेगा तथा उक्त प्रतिपर्ण पर उक्त निर्वाचक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा या अंगूठे का निशान लगवाएगा :

परंतु कोई मतपत्र निर्वाचक को तब तक परिदत्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह उक्त मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है या अंगूठे का निशान नहीं लगा देता है.

(2) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी प्रत्येक मामले में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के नीचे लाइन खीचेंगा तथा जहां निर्वाचक कोई महिला है वहां महिला निर्वाचक के नाम के बांये हाथ की तरफ भी सही (√) का निशान लगायेगा.

(3) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसके बांए हाथ की तर्जनी (फोर फिंगर) की त्वचा और नाखून की जड़ के बीच के कोर पर अलोप्य स्याही से चिन्ह लगायेगा.

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक को जारी किये गये मतपत्रों का अनुक्रमांक नोट नहीं करेगा.

34. निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने तथा मतदान की प्रक्रिया –

(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 33 के अधीन या इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन मतपत्र जारी किया जाता है, मतदान केन्द्र के भीतर गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिये इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा:–

(2) निर्वाचक यथास्थिति मतपत्र या मतपत्रों को प्राप्त कर, शीघ्र –

(क) मतदान प्रकोष्ठों में से एक में जायेगा,

(ख) मतपत्र पर उक्त प्रयोजनों के लिये प्रदाय किये गये साधन से अभ्यर्थी को जिसको कि वह मत देने का आशय रखता हो, आबंटित चिन्ह पर या उसके पास निशान अंकित करेगा,

(ग) मत पत्र या मतपत्रों को पहले खड़ा और उसके बाद आड़ा इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त बना रहे,

(घ) मुड़ा हुआ मतपत्र विनिर्दिष्ट मतपेटी में डालेगा, और दिये गये निकास द्वारा मतदान केन्द्र छोडेगा.

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी असम्यक विलंब के मत डालेगा.

(4) किसी भी निर्वाचक को मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश की अनुज्ञा नहीं होगी जबकि कोई दूसरा निर्वाचक उसके भीतर हो.

(5) यदि ऐसा निर्वाचक जिसको मतपत्र जारी किया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी इंकार करता है तो उसे जारी किये गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके निर्देश के अधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा.

(6) पीठासीन अधिकारी मतपत्र वापस लेने के पश्चात् उसके पीछे शब्द "रद्द किया गया" मतदान प्रक्रिया अतिक्रमण को अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे समस्त मतपत्रों को एक पृथक् लिफाफे में रखा जाएगा जिसके ऊपर शब्द "मतपत्र–मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित" अंकित रहेंगे.

(7) किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिये ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन ऐसा मतपत्र वापस लिया गया है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत की, यदि कोई हो, गणना नहीं की जाएगी.

35. दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाता – (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धत्व या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र पर चिन्ह पहचानने तथा उस पर निशान लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक की इच्छानुसार मतपत्र पर उसका मत रिकार्ड करेगा, उसे इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त रहे, और मतपेटी में उसे डालेगा.

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन कार्य करते समय गोपनीयता का पालन करेगा और प्रत्येक ऐसे दृष्टांतों का संक्षिप्त रिकार्ड रखेगा किंतु उस रीति को इसमें कोई मत दिया गया है, इसमें उपदर्शित नहीं किया जायेगा.

36. **महिला निर्वाचकों को सुविधाएं** — महिला निर्वाचकों को संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार विशेष सुविधाएं दी जा सकेंगी.

37. **निर्वाचकों की पहचान** — जब कोई व्यक्ति स्वयं मतदान के लिये उपस्थित होता है और उसे मतपत्र प्रदान किये जाने से पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी स्वप्रेरणा से और यदि किसी अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित में से या तो एक या दोनों प्रश्न कर सकेगा :—

(एक) क्या आप निम्नलिखित रूप से नामांकित व्यक्ति है (नामावली से समस्त प्रविष्टि पढ़कर)

(दो) क्या आपने वर्तमान निर्वाचन में इस मतदान केन्द्र पर या किसी अन्य मतदान केन्द्र पर पूर्व में मतदान किया है ? और व्यक्ति को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह उसे पूछे बिना शर्त उत्तर, ऐसे प्रश्नों में से प्रथम सकारात्मक और द्वितीय नकारात्मक में नहीं दे देता, इसमें उल्लिखित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में पाया जाता है, मतपत्र दिये जाने हेतु हकदार होगा.

38. **निविदत्त मत** — (1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट मतदाता दर्शाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसे मतदाता के रूप में पूर्व मे ही मतदान कर लिये जाने के पश्चात् मतपत्र के लिये आवेदन करता है तो वह अपनी पहचान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर, जैसा कि पीठासीन अधिकारी पूछे, निम्नलिखित उपबंध के अधीन रहते हुए मतपत्र को (इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट" है) उसी रीति में, जैसा कि कोई अन्य मतदाता चिन्हित करें, चिन्हित करने का हकदार होगा.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किया जाने के पूर्व प्ररूप 13 में की सूची में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा.

(3) निविदत्त मतपत्र मतदान में उपयोग में लाए गए मतपत्र के समान होगा, सिवाय इसके कि वह :—

(क) मतदान केन्द्रों में उपयोग के लिये जारी किये गये मतपत्रों के बंडल के नीचे से उत्तरोत्तर मामलों में क्रमवार लिया जाएगा; और

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के हाथ से तथा अपने हस्ताक्षर से शब्द "निविदत्त मतपत्र" सहित उसके पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा.

(4) निर्वाचक, मतदान प्रकोष्ठ में निविदत्त मतपत्र देने के पश्चात् और उसके मोड़कर मतपेटी में डालने के स्थान पर पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिये विशिष्टतया रखे गये एक लिफाफे में रखेगा.

39. **पहचान को चुनौती** — (1) कोई भी मतदान अभिकर्ता, कोई विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान को चुनौती, पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक ऐसी चुनौती के लिये पांच रूपये की राशि नकद में पहले जमा करने पर दे सकेगा.

(2) इस प्रकार जमा किये जाने पर पीठासीन अधिकारी :—

(क) चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण की शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) मतदाता सूची में सुसंगत प्रविष्टि पूर्णतः पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ही है;

(ग) प्ररूप 14 में आपत्ति किये गये मतों की सूची में उसके नाम तथा पते की प्रविष्टि करेगा; और

(घ) उससे अपेक्षा करेगा कि वह उक्त सूची में अपना हस्ताक्षर करे या अंगूठे का निशान लगाए,

(3) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् चुनौती के बारे में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिये :—

(क) चुनौती के सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु चुनौतीकर्ता और उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान के सबूत की साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन हेतु कोई भी आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा तथा शपथ पर उसके उत्तर की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) चुनौतीकर्ता तथा किसी अन्य व्यक्ति को, जो साक्ष्य देना चाहता हो, शपथ दिला सकेगा.

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी यह समझता है कि चुनौती सुस्थित नहीं हुई है तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मत देने के लिये अनुज्ञात करेगा तथा यदि वह समझता है कि चुनौती सुस्थित हो चुकी है, तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मतदान करने से वंचित कर देगा.

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावनापूर्ण नहीं दी गई है तो वह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप, सरकार को समपहृत हो जायेगा और किसी अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे चुनौतीकर्ता को वापस कर देगा.

40. **प्रतिरूपण के विरुद्ध संरक्षण** — (1) प्रत्येक निर्वाचक जिसकी पहचान के बारे में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसकी बांयी तर्जनी का निरीक्षण किये जाने की तथा अलोप्य स्याही से उस पर निशान लगाए जाने की अनुज्ञा देगा.

(2) किसी निर्वाचक की बांयी तर्जनी के संबंध में इस नियम में किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसके बांये हाथ की किसी अन्य उंगली से है और ऐसे मामले में, जहां उसके बांये हाथ की सभी उंगलियां नहीं है तो वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी अन्य उंगली से है और ऐसे मामले में, जहां उसके दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसकी बांयी या दांई भुजा से, जो भी वह रखता हो, है.

(3) पीठासीन अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मतदान करने के लिये मतपत्र देने से इंकार कर दें, यदि मतपत्र के लिये आवेदन करते समय ऐसे व्यक्ति को उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अलोप्य स्याही का निशान पूर्व से ही लगा है.

खराब तथा वापस लिया गया मतपत्र — (1) ऐसा निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र के प्रति अनवधानता की है, पीठासीन अधिकारी को अपना मतपत्र परिदत्त करने पर और उसकी अनवधानता से उसका समाधान हो जाने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकेगा और इस प्रकार वापस किये गये मतपत्र तथा ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा "खराब रद्द किया गया" चिन्हित किया जायेगा.

(2) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् विनिश्चय करता है कि उसका उपयोग नहीं करना है तो वह पीठासीन अधिकारी को उसे वापस कर देगा और इस प्रकार वापस किया हुआ मतपत्र तथा मतपत्र का प्रतिपर्ण, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा "वापस किया गया रद्द किया गया" चिन्हित किया जायेगा.

(3) उप नियम (1) तथा उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त मतपत्र, एक पृथक, पैकेट में रखे जायेंगे.

42. **मतदान बंद किया जाना और मतदान के पश्चात् मतपेटियों और लिफाफों को सील करना** — (1) पीठासीन अधिकारी, नियम 17 के उपनियम (5) के खंड (ड) के अधीन मतदान बंद करने के लिये नियत किये गये समय पर मतदान को बंद कर देगा और उसके पश्चात् मतदान केन्द्र में किसी भी निर्वाचक को प्रवेश नहीं देगा :

परंतु मतदान बंद होने के पूर्व मतदान में उपस्थित समस्त निर्वाचकों को मत देने हेतु अनुज्ञात् किया जायेगा.

(2) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई निर्वाचक मतदान बंद होने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित था तो यह पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, मतदान के बंद होने के पश्चात् मतपेटी के दीर्घ छिद्र (स्लिट) को बंद करेगा और जहां मतपेटी में दीर्घ छिद्र को बंद करने के लिये यांत्रिकी युक्ति नहीं हैं तो वह दीर्घ छिद्र को सील करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को अपनी मुद्रा लगाने के लिये अनुज्ञात करेगा, उसके पश्चात् मतपेटी को सील बंद किया जाएगा तथा उसे सुरक्षित रखा जाएगा.

(4) जहां प्रथम मतपेटी पूरी भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग किया जाना आवश्यक हो तो दूसरी मतपेटी का उपयोग करने से पूर्व प्रथम पेटी बंद की जायेगी, उसे सील किया जाएगा और उसे सुरक्षित रखा जायेगा जैसा कि उप नियम (3) में यथा उपबंधित है.

(5) इस नियम के पूर्वगामी उपबंध किसी मतदान केन्द्र के ऐसे पीठासीन अधिकारी को लागू नहीं होंगे जिसको संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी ने निर्देश जारी कर उपनियम (6) के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये हैं.

(6) किसी ऐसे मतदान केन्द्र में, जैसा कि उप नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये, पीठासीन अधिकारी, मतदान बंद होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र –

(क) उस मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों में के समस्त मतपत्रों को, उनकी जांच या उसकी गणना किये बिना तथा मतपत्र की गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखते हुए उपस्थित मतदान अभिकर्ता को यह प्रदर्शित करने के पश्चात् कि थैला या लिफाफा (कवर) खाली है, कपड़े के थैले या क्लाथ लाइन कवर में अंतरित करेगा; और

(ख) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को, प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने तथा उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिये वह खाली रखी गई है, अनुज्ञात करेगा.

(7) उपस्थित मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान बंद होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निम्न को पृथक् पैकटों में रखेगा और अपनी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा सहित, जैसा कि उनकी मुद्रा लगाने के लिये विनिश्चय किया जाए, सील करेगा :

(एक) निविदत्त मतपत्र;

(दो) बिना उपयोग किये मतपत्र;

(तीन) खराब तथा वापस किये गये मतपत्र;

(चार) निर्वचक नामावली की चिन्हित प्रति;

(पांच) निविदत्त मतदाताओं की सूची;

(छः) नियम 39 के उप नियम (2) में उल्लेखित विवरण या विवरणों सहित उन मतों की सूची, जिनके संबंध में चुनौती दी गई है;

(सात) उपयोग किये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण; और

(आठ) नियम 34 के अधीन मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किये गये मतपत्र.

(8) प्रत्येक पैकेट को क्रमांकित किया जाएगा तथा उसमें उसकी विषय वस्तु, निर्वाचन तथा मतदान केन्द्रों के विवरण की बाबत एक टिप्पणी होगा. जहां मतदान केन्द्र पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है, वहां पीठासीन अधिकारी प्ररूप 15 में विवरण सहित "निरंक" रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

43. **मतपत्रों, मतपेटियों, पैकटों आदि का लेखा** – (1) पैकटों के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपेटियों में मतपत्रों तथा अप्रयुक्त, खराब, वापिस किये गये तथा निविदित्त मतपत्रों की संख्या दर्शाते हुए प्ररूप 15 में दिया गया एक पृथक् विवरण संलग्न होगा. पीठासीन अधिकारी तब निर्वाचन अधिकारी को ऐसे स्थान पर निम्नलिखित परिदत्त करेगा या करवाएगा, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें:

(क) मतपेटियों या यथास्थिति, नियम 33 में निर्दिष्ट थैलियां (बेग्ज) या लिफाफे,

(ख) मतपत्रों का लेखा या लेखे,

(ग) नियम 42 में निर्दिष्ट सीलबंद पैकेट या सीलबंद पैकटों के सेट, और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये समस्त अन्य कागज–पत्र.

(2) निर्वाचन अधिकारी, समस्त मतपेटियों, पैकट तथा अन्य कागज--पत्र के सुरक्षित परिवहन के लिये यथोचित इंतजाम करेगा और उनको तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जब तक कि मतों की गिनती शुरू नहीं हो जाती है.

44. **मतपेटियों को खोलने की जांच तथा मतों की गणना** – (1) (क) मतगणना, इस निमित्त नियत किये गये दिन तथा स्थान और समय पर शुरू की जायेगी.

(ख) निर्वाचन अधिकारी, मतदान के लिये नियत की गई तारीख के कम से कम तीन दिन पूर्व या तारीखों के प्रथम दिन स्थान या स्थानों, जहां कि मतों की गिनती होनी है ओर वह तारीख तथा समय, जिसको गणना शुरू होगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में उसकी सूचना देगा :

परंतु यदि निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से यह पाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस प्रकार तारीख, समय तथा स्थान या स्थानों या उनमें से किसी को, प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को इसकी लिखित सूचना देकर परिवर्तित कर सकेगा.

(ग) मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जायेगी. निर्वाचन अधिकारी ऐसी संख्या में गणना सहायकों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह मतों की गणना करने में अपनी सहायता के लिये आवश्यक समझे.

(घ) सिवाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में उसकी सहायता के लिये नियुक्त किया है प्रत्येक अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि को जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया है उपस्थित होने का अधिकार होगा. कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या कोई भी व्यक्ति, जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन से सम्बद्ध है मतों की गणना में सहायता के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(2) (क) निर्वाचन अधिकारी, एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग की मतपेटी या मतपेटियों की एक साथ खोल सकेगा या खुलवायेगा तथा ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और प्रारूप 15 में मतपत्र के भाग–दो में लेखा अभिलिखित करेगा.

(ख) यथा पूर्वोक्त अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और प्ररूप 15 के भाग एक की मद 3 में यथा दर्शित मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की कुल संख्या में से उसकी मद 4 में यथा दर्शित रद् किये गये मतपत्रों की संख्या और उसकी मद 5 में यथा दर्शित पत्रों की संख्या घटाकर आई संख्या के बीच के फर्क यदि कोई हो को भी प्ररूप 15 के भाग 2 में अभिलिखित किया जाएगा.

(ग) मतगणना के लिये किसी मतपेटी को खोलने से पूर्व, वहां उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को पेपर सील या ऐसी अन्य सील का जो उस पर लगी हो तथा उनका समाधान करने के लिये कि मतपेटी, जैसी की वैसी दशा में है, निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी.

(घ) निर्वाचन अधिकारी इस बात से स्वयं का समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटी के साथ किसी भी प्रकार से वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

(ड.) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है तो वह उस मतपेटी में अंतविष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा तथा उस मतदान केन्द्र के संबंध में नियम–49 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा.

(3) निर्वाचन अधिकारी, यथासाध्य मतों की गणना निरंतर चालू रखेगा तथा किन्हीं आवश्यक अन्तरालों के दौरान, जिसके दौरान मतगणना स्थगित की जाए, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकेटों तथा अन्य दस्तावेजों को, उसकी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा, जैसा कि उन पर लगाने की वांछा की जाए, के अधीन रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये पर्याप्त सावधानी रखवाएगा.

45. **गणना के लिये स्थान पर प्रवेश** – पीठासीन अधिकारी मतगणना के नियत स्थान पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश अपवर्जित करेगा –

(क) ऐसे व्यक्ति जो गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों के रूप में ज्ञात हों, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिये नियुक्त करें.

(ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक; और

(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधि जिसे अभ्यर्थियों द्वारा लिखित में गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो.

46. **मतपत्रों का रद्द किया जाना** – (1) ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त दिये जाये, मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्रवार की जायेगी.

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपत्र को रद्द कर देगा –

(क) यदि उस पर कोई चिन्ह या लिखावट है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके; या

(ख) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं है जिससे मत उपदर्शित हो, उस पर और कहीं चिन्ह लगा है या मतपत्र में स्पष्टतः अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी के चिन्ह के पास या इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से कोई चिन्ह लगा है; या

(ग) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया गया है; या

(घ) यदि उस पर मत उपदर्शित करते हुये कोई निशान ऐसी रीति में दिया गया है जो यह शंकास्पद बनाता हो कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है; या

(ड.) यदि वह एक नकली मतपत्र है; या

(च) यदि वह ऐसा क्षतिग्रस्त या बिगड़े स्वरूप में है जिससे वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न की जा सके; या

(छ) यदि उसका अनुक्रमांक या उसकी डिजाइन, यथास्थिति, उस मतपत्र के अनुक्रमांक या डिजाइन से भिन्न है जो विशिष्ट मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिये प्राधिकृत किया गया है; या

(ज) यदि उस पर दोनों सुभेदक चिन्ह नहीं है तथा हस्ताक्षर नहीं है जो नियम 32 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए :

परन्तु, जहां निर्वाचन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित कोई ऐसी त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की गलती या असफलता के कारण हुई है, जो मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के कारण निरस्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि मतपत्र केवल ऐसे आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि मत उपदर्शित करता हुआ निशान अस्पष्ट या एक से अधिकबार लगाया गया है, यदि उस तरीके से, जिससे मतपत्र पर निशान लगाया गया है, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मत दिया गया है.

(3) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतपत्र को निरस्त करने से पूर्व उपस्थित प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को मतपत्र का निरीक्षण करने हेतु युक्ति–युक्त अवसर अनुज्ञात करेगा, किन्तु उसको इसे या अन्य मतपत्र का प्रयोग करने को अनुज्ञात नहीं करेगा.

(4) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतपत्र पर जिसको वह निरस्त करता है, शब्द "निरस्त" तथा निरस्त करने का आधार संक्षिप्त रूप में या तो स्वयं के हाथ से या रबर स्टाम्प द्वारा पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा.

(5) इन नियम के अधीन निरस्त किये गये समस्त मतपत्र एक साथ बांधें जायेंगे.

(6) प्रत्येक मतपत्र की गणना जो इस नियम के अधीन निरस्त नहीं किये गये हैं, एक विधिमान्य के रूप में की जायेगी :

परन्तु ऐसे कवर, जिनमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट हों, खोले नहीं जायेंगे और किसी ऐसे मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी.

(7) किसी जल उपभोक्ता संथा में उपयोग की गई समस्त मतपेटियों में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों की गणना पूर्ण होने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम–पत्रक (रिजल्ट शीट) में प्रविष्टियां करेगा तथा विशिष्टियों की उद्घोषणा करेगा.

(8) मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय केवल जांच के अधीन रहते हुये अंतिम होगा.

47. मतों की पुनर्गणना –

(1) नियम 46 के उपनियम (7) के अधीन की गई ऐसी उद्घोषणा के बाद, कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता, निर्वाचन अधिकारी को मतों की या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना करने के लिये उन आधारों की कथित करते हुये जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करे आवेदन कर सकेगा.

(2) ऐसे आवेदन किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी, मामले को विनिश्चित करेगा तथा आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उसे पूर्णतः निरस्त कर सकेगा, यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता हो.

(3) उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा तथा उसके लिये कारण अन्तर्विष्ट होंगे.

(4) यदि निर्वाचन अधिकारी, मतों की पुर्नगणना या तो पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात करने का उपनियम (2) के अधीन विनिश्चय करता है तो वह –

(क) नियम 45 तथा 46 के अनुसार पुनर्गणना के लिये इंतजाम करेगा;

(ख) ऐसी पुनर्गणना के बाद प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक में आवश्यक सीमा तक संशोधन करेगा;

(ग) उसके द्वारा इस प्रकार किए गये संशोधनों की उद्घोषणा करेगा.

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या की उद्घोषणा कर दिये जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक पूर्ण करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद और या द्वितीय पुनर्गणना के लिये आवेदन ग्रहण नहीं किये जाएंगे.

48. मत बराबर होना – यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर होना पाया जाता है तथा उनमें से कोई अभ्यर्थी एक मत की बढ़त से निर्वाचित घोषित हो सकता है, तो निर्वाचन अधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तुरंत विनिश्चय करेगा मानों कि जिसको लाट निकालता है उसके अतिरिक्त मत प्राप्त किया था.

49. मतों की गणना के समय विघ्न – (1) यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पूर्व किसी समय किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर उपयोग किये गये मतपत्र, निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा से अविधिमान्यतः ले लिये जाएं या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिए जाए या खो जाएं अथवा इस सीमा तक क्षतिग्रस्त या बिगाढ़ दिये जाएं कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके तो निर्वाचन अधिकारी मामले की रिपोर्ट संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल करेगा.

(2) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, समस्त तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् या तो :–

(क) मतों की गणना को रोकने का निदेश दे सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान कराने के लिये दिन तथा समय नियत कर सकेगा तथा इस प्रकार नियत तारीख और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे; या

(ख) यदि यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान का परिणाम, निर्वाचन के परिणाम को किसी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, निर्वाचन अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह नर्वाचन को फिर से चालू करने तथा पूर्ण करने के लिये और उस निर्वाचन के जिसके संबंध में मतों की गणना हो गई है, आगे संचालन और पूर्ण करने के लिये समुचित समझे.

(3) इन नियमों तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों के उपबंध किसी तथा प्रत्येक ऐसे नए मतदान को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान को लागू होते है.

50. **उपयोग किये गये मत–पत्रों को सीलबंद करना** – (1) प्रत्येक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्र तथा निरस्त मतपत्र उसके बाद पृथक–पृथक बंडलों में बांधे जायेंगे और अलग–अलग बांधे गये बंडल, पृथक्–पृथक् पैकेट में होंगे जो निर्वाचन अधिकारी की मुद्रा सहित सीलबंद होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के, उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता चाहे तो उस पर उनकी मुद्रा लगा सकते है तथा इस प्रकार सीलबंद पैकटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित होंगे, अर्थात–

(क) मतदान केन्द्र का क्रमांक, वार्ड का क्रमांक/जल उपभोक्ता संथा/जन पंचायत का नाम; तथा

(ख) गणना की तिथि।

51. **मतपत्रों का कपड़े के थैले (बैग) में अंतरण** – नियम 45, 46 तथा 50 को उपबंध, जहां तक हो सके, मतपत्रों की गणना और उन मतों के संबंध में लागू होंगे जिनका मतपेटियों से कपड़े के थैलों में या क्लाथ लाइन कवर में अन्तरण नियम 42 के उपनियम (6) के अधीन किया जाएगा :

परंतु उक्त नियमों मे मतपेटी के संबंध में प्रत्येक निदेश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह ऐसे थैले या लिफाफे के प्रति संदर्भ है जिसमें मतपेटी की अंतर्वस्तु अंतरित कर दी गई है.

52. **नए मतदान की दशा में मतों की गणना** – (1) जब नियम 57 के उपनियम (7) के अधीन तथा मतदान किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी, उस मतदान के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसी तारीख और समय तथा स्थान पर, जो कि उसके द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए, और जिसके लिये अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पूर्व में सूचना दे दी गई हो, मतों की गणना पुनः प्रारंभ करेगा;

(2) ऐसी और गणना में, जहां तक हो सके, नियम 43 और 50 के उपबंध लागू होंगे.

53. **परिणाम की घोषणा** – (1) नियम 48 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए जहां तक वे किसी विशिष्ट मामले में लागू होते हों, निर्वाचन अधिकारी :–

(क) प्ररूप 17 में ऐसे अभ्यर्थी की, जिसे कि सर्वाधिक वैध मत प्राप्त हों, (नियम 46 के अधीन निर्वाचित होना) घोषणा करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी और जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा, और

(ख) प्ररूप 16 में निर्वाचन के परिणाम की प्रविष्टियां पूर्ण करेगा तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा.

(2) प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक (शीट) की प्रतियां, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को फीस का भुगतान करने पर, जो कि अन्य सरकारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रभारित की जाती है, प्रदाय की जाएगी. प्ररूप 17 की प्रतियां भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रति के लिए दो रूपये का भुगतान करने पर प्रदान की जायेगी, जिला निर्वाचन प्राधिकारी या निर्वाचन अधिकारी प्राप्त होने पर ऊपर निर्दिष्ट प्रमाणित प्रतियां जारी करेगा.

54. **निर्वाचन प्रमाण–पत्र का प्रदान करना** – यथास्थिति, नियम 20 के अधीन या नियम 55 के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी यथाशक्यशीघ्र, ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप 18 में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा तथा अभ्यर्थी से इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की हुई अभिप्राप्त करेगा और अभिस्वीकृति, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करते हुए जिला निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल भेजेगा.

55. **परिणाम का प्रकाशन** – निर्वाचन अधिकारी, संबंधित जल उपभोक्ता संथा के कार्यालय में सूचना पटल पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना सम्यक् रूप से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा.

56. **मतपत्रों का निपटारा** – (1) संभागीय निर्वाचन अधिकारी, परिणामों की घोषणा के पश्चात् विवरणी (रिटर्न) की एक प्रति संबद्ध समक्ष प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उन मतपत्रों का जिनकी गणना की हुई हो, जो निरस्त हों या निविदत्त हों, पैकेट सौंपेगा. यह पैकेट खोले नहीं जायेंगे और निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के सिवाय, उनकी अन्वर्तस्तुओं का निरीक्षण या उन्हें पेश नहीं किया जायेगा.

(2) इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, पैकेट और मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां एक वर्ष के भीतर वापस करेगा और इसके पश्चात् जब तक कि निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये उन्हें नष्ट करवा देगा.

57. **आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन** – (1) जहां किसी मतदान केन्द्र पर की कार्यवाहियां किसी बलवा अथवा खुली हिंसा या अन्य कारण से गंभीररूप से बाधित या अवरूद्ध हो या जहां बड़ी संख्या में निर्वाचक, किसी मतदान केन्द्र पर किसी दैवीय घटना, जैसे बाढ़ या अग्नि के कारण मतदान करने के लिये उपस्थित होने में असमर्थ हों वहां पीठासीन अधिकारी, जिला निर्वाचन प्राधिकारी के आदेशों की प्राप्ति के लंबित रहने तक मतदान रोकेगा. इस तथ्य की सूचना कि मतदान इस प्रकार रोक दिया गया है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर उपस्थित व्यक्तियों को तुरंत दी जायेगी.

(2) जहां कोई पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान को रोकता है कि वह नियम 42 तथा 43 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा तथा परिस्थितियों की एक विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को तुरंत भेजेगा जो उसे अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल अग्रेषित करेगा.

(3) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी उस पर यह आदेश करेगा कि :—

(क) मतदान केन्द्र पर मतदान उतने घंटों के लिये चालू किया जाये जितने के लिए वह पूर्व अवसर पर नहीं हुआ था बशर्ते कि कम से कम 50 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले हो; या

(ख) पूर्व अवसर पर मतदान केन्द्र पर की गई मतदान की कार्यवाही को अनदेखा किया जाये और से मतदान केन्द्र पर पूर्ण समय के लिये नया मतदान कराया जाये, जिसके लिये यह पूर्व अवसर पर लिया गया होता; और

(ग) इस उपनियम के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश अंतिम होगा.

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित किसी आदेश में :—

(क) निम्नलिखित के संबंध में विवरण होगा —

(एक) वह तारीख तथा वह समय, जिसके बीच यथास्थिति मतदान या नया मतदान किया जाएगा; और

(दो) वह तारीख जिसको कि तथा वह स्थान और समय जिस पर कि नियम 52 के अधीन निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना प्रारंभ करेगा; और

(ख) निर्वाचन अधिकारी द्वारा, खंड (क) के अधीन मतदान की तारीख, स्थान तथा समय नियत करने की घोषणा का संबंधित मतदान क्षेत्र में व्यापक प्रचार, ऐसी रीति में, जैसा कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, किया जाएगा.

(5) (क) जहां कोई आदेश उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन मतदान के जारी रखने के लिये पारित किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी नियम 29 के उपनियम (1) के अधीन नई कार्यवाही करेगा तथा उपनियम के अधीन नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारी को, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त पैकेट वापिस कर देगा.

(ख) पीठासीन अधिकारी अनुवृत्ति मतदान प्रारंभ के ठीक पूर्व से व्यक्तियों की उपस्थित में, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, पैकेट खोलेगा और उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में उसके लिये नियत किए गये समय पर ऐसा मतदान प्रारंभ करेगा.

(ग) अनुवृत्ति (कंटीन्यूएशन) मतदान में पीठासीन अधिकारी केवल ऐसे निर्वाचकों को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा जिन्होंने पूर्व अवसर पर मतदान नहीं किया हो.

(घ) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे निर्वाचन में डाले गये मतों की गिनती तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अनुवृत्ति मतदान या नया मतदान पूर्ण नहीं हो जाता.

(ङ) निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को, जहां कि अनुवृत्ति मतदान होना है, सीलबंद पैकेट, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति अन्तर्विष्ट हो, मतपेटी तथा ऐसी अन्य सामग्री, जो कि मतदान के लिये अपेक्षित हो प्रदान करेगा.

(6) जहां उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन नए सिरे से मतदान कराने का कोई आदेश पारित किया जाता है वहां निर्वाचन अधिकारी, नियम 29 के उपनियम (1) के अधीन नए सिरे से कार्यवाही करेगा तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी दृष्टि से, संबंधित मतदान केन्द्रों पर इस प्रकार नया मतदान कराया जायेगा मानों कि ऐसे मतदान केन्द्र पर वह प्रथम बार कराया जा रहा हो.

स्पष्टीकरण :– इस उपनियम के अधीन आने वाले मामलों में कोई नया नामनिर्देशन नहीं होगा.

(7) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपनियम (3) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व किसी भी समय या यथास्थिति से आदेश पारित किये जाने के पश्चात् किन्तु अनुवृत्ति मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अथ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य से स्वयं का समाधान हो जाने पर, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को उस तथ्य की सूचना देगा, निर्वाचन के संबंध में आगे की समस्त कार्यवाहिंयां रोक देगा और सभी दृष्टि से, निर्वाचन की ऐसी कार्यवाहियां नए सिरे से शुरू करेगा जैसी कि नए निर्वाचन के लिए की जाती है :

परन्तु शेष उन अभ्यथियों के मामले में, नए नामनिर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि मतदान रोके जाने के समय नामनिर्दिष्ट हो चुके थे.

58. **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.**– जल उपभोक्ता संथा के सदस्य या अध्यक्ष के पद को कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, इन नियमों तथा उनके अधीन किये गये आदेशों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने पर भरी जायेगी.

59. **कतिपय मामलों में सरकार की शक्ति.**– यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध मे, नियमों के अधीन की गई जांच से संसक्त से अन्यथा किसी भी निर्वाचन की विधिमान्यमता के बारे में विवादों का विनिश्चय करने के लिए या अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह प्रश्न सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

60. **कतिपय मामलों में तारीख आदि नियत करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति** – इन नियमों के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार या संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विशिष्टतया किसी जल उपभोक्ता संथा के मामले में नामनिर्देशन फाइल किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन संबंधी कार्यवाही या उससे संबंधित सभी या उसके किसी भी चरण के लिये इन नियमों द्वारा इनके अधीन विनिर्दिष्ट या नियत्त की गई तारीखों से भिन्न तारीखें तथा कालावधि नियत करने के लिये, सशक्त कर सकेगा.

अध्याय – छः

प्रबंध समिति के सदस्य तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन, धारा 7 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में किया जायेगा निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा,

निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा उसे जनपद पंचायत के सूचना पटल पर, निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा.

निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 19 में हिंदी भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों को, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में भेजी जायेगी.

निर्वाचन मतदान द्वारा कराया जायेगा तथा एक दिन में संपन्न होगा. कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगाः–

(एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति – पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक

(दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन – 12.30 बजे से 1300 बजे तक

(तीन) नामनिर्देशनों की वापसी – 13.00 बजे से 13.30 बजे तक

(चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन – 14.00 बजे

(पांच) निर्वाचन की दशा में मतदान 15.00 बजे से – 17.00 बजे तक

(छः) मतगणना तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद,

परंतु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया नियम 13 से 19 के अनुसार होगी.

यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जायेगा, यदि केवल एक विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 28 में सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा.

निर्वाचन की दशा में मतपत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में प्ररूप 26 तथा 27 में हिंदी भाषा में तैयार किये जायेंगे जो अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सदस्यों के पद के लिये पृथक् से तैयार किये जायेंगे तथा निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित रूप में संचालित किया जाएगा.

67. मतदान की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी पृथक्–पृथक् रूप से, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिये गये मतों की गणना करने की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा अभ्यर्थियों को निम्नानुसार प्ररूप 28 में निर्वाचित घोषित करेगा :–

(क) अभ्यर्थी जिसने अध्यक्ष पद के लिये दिये गये मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, वितरिका समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित ; तथा

(दो) अभ्यर्थी जिसने दिये गये मतों में अवरोही क्रम में सबसे अधिक मत प्राप्त किए है, वह उस वितरिका समिति की प्रबंध समिति के संख्या की सीमा तक प्रबंध समिति के सदस्य के पदों पर यथा निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

68. दो अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लाट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक्‌रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

69. निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार पर अपने आद्यक्षर सहित अनुप्रमाणित कर हस्ताक्षर करेगा तथा कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहु संख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जावेगा. वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर भी एक सूचना अपने हस्ताक्षर से, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा. इस सूचना की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी जो वितरिका समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित हुआ है दी जायेगी.

70. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से नियम 61 के अधीन बुलाए गए विशेष सम्मिलित की तारीख में, परिवर्तन का समय–समय पर निदेश दे सकेगा तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा.

71. अधिनियम की धारा 8 के उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्य के निर्वाचन के संचालन के लिये कोई सम्मिलन तब तक नहीं होगा जब तक कि वितरिका समिति के कम से कम आधे सदस्य, जो निर्वाचन में मतदान के हकदार हैं, उपस्थित नहीं होते.

अध्याय– सात

72. **प्रबंध समिति के सदस्य और परियोजना समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन** – इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन धारा 10 की उपधारा (2) (3) (4) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में, अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में होगा. निर्वाचन अधिकारी. कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा.

73. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा इसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा.

74. निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 29 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी और अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) (3) (4) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में दी जायेगी.

75. निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा और एक ही दिन में सम्पन्न होगा. कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :–

(एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति – पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक

(दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन 12.30 बजे से 13.00 बजे तक

(तीन) नामनिर्देशनों की वापसी – 13.00 बजे से 13.30 बजे तक

(चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन 14.00 बजे

(पांच) चुनाव की दशा में मतदान – 15.00 बजे से 17.00 बजे तक

(छह) मतों की गिनती तथा परिणाम की घोषणा – मतदान के तत्काल बाद,

परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया, निर्वाचन नियम के अध्याय 3 के नियम 17 से 25 के अनुसार होगी.

76. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जायेगा. यदि एक ही विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 36 में सम्यक्रूप से यथानिर्वाचित घोषित करेगा और एक प्रति संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा.

77. चुनाव की दशा में, प्रबंध समिति के **अध्यक्ष** और सदस्यों के पदों के लिए पृथक्–पृथक् रूप से, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हिन्दी भाषा में वर्णक्रमानुसार नाम अन्तर्विष्ट करते हुए मतपत्र प्ररूप 36 तथा 37 में तैयार किये जायेंगे और निर्वाचन, इस प्रकार संचालित कराए जाएंगे, जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें.

78. निर्वाचन प्राधिकारी पृथक् से प्रबंध समिति के **अध्यक्ष** तथा सदस्यों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दिये गये मतों की गणना की तुरन्त व्यवस्था करेगा तथा अभ्यर्थियों को निम्नानुसार प्ररूप 38 में यथानिर्वाचित घोषित करेगा :–

(एक) अभ्यर्थी जो अध्यक्ष के पद के लिये दिये गये मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, परियोजना समिति के अध्यक्ष के पद पर यथानिर्वाचित; तथा

(दो) अभ्यर्थी जिसने दिये गये मतों में अवरोही क्रम में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, वह उस परियोजना समिति की प्रबंध समिति के स्ट्रेंथ की सीमा तक प्रबंध समिति के सदस्य के पद पर यथानिर्वाचित.

79. दो अभ्यर्थियों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लॉट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

80. चुनाव के परिणाम घोषित करने के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार को अनुप्रमाणित करते हुए अपने आद्याक्षर सहित हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा. वह जनपद पंचायत के सूचना पटल पर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के सदस्य तथा परियोजना समिति के **अध्यक्ष** के पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना भी प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा. इस सूचना की एक प्रति ऐसे अभ्यर्थी को भी जो परियोजना समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है, दी जायेगी.

81. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से, नियम 61 के अधीन बुलाए गए जिसे सम्मिलिन की तारीख में परिवर्तन का समय–समय पर निदेश दे सकेगा और जिला निर्वाचन प्राधिकारी और संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा.

82. अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्य के निर्वाचन के लिये कोई सम्मिलन तब तक नहीं होगा, जब तक कि परियोजना समिति के आधे सदस्य, जो निर्वाचन में मतदान के हकदार है, उपस्थित नहीं हों.

प्ररूप 1

[नियम 17 का उपनियम (2) देखिए]

जल उपभोक्ता संथा (संथाओं) के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन हेतु सूचना

जिला .... में

यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला .... में जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा.

(1) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे :–

(क) तारीख .... को

(ख) समय .... बजे से .... बजे तक.

(2) नाम निर्देशन पत्रों के जांच की तारीख ....

(3) अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख ....

(4) मतदान की तारीख ....

(5) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना की तारीख ....

(6) परिणामों की घोषणा एवं प्रकाशन की तारीख ....

संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी/ जिला निर्वाचन प्राधिकारी.

[नियम 17 का उपनियम (2) देखिए]

जल उपभोक्ता संथा .... के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिये निर्वाचन हेतु सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि –

1. जल उपभोक्ता संथा .... का प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन किया जाना है.
2. नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को, तारीख .... से .... तक 10.30 बजे (पूर्वान्ह) से 17.00 बजे तक परिदत्त किये जा सकते है.
3. नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं.
4. नाम निर्देशन पत्रों की जांच .... (स्थान) पर तारीख .... को .... बजे की जाएगी.
5. अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को .... कार्यालय में .... को 15.00 बजे के पूर्व प्रेषित की जा सकती है.
6. निर्वाचन कराये जाने की दशा में मतदान तारीख .... को .... 7.00 बजे से 13.00 बजे तक कराया जाएगा.
7. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके पश्चात् परिणाम तुरन्त घोषित किये जाएंगे.

स्थान : ....

तारीख : ....

निर्वाचन अधिकारी.

प्ररूप 3

[नियम 19 का उपनियम (1) देखिए]

जल उपभोक्ता संथा ....

नाम निर्देशन–पत्र

1. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य का नाम ....
2. .... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम या क्रम संख्या
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम ....
4. पिता अथवा पति का नाम ....
5. अभ्यर्थी की निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या ....
6. आयु ....
7. लिंग ....
8. वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ....
9. (क) व्यवसाय ....
   (ख) स्थायी पता ....
   (ग) अस्थायी पता ....
10. प्रस्तावक का पूरा नाम ....
11. निर्वाचन नामावली में प्रस्तावक की क्रम संख्या ....
12. प्रस्तावक के हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मैं निर्वाचन हेतु पात्र हूं एवं निर्वाचन में खड़ा होने का इच्छुक हूं तथा ऊपर दर्शाई गई मेरी आयु सही है.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.

उपरोक्त घोषणा का मेरे .... (अधिकारी का नाम) समक्ष श्री .... द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिसे श्री .... ग्राम .... द्वारा मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना गया.

ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर, जो मंडल राजस्व अधिकारी पद

निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति

पृष्ठांकन—अनुक्रमांक

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे प्रस्तुत किया गया .... (व्यक्ति का नाम) .... स्थान, तारीख, तथा समय ....

तारीख : निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने का अधिकारी का विनिश्चय.

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को नियम 8 के अनुसार समझा दिया है और नियमानुसार विनिश्चय करता हूं.

तारीख .... निर्वाचन अधिकारी.

नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति और जांच की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या ....

जल उपभोक्ता संथा .... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन के लिए/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से (निर्वाचन हेतु) अभ्यर्थी .... का नाम निर्देशन पत्र मुझे .... स्थान, ... तारीख, ... समय, ... अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया.

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच .... (तारीख) को .... (समय), ... स्थान पर की जाएगी.

तारीख : निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.

प्ररूप 4

[नियम 22 देखिए]

जल उपभोक्ता संथा .... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु .... (तारीख) को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	आयु	लिंग	जाति (अनु.जा./अ.ज.जा./अन्य पि.व./सा.)	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अभ्यर्थी की क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का मतदाता सूची में क्रम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

नाम निर्देशन पत्रों की जांच तारीख .... को पूर्वान्ह/अपरान्ह .... (स्थान) पर की जाएगी.

स्थान : ....

तारीख : ....

निर्वाचन अधिकारी
या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.

प्ररूप 5

[नियम 23 का उपनियम (5) देखिए]

विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

जिले का नाम.. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/जल उपभोक्ता संथा का नाम........ .... जल उपभोक्ता संथा.. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन.

आबंटित क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान :– ....

तारीख :– ....

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 6

[नियम 24 का उपनियम (1) देखिए]

नाम वापसी की सूचना

जल उपभोक्ता संथा.................... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं .... उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी, एतद्द्वारा, सूचना देता हूं कि मैं अभ्यर्थिता वापस लेता हूं.

स्थान :– ....

तारीख :–.. अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में (नाम) श्री.. द्वारा (तारीख) .... को .... (समय) दी गई.

तारीख :–.. निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी हेतु सूचना के लिये प्राप्ति स्वीकृति

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री.. .... द्वारा मुझे अपनी अभ्यार्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में भी .... द्वारा (तारीख)................................ को.. (समय) .... दी गई।

तारीख :–.. निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 7

[नियम 24 का उपनियम (2) देखिए]

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

जल उपभोक्ता संथा...की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज उसकी/उनकी अभ्यर्थिता वापस ली.

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आबंटित चिन्ह
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

तारीख :–....................................... निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 8

[नियम 25 का उपनियम (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जल उपभोक्ता संथा............................ की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	आबंटित/समनुदेशित चिन्ह (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान :– ....

तारीख :–...

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 9´

[नियम 26 का उपनियम (2) देखिए]

निर्वाचन नियमों के नियम 20 (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियमों के नियम 20 (2) के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संथा .... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ.

नाम : ....

पता : ....

....

....

स्थान :– ....

तारीख :– .... निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 10

[नियम 28 का उपनियम (1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

जल उपभोक्ता संथा.. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं,.. उक्त निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा .... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु अभ्यर्थी, एतद्द्वारा श्री.......................... .... निवासी.. को आज तारीख से उक्त निर्वाचन हेतु अपना अभिकर्ता नियुक्त करता हूं.

स्थान :– ....

तारीख :–..

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं, उक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं, एतद्द्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूं.

स्थान :– ....

तारीख :–..

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 11

[नियम 28 का उपनियम (2) (ख) देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

जल उपभोक्ता संथा................................ की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मैं,..एक अभ्यर्थी/श्री.. जो उक्त निर्वाचन मैं अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद्द्वारा श्री.. को .... के मतदान हेतु नियत.. में स्थित मतदान केन्द्र क्रमांक .... पर उपस्थित होने हेतु मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता
के हस्ताक्षर

मैं, एतद्द्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूं

स्थान :– ....

तारीख :–..

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

[नियम 28 का उपनियम (3)(ख) देखिए]

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

जल उपभोक्ता संथा.................................. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं... एक अभ्यर्थी/श्री.. जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को .... (स्थान) पर मतगणना में उपस्थित रहने हेतु मेरे मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं.

क्रम संख्या	मतगणना अभिकर्ता का नाम	मतगणना अभिकर्ता का पता
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता
के हस्ताक्षर

मैं/हम मतगणन्ना अभिकर्ता/अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है.

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं, एतद्द्वारा उक्त नियुक्ति को स्वीकार और अनुमोदित करता हूं.

स्थान :– ....
तारीख :–..

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 13

[नियम 38 का उपनियम (2) देखिए]

निविदत्त मतपत्रों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक................................ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक..........................

जल उपभोक्ता संथा.................................. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक, अनुभाग क्रमांक, जल उपभोक्ता संथा का नाम	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर या मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान	मतपत्र का क्रमांक, जो उस व्यक्ति जो पूर्व में ही मतदान कर चुका हैं, प्रदाय किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान :– ....

तारीख :– ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 14

[नियम 39 का उपनियम (2) (ग) देखिए]

चुनौती दिए गये मतों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक.. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.........................

जल उपभोक्ता संथा.. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	जल उपभोक्ता संथा की मतदाता सूची में निर्वाचकों की संख्या/केन्द्र क्रमांक	निर्वाचक का नाम	चुनौती दिये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान एवं उसका पता	चुनौती देने वाले का नाम	पहचान करने वाले के यदि कोई हो तो हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	मतदान अधिकारी का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय (रिफंड) प्राप्त होने पर चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान :– ....

तारीख :–.. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 15

[नियम 42 का उपनियम (8) देखिए]

भाग — 1

मतपत्र लेखा

जल उपभोक्ता संथा.. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या तथा नाम

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक..................................

जल उपभोक्ता संथा..

क्रम संख्या .... से .... तक

कुल संख्या...

---

1. प्राप्त मतपत्र ....
2. मतपत्र जो उपयोग में नही लाये गये ....

   (अर्थात जो मतदाताओं को प्रदाय नहीं किये गये)

   (क) मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ....

   (ख) मतदान अधिकारी के हस्ताक्षरों के बिना ....

   *कुल (क + ख) ....
3. *मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र (1–2 = 3) ....
4. मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र जो मत पेटी में नहीं डाले गये......................

   (क) नियम 20 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र..................................

   (ख) अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र ....

   (ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग किये गये मतपत्र ....

   *कुल (क + ख + ग) ....
5. *मतपेटी में पाये जाने वाले मतपत्र

   (3–4 = 5)

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग – 2

गणना परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
आदि		

दो – निरस्त किये गये मतपत्र

तीन – योग

क्या मद क्रमांक 3 के सामने दर्शाये गए मतपत्रों की कुल संख्या भाग–1 की मद क्रमांक 5 के सामने दर्शाये योग के अनुरूप है, अथवा इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क जानकारी में आया है.

स्थान :– ....

तारीख* :–.. गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान :– ....

तारीख :–.. निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

ऐसे शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हों.

प्ररूप 16

[नियम 46 (7) तथा 53 (1) (ख) देखिए]

अंतिम परिणाम पत्रक

(मतदान-केन्द्र पर मतदान के परिणाम के अभिलेखन हेतु उपयोग किया जाए)

जल उपभोक्ता संथा..की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	मतदान केन्द्र की क्रम संख्या	के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या				वैध मतों की कुल संख्या	निरस्त किये गये मतों की कुल संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

मतदान केंद्रों पर कुल दर्ज किये गये मतों की कुल संख्या..

डाक मतपत्र द्वारा दिये गये मतों की संख्या..

स्थान :– ....

तारीख :–...　　　　निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 17

[नियम 53 का उपनियम (1) (क) देखिए]

अंतिम परिणाम पत्रक

(जब किसी स्थान के लिये निर्वाचन होना हो, तब निर्वाचन में उपयोग के लिये)

निर्वाचन नियमों के नियम 53 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 के नियम 53 के अनुसार

मैं, घोषित करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्त संथा.. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए.

जल उपभोक्ता संथा...: की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य

नाम...

पता...

....

हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी

ऐसे शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हों.

प्ररूप 18

[नियम 54 देखिए]

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं, ... जल उपभोक्ता संथा.. के लिये निर्वाचन अधिकारी, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि.. (दिवस) .... 200.............. को मैंने श्री.. को जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और उसके प्रमाण स्वरूप मैंने उसे यह निर्वाचन प्रमाण–पत्र प्रदान किया है.

निर्वाचन अधिकारी

मुद्रा

प्ररूप 19

[नियम 63 तथा 64 देखिए]

सिंचाई प्रणाली की.............................. वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :–

1. सिंचाई प्रणाली की.. वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) .... को किया जाएगा।
2. नाम निर्देशन पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख) ....को पूर्वान्ह 11.00 से 12.00 अपरान्ह के मध्य (स्थान) .... पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं.
3. नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घंटा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं.
4. नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) .... को 12.30 बजे से 13.00 बजे के मध्य (स्थान) .... में की जाएगी.
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (तारीख)........ .... को 13.00 बजे से 13.30 बजे के मध्य (स्थान) .... में दी जा सकती है.
6. निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) .... को 15.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा.
7. गणना, मतदान पूर्ण होने पर प्रारंभ की जाएगी और परिणाम उसके बाद तुरंत घोषित कर दिए जाएंगे.

स्थान :– ....

तारीख :–...

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 20

[नियम 19 का उपनियम (1) देखिए]

वितरिका समिति..

नाम निर्देशन–पत्र

1. पद का नाम ....
   (क) अध्यक्ष, प्रबंध समिति ....
   (ख) सदस्य, प्रबंध समिति ....
2. जल उपभोक्ता संस्था का नाम, जिसके लिये वह अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है ....
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित ....
4. पिता या पति का नाम ....
5. आयु ....
6. लिंग ....
7. वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ....
8. (क) व्यवसाय ....
   (ख) स्थायी पता ....
   (ग) अस्थायी पता ....
9. प्रस्तावक का पूरा नाम ....
10. जल उपभोक्ता संथा, ... जिसके लिये वह अध्यक्ष घोषित किया गया ....
11. प्रस्तावक का हस्ताक्षर ....

(पूरा नाम)

तारीख ....

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूं, कि मैं पात्र हूं और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूं.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पूरा नाम..........

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे..........(व्यक्ति) द्वारा (स्थान).......... में तारीख.......... और समय.......... प्रस्तुत किया गया.

निर्वाचन अधिकारी या

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय

मैंने, इस नाम निर्देशन पत्र की जांच की और निम्नानुसार विनिश्चिय करता हूं.

तारीख : .... निर्वाचन अधिकारी

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु पावती और जांच हेतु सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या.. वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी श्री.. का नाम निर्देशन पत्र मुझे .... अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा... (तारीख)......................................(समय).................. .... को दिया गया.

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख)................................. को ....(समय) .... स्थान..................................... में की जाएगी.

तारीख.. निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 21

[नियम 22 देखिए]

.... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिये

तारीख ....

को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव जल की उपभोक्ता संथा का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नाम निर्देशन पत्रों की जांच तारीख .... को 12.30 बजे से 13.00 बजे के बीच .... (स्थान) में की जाएगी.

स्थान :–..

तारीख :–...

निर्वाचन अधिकारी या
अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 22

[नियम 23 (5) देखिए]

जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

वितरिका समिति का नाम...

.... **वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन**

आबंटित अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
आदि		

स्थान :– ....

तारीख :–..

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 23

[नियम 24 का उपनियम (1) देखिए]

अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

.... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मैं, ... उपरोक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी के रूप में एतद्द्वारा, सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं.

स्थान :– ....

तारीख :–.. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री .... (नाम) द्वारा तारीख.................. .... को (स्थान) .... में परिदत्त की.

तारीख :–.. निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 24

[नियम 24 का उपनियम (2) देखिए]

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

.... **वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिये निम्नलिखित विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज उसकी/उनकी अभ्यर्थिता वापस ले ली है.

आबंटित क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
आदि		

स्थान :– ....

तारीख :–..

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 25

[नियम 25 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

.... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

आबंटित क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)
1	
2	
3	
4	
5	
आदि	

स्थान :– ....

तारीख :– ....

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 26

[नियम 66 देखिए]

मतपत्र

.... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मतपत्र

मतदाता की क्रम संख्या .... हस्ताक्षर/–

पंजीयन क्रमांक.. अंगूठा निशान.

.... वितरिका समिति

प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मदपत्र ....

पंजीयन क्रमांक......................

	अभ्यर्थी का नाम हिंदी में वर्ण क्रमानुसार	खाने में दिये गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (√) चिन्ह लगाये
1	नाम	☐
2	नाम	☐
3	नाम	☐
4	नाम	☐
5	नाम	☐
6	नाम	☐

1. वितरिका समिति का नाम ....
2. मतदान की तारीख ....
3. मतदान का स्थान ....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 27

[नियम 66 देखिए]

मतपत्र

.... वितरिका समिति

प्रबंध समिति का सदस्य..

मतदाता की क्रम संख्या..

पंजीयन .... क्रमांक ....

हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

.... वितरिका समिति

सदस्य/प्रबंध समिति ....

पंजीयन क्रमांक...

अभ्यर्थी का नाम हिंदी में वर्ण क्रमानुसार		खाने में दिये गये स्थान में उतने अभ्यर्थियों के सामने (√) चिन्ह लगाये जितनी प्रबंध समिति में पदों की संख्या हो.
1	नाम	☐
2	नाम	☐
3	नाम	☐
4	नाम	☐
5	नाम	☐
6	नाम	☐

1. वितरिका समिति का नाम ....
2. मतदान की तारीख ....
3. मतदान का स्थान ....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 28

[नियम 26 का उपनियम (2) तथा नियम 67 देखिए]

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

नियम 62 के अनुसार, मैं, घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी.. वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु, सम्यक् रूप से, निर्वाचित किये गये.

नाम :..

पता..

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 29

[नियम 74 देखिए]

.... सिंचाई प्रणाली की................................ परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष /सदस्य के पद हेतु निर्वाचन सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि –

1. .... सिंचाई प्रणाली की .... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के संभावित/सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) .... को कराया जायेगा.
2. नामनिर्देशन–पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख) .... को (स्थान).. पर पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किये जा सकते है.
3. नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिए विनिर्दिष्ट समय से एक घंटा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं.
4. नाम निर्देशन पत्रों की जांच हेतु (तारीख) .... को .... (स्थान) 12.30 अपरान्ह से 13.00 अपरान्ह के मध्य की जाएगी.
5. अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना तारीख .... को (स्थान) .... में अपरान्ह 13.00 बजे से अपरान्ह 13.30 बजे के मध्य दी जा सकती है.
6. निर्वाचन कराये जाने की स्थिति में ....मतदान तारीख .... को अपरान्ह 15.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा.
7. गणना, मतदान पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ की जाएगी एवं परिणाम उसके बाद तुरंत घोषित कर दिये जाएंगे.

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 30

[नियम 19 (1) देखिए]

परियोजना समिति..................................

नाम निर्देशन – पत्र

1. कार्यालय का नाम ....
   (क) प्रबंध समिति का **अध्यक्ष** ....
   (ख) प्रबंध समिति का सदस्य...
2. वितरिका समिति का नाम, जिसके लिये वह अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है.................. ....
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित..
4. पिता अथवा पति का नाम ....
5. आयु ....
6. लिंग ....
7 जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ....
8. (क) व्यवसाय ....
   (ख) स्थायी पता ....
   (ग) अस्थायी पता ....
9. प्रस्तावक का पूरा नाम ....
10. जल उपभोक्ता संथा .... जिसके लिये
    बह अध्यक्ष घोषित किया गया ....
11. प्रस्तावक का हस्ताक्षर...

(नाम बड़े अक्षरों में)

तारीख...............................

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि मैं पात्र हूं एवं निर्वाचन में खड़ा होना चाहता हूं.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम बड़े अक्षरों में)

यह नाम निर्देशन–पत्र मुझे श्री .... (व्यक्ति) द्वारा तारीख .... को (स्थान) .... में .... समय .... बजे प्रस्तुत किया गया.

निर्वाचन अधिकारी या अन्य
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी का निर्देशन–पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का विनिश्चिय

मैंने इस नाम निर्देशन–पत्र का परीक्षण किया है तथा निम्नानुसार विनिश्चिय करता हूं ....

....

तारीख .... निर्वाचन अधिकारी

नाम निर्देशन–पत्र के लिये पावती और जांच हेतु सूचना

(नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रदाय करने के लिए)

नाम निर्देशन–पत्र का क्रम संख्या ....

श्री .... का ....परियोजना समिति की प्रबंध समिति के **अध्यक्ष**/सदस्य .... के निर्वाचन हेतु, अभ्यर्थी का नाम निर्देशन–पत्र मुझे (तारीख) .... को (समय) .... अभ्यर्थी/प्रस्तावक .... द्वारा दिया गया.

सभी नाम निर्देशन–पत्रों की जांच तारीख .... को (समय) .... (स्थान).. पर की जाएगी.

तारीख .... निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 31

[नियम 22 देखिए]

.... परियोजन समिति के अध्यक्ष /सदस्य पद के लिये

तारीख .... को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वितरिका समिति का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव की वितरिका समिति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तारीख .... को 12.30 बजे अपरान्ह से 13.00 बजे अपरान्ह के मध्य .... (स्थान) में की जाएगी.

स्थान :- ....

तारीख :- ....

निर्वाचन अधिकारी या

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 32

[नियम 23 का उपनियम (5) देखिए]

जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

परियोजना समिति का नाम ....

परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जल वितरिका समिति का नाम, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
आदि		

स्थान :– ....

तारीख :–..

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 33

[नियम 24 का उपनियम (1) देखिए]

अभ्यर्थी द्वारा दी गई अभ्यर्थीता वापसी की सूचना

....परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष /सदस्य हेतु निर्वाचन

मैं, ... उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी .... एतद्द्वारा, सूचना देता हूं कि मैं .... अभ्यर्थिता वापस लेता हूं.

स्थान :– ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख :–..

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री .... (नाम) द्वारा तारीख .... को (समय) .... दी गई.

स्थान :– ....

निर्वाचन अधिकारी

तारीख :–..

प्ररूप 34

[नियम 24 का उपनियम (2) देखिए]

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

.....................................परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य हेतु निर्वाचन

निम्नलिखित वैधानिक रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के इस निर्वाचन हेतु उसकी/उनकी अभ्यर्थिता आज वापस लेते हैं.

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यिर्थियों ने आज अपनी अभ्यिर्थिता वापस ली है.

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
आदि		

स्थान :– ....

तारीख :–...

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 35

[नियम 25 का उपनियम (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

.................................परियोजना समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष /सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)
1	
2	
3	
4	
5	
आदि	

स्थान :- ....

तारीख :-...

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 36

[नियम 76 देखिए]

मतपत्र

....परियोजना समिति/प्रबंध समिति के अध्यक्ष के लिए मतपत्र

मतदाता की क्रम संख्या.................................

पंजीयन क्रमांक.. हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

.... परियोजना समिति/प्रबंध समिति के अध्यक्ष के लिए मतपत्र

पंजीयन क्रमांक...................................

पंजीयन क्रमांक...................................

	अभ्यर्थी का नाम हिंदी में वर्ण क्रमानुसार	खाने में दिये गये स्थान में केवल एक नाम के सामने (√) चिन्ह लगाये
1	नाम	☐
2	नाम	☐
3	नाम	☐
4	नाम	☐
5	नाम	☐
6	नाम	☐

1. परियोजना समिति का नाम ....
2. मतदान की तारीख ....
3. मतदान का स्थान ....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 37

[नियम 76 देखिए]

मतपत्र

....परियोजना समिति

प्रबंध समिति का सदस्य ....

मतदाता की क्रम संख्या ....

पंजीयन .... क्रमांक ....

हस्ताक्षर/
अंगूठा निशान

.... परियोजना समिति

प्रबंध समिति का सदस्य ....

पंजीयन क्रमांक..

अभ्यर्थी का नाम हिंदी में वर्ण क्रमानुसार		खाने में दिये गये स्थान में उतने अभ्यर्थियों के सामने (√) चिन्ह लगाये जितनी प्रबंध समिति में पदों की संख्या हो.
1	नाम	☐
2	नाम	☐
3	नाम	☐
4	नाम	☐
5	नाम	☐
6	नाम	☐

1. परियोजना समिति का नाम ....
2. मतदान की तारीख ....
3. मतदान का स्थान ....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 38

[नियम 26 का उपनियम (2) तथा 78 देखिए]

निर्वाचन नियमों के नियम 73 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियम के नियम 73 के अनुसार, मैं, घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी परियोजना समिति की प्रबंध समिति के **अध्यक्ष** /सदस्य पद हेतु, सम्यक रूप से, निर्वाचित हो गया है/हो गये है.

नाम : ....

पता : ....

स्थान :– ....

तारीख :–.. निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

"CHHATTISGARH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI NIRVACHAN NIYAM, 2006 "

TABLE OF CONTENTS

Sections:-

CHAPTER-I

1. Short title and commencement

2. Definitions

CHAPTER-II

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS

3. Authorities for the Conduct of elections

4. District Election Authority

5. Election Officer

6. Assistant Election Officers

7. Assistant Election Officer to perform functions of the Election Officer

8. Election Officer to act in the manner provided

9. Polling Stations

10. Presiding Officers and Polling Officers

CHAPTER III

RESERVATION OF TERRITORIAL CONSTITUENCIES AND IN FARMERS ORGANISATION

11. Powers of Collector to determine reserved seats for Territorial Constituencies -

12. Reservation in Distributory Committee and Project Committee-

CHAPTER IV

ELECTORAL ROLL FOR THE WATER USERS ASSOCIATION

13. Electoral Roll For The Water Users Association

14. Language of the Roll

15. Preparation of copies of rolls

16. Sale of electoral rolls and custody of rolls

CHAPTER-V

ELECTION OF MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE AND PRESIDENT OF WATER USERS' ASSOCIATION

17. Public Notice of Election

18. Special Election Programme

19. Nomination of Candidates

20. Presentation of Nomination Paper and Requirements of Valid Nomination

21. Security Deposits

22. Publication of Nominations

23. Scrutiny of Nomination Papers

24. Withdrawal of Candidature

25. Publication of list of contesting candidates

26. Declaration of Result of Uncontested Candidate

27. Death of Candidate Before poll

28. Appointment of agents

29. Voting

30. Right to vote

31. Arrangements of polling station
31-A. Preparation of ballot boxes

32. Form of ballot paper.-

33. Issue of Ballot Papers

34. Maintenance of Secrecy of voting by Electors and Voting Procedure

35. Blind and Infirm Voters

36. Facilities to Women Electors

37. Identification of Electors

38. Tendered Votes

39. Challenging of Identity

40. Safeguards against Impersonation

41. Spoilt and Returned ballot Papers

42. Closing of poll and sealing of Ballot Boxes and -covers after poll

43. Account of Ballot Papers, Ballot Boxes, packet etc

44. Scrutiny of Opening of ballot boxes and counting of Votes

45. Admission to the place fixed for counting

46. Rejection of ballot papers

47. Recount of votes

48. Equality of votes

49. Disturbances at the time of counting of votes

50. Sealing of used, ballot papers

51. Transfer o ballot papers to cloth bags

52. Counting of votes in case of fresh poll

53. Declaration of Result

54. Grant of Election Certificate

55. Publication of Results

56. Disposal of ballot papers

57. Adjournment of poll in emergencies

58. Filling up of casual vacancies

59. Power of government in certain cases

60. Power of Election Officer to fix dates etc, certain cases

Chapter- VI

61. Election of member of the managing committee and president of the distributory committee

62. – 71

Chapter- VII

72. Election of member of the managing committee and chairperson of the project committee

Forms

FORM 1
NOTICE FOR THE ELECTION OF THE PRESIDENT / MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE OF THE WUAs

FORM 2
NOTICE FOR THE ELECTION FOR OFFICE OF THE PRESIDENT/ MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE OF THE WUAs

FORM 3
NOMINATION PAPER

FORM 4
LIST OF NOMINATIONS RECEIVED

FORM 5
LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

FORM 6
NOTICE OF WITHDRAWAL

FORM 7
NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

FORM 8
NOTICE OF CONTESTING CANDIDATE

FORM 9
DECLARATION OF THE RESULTS OF ELECTION UNDER RULE 11(2) OF THE ELECTION RULES

FORM 10
APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

FORM 11
APPOINTMENT OF POLLING AGENT

FORM 12
APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

FORM 13
LIST OF TENDERED BALLOT PAPERS

FORM 14
LIST OF CHALLENGED BALLOT PAPERS

FORM 15
PART-I BALLOT PAPER ACCOUNT
PART-II RESULT OF COUNTING

FORM 16
FINAL RESULT SHEET

FORM 17
DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER RULE 53 OF THE RULES

FORM 18
CERTIFICATE OF ELECTION

FORM 19
NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT/ MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE OF DISTRUBUTORY COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

FORM 20
NOMINATION PAPER

FORM 21
LIST OF NOMINATIONS RECEIVED

FORM 22
LIST OF VALID NOMINATIONS AFTER SCRUTINY

FORM 23
NOTICE FOR WITHDRAWL OF CANDIDATURE

FORM 24
NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

FORM 25
LIST OF CONTESTING CANDIDATE

FORM 26
BALLOT PAPER

FORM 27
BALLOT PAPER

FORM 28
DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION

FORM 29
NOTICE OF ELECTION FOR PROJECT COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

FORM 30
NOMINATION PAPER FOR PROJECT COMMITTEE

FORM 31
LIST OF NOMINATIONS RECEIVED

FORM 32
LIST OF VALID NOMINATIONS AFTER SCRUTINY

FORM 33
NOTICE OF WITHDRAWAL GIVEN BY THE CANDIDATE

FORM 34
NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

FORM 35
LIST OF CONTESTING CANDIDATE

FORM 36
BALLOT PAPER

FORM 37
BALLOT PAPER

FORM 38
DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER RULE
73 OF ELELCTION RULES

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 7 of 2006), the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

Rules

CHAPTER-I

1. Short title and commencement.-(l) These rules may be called the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette".

2. Defintions.-In these Rules, unless the context otherwise requires,- .

"Act" means the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No.7 of 2006);

(a) "Competent Authority" means the competent authority appointed under Section 21 of the Act;

(b) "Candidate" means a person a contesting in the election;

(c) "District Election Officer" means the Collector of the District for conduct of the election under these rules;

(d) "Forms" means the Forms appended to these Rules;

(e) "Returning Officer" means an officer appointed by the District Election Officer;

(g) "Voter List" means the list prepared under sub-rule (1) of rule 4 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006;

(h) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the respective meanings assigned to them in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No.7 of 2006) and the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006

CHAPTER-II

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS

3. **Authorities for the Conduct of elections.**-(1) The Secretary of the Government appointed under Section 48 of the Act shall be Divisional Election Authority for the purpose of conducting elections within their respective jurisdiction.

(2) The elections of Members of the Managing Committee and President of the Farmers Organisation shall be conducted under the superintendence, direction, control of District Election Authority.

(3) The District Collector shall be the District Election Authority. The functions of the Divisional Election Authority under these rules may also be performed, by the District Election Authority within his jurisdictions, as may be authorised by the Divisional Election Authority.

(4) The Additional Collector of the District shall be Additional District Election Authority. The Tehsildar, or the Sub-divisional Officer (Revenue), as the case may be in the District shall be the Deputy District Election Authority.

(5) The Additional District Election Authority and the Deputy, District Election Authority shall perform such of those functions as may be assigned to them by the District Election Authority. The District Election Authority may authorise in writing, the Additional District Election Officer or the Deputy Election Authority to exercise in any local area in the District in regard, to any Water Users' Association, the Distributory Committee or the Project Committee in that area any of the 'powers vested in him under these rules.

4. **District Election Authority** - Subject to the general superintendence, direction and control of the Divisional Election Authority, the District Election Authority shall be responsible for the conduct, co-ordination and supervision of all works in connection with the conduct of elections of the Members of the managing Committee and President of Water Users' Association and Distributory Committee and the President and members of the Managing Committee of the Project Committee.

5. **Election Officer** - For every election to fill the seats of Member of the Managing Committee and President of Water Users' Association and the Distributory Committee, and for the office of the President and Member of the Managing Committee of the Project Committee, the District Election Authority shall designate or nominate by order an officer as an Election Officer, who shall be as far as possible be a Gazetted Officer of the State Government of a local authority not below the rank of a Tehsildar..

6. **Assistant Election Officers** -The District Election Authority may appoint one or more persons as Assistant Election Officers to assist any Election Officer :

Provided that every such person shall be an officer of the State Government or of a local authority.

7. **Assistant Election Officer to perform functions of the Election Officer** - Every Assistant Election Officer shall, subject to the control of the Election Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Election Officer :

Provided that no Assistant Election Officer shall perform any functions of the Election Officer, which relate to the scrutiny of nominations papers unless the Election Officer is unavoidably prevented from performing the said functions.

8. **Election Officer to act in the manner provided** -It shall be the general duty of 'the Election Officer at any election to do all such acts and things as may be necessary for conducting the election in the manner provided under the Act and under these Rules or orders made thereunder.

9. **Polling Stations** -The District Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the Election Authority, provide as many polling stations as are necessary for the conduct of elections and shall in such manner as the Election Authority may direct publish a list showing the polling stations and the areas or groups of voters for which they have been provided respectively.

10 . **Presiding Officers and Polling Officers** - (1) The District Election Authority or any officer authorised by him shall appoint 'a Presiding Officer for each Polling Station and such other polling officers as he thinks necessary but he shall not appoint any person ' who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about election :

Provided that if a Polling Officer is absent, the Presiding Officer may appoint any person who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about the election to be the Polling Officer and inform the Election Officer accordingly:

Provided further that the polling personnel appointed for the conduct of poll for Member of the Managing Committee and President of Water Users' Association, any other officer authorised by him in this' behalf under this rule may also conduct the poll for any other elective office for which the election is conducted simultaneously.

(2) A Polling Officer shall, if so directed the Presiding Officer, perform all or any of the functions of a Presiding Officer under these Rules.

(3) If a Presiding Officer owing to illness or due to unavoidable cause, absents from the polling station his functions, shall be performed by such Polling Officer, as has been authorised by the Election Officer to perform such function during any such absence.

(4) It shall be the general duty of the Presiding Officer at the polling station to keep and maintain public order there at, and to see that the poll is taken in a fair manner.

CHAPTER III

RESERVATION OF TERRITORIAL CONSTITUENCIES AND IN FARMERS ORGANISATION

11. Powers of Collector to determine reserved seats for Territorial Constituencies -

(1) Subject to the provisions of Section 5 of the Act the territorial constituency or territorial constituencies in which seats shall be reserved for women and the members of the Scheduled castes or Scheduled tribes or other backward classes shall be determined by the Collector.

(2) The total number of seats to be reserved for the members of scheduled castes or scheduled tribes or other backward classes shall be in proportion to the total number of water users of such caste, tribe or backward class with the total number of water users of the Water Users Area. Fraction less than half shall be ignored and half and more than half shall be counted as one.

(3) Seats reserved either for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other backward classes shall as far as practicable, be allotted in the territorial constituencies in which the percentage of number of water users of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other backward classes, as the case may be, worked out by the Collector is found by him to be correspondingly higher in descending number.

(4) Out of the territorial constituencies reserved for women in accordance with sub section 13 of Section 5 number of territorial constituencies shall be reserved for women of scheduled castes or scheduled tribes and/or other backward classes as may bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats reserved for women as the total number of territorial constituencies reserved for scheduled castes or scheduled tribes and/or other backward classes bear to the total number of territorial constituencies in the Water Users Area. Seats for women belonging to scheduled castes scheduled tribes and other backward classes shall be allotted from out of the territorial constituencies reserved for scheduled castes and/or scheduled tribes and/or other backward classes under sub-rule (3). Seats belonging to women of general category be allotted from out of the remaining territorial constituencies.

(5) (a) The prescribed authority shall for the purpose of fixing the territorial constituencies in which seats shall be allotted under sub-rule (4) draw lots separately for the territorial constituencies reserved for other backward classes and for women.

(b) For the purpose of allotting territorial constituencies the prescribed authority shall publish a notice at a conspicuous place at the headquarter of the concerned Water Users Association stating that the lots shall be drawn in the office to be named in such notice and on the date and at the time specified therein before the persons who are present to witness the drawl of lots.

(c) For the purposes of allotment of territorial constituencies for women separate chits shall be prepared for general territorial constituencies and territorial constituencies reserved for scheduled castes and/or scheduled tribes and/or other backward classes giving the individual number of territorial constituencies on each of such chit. All the chits meant for general territorial constituencies shall be kept in one pot and those chits for reserved territorial constituencies shall be kept in separate pot/pots. As many chits as are required for allotment of seats for women of general category shall be drawn out and the number of territorial constituencies written on the chits shall be read out before the persons witnessing the draw. Similar procedure shall be adopted for drawing chits from the pots meant for allotment of territorial constituencies for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes and/or other backward classes.

(d) The proceedings shall be recorded in writing and signed by the prescribed authority. Signatures of at least two non-official persons witnessing the drawl of lots shall also be obtained on proceedings. Their names and addresses shall be written below their signatures.

(e) For the categories of seats which are to be reserved by drawing lots and by rotation, in subsequent election of Water User Association the territorial constituencies previously reserved shall be excluded from drawing lots, for that category till all such territorial constituencies are exhausted.

(f) In accordance with section 5(11) of the Act the reservation of territorial constituencies is subject to the condition that in no case more than fifty percent of the total seats shall be reserved in the Managing Committees of the Water Users Association.

12. Reservation in Distributory Committee and Project Committee-

(1) In accordance with Section 8(6) and Section 11(6) of the Act, the total number of seats to be reserved for the members of scheduled castes or scheduled tribes or other backward classes in the Managing Committees of the Distributory Committee and the Project Committee shall be in proportion to the total number of water users of such caste, tribe or backward class with the total number of water users of the Distributory and the Project Area respectively. Fraction less than half shall be ignored and half and more than half shall be counted as one.

(2) In accordance with sub-rule (1) and subject to Section 8 and Section 11 of the Act the State Government shall reserve seats in every Managing Committee of the Distributory Committee and the Project Committee.

CHAPTER IV

ELECTORAL ROLL FOR THE WATER USERS ASSOCIATION

13. Electorai Roll For The Water Users Association – The electoral roll for Water Users Association shall be the voters list prepared under Rule 4 of the Chhatisgarh Sinchai Prabandhan Mein Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006

14. Language of the Roll- The roll shall be prepared in Hindi. The roll may also be prepared in such other language or languages considering the necessity therefor.

15. Preparation of copies of rolls – Arrangements shall be made to provide as many copies of the roll as deemed necessary by the Collector for conducting the elections. One copy of all parts of the rolls relating to all the Water Users Association falling within his jurisdiction shall be placed on record at the the office of the Collector. One copy of all parts of the roll related to individual Water Users Association Territorial Constituency-wise shall be placed on record at the office of Water Users Association concerned.

16. Sale of electoral rolls and custody of rolls – (1) The copies of rolls may be sold to the public at the process determined by the Collector, from time to time, and the proceeds shall be remitted into relevant Head of Account of the Government.
(2) One copy of such roll may be kept in the office of the Collector for a period of five years from the date of its final publication or till a new roll is published, whichever is earlier.

CHAPTER-V

ELECTION OF MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE AND PRESIDENT OF WATER USERS' ASSOCIATION

17. Public Notice of Election.-(l) The election shall be held for the purpose of constituting a Water Users' Association after the commencement of the Act and on the expiration of the term of the Water Users' Association or on vacancy in such office either by death, resignation or recall.

(2) For the purpose of sub-rule (1) Divisional Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the State Government in pursuance of and in consonance with the provisions of the Act in this behalf, publish a notice in Form-I, for conducting the election of the Member of the Managing Committee and President of the Water Users' Association in accordance with the provisions of the Act, and under these Rules and orders made thereunder.

(3) The defaulter list shall be displayed, 15 days in advance before the date of publication of the notice in Form-I.

Explanation.-Defaulter means a person who has not paid any sum due by him under Chhatisgarh SInchai Prabhandhan Mein Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 7 of 20006) for a period of three years or more.

(4) On the issue of the notice under sub-rule (2) the Election Officer shall give public notice of the elections for Water Users' Association, in form-2 in Hindi language which shall be published at prominent places and in such manner as the Election Officer may direct.

(5) The dates fixed for the, various stages of the election shall be subject to the following

(a) The last date for making nominations shall be not earlier than the fourth day and not later the tenth day after the publication of the notice referred to in sub-rule (2) whether or not it is a public holiday;

(b) The date for the scrutiny of nominations shall be the day immediately following the last date for making nominations whether or not it, is a public holiday;

(c) The last date and time for withdrawal of the' candidature shall not be later than 3.00 p.m. of the third day succeeding the day appointed for scrutiny of the nominations, whether or not it is a public holiday;

(d) The date or dates on a poll shall be taken, which or first of which shall be a date not earlier than the tenth day after the last date for withdrawal of the candidature;

(e) The poll shall commence on the day fixed, at 8.00 a.m. and shall be closed by 2.00 p.m. soon after the polling is over, counting shall commence and the results shall be declared on the same day;

18. Special Election Programme.-Notwithstanding anything contained in these rules, where the election process is interrupted or the. election programme has to be altered on account of the orders of any Court of Law or for other valid reasons to be recorded in writing, it shall be competent for the Election Authority either generally or in respect of specified Water Users' Association to alter the election programme as he deemed fit, in the circumstances of the case without having regard to sub-rule (5) of rule 17 and the Election Officer shall give effect to the same:

Provided that where the election programme is re-notified under this rule commencing from the making of nominations, the nominations already made shall be disregarded and the deposits, if any, made under Rule 21 shall be refunded.

19. Nomination of Candidates.-(1) Any person may be nominated as a candidate to fill the office of Member of the managing Committee and President Water Users' Association and Distributory committee, President / Member of Managing Committee of Project Committee if he is qualified to be chosen to fill the seat under the provisions of the Act. Every nomination paper shall be in Form-3, for Water Users' Association, in form-20 for the Distributory Committee and in form-30 for the Project committee and shall be presented on or before the date appointed, by the candidate or by his proposer in person in form-3 for Water Users' Association in form-20 for the distributory Committee and in Form-30 for the Project Committee, between the hours specified [in sub-rule (5) of rule 17] duly signed by the candidate and by the proposer. The candidate shall sign' the declaration on the nomination paper.

(2) A candidate for the office of Member or President of Water Users' Association, Distributory committee and Member of President of Project Committee and his proposer shall be such persons whose names are registered in the voters' list for that Water Users' Association, Distributory Committee or Project Committee respectively.

(3) Each candidate shall be nominated on a separate nomination paper.

(4) A candidate may be nominated by more than one proposer separately for the same elective office in a separate nomination form:

Provided that not more than four nominations shall be filed by or on behalf of a candidate.

20. Presentation of Nomination Paper and Requirements of Valid Nomination.-(1) on or before the date appointed, each candidate either in person or, by his proposer deliver to the authorised election officer, during the time and the place specified in the notice issued under rule 17, a duly completed nomination paper in form-3 and signed by the candidate and an eligible voter of the concerning Water Users' Association as proposer.

(2) On receiving nomination paper, the Election Officer shall forthwith number the nomination paper serially in the order in which it is presented and give a receipt as provided in Form-3 for Water Users' Association, in form-20 for the Distributory Committee and form-30 for Project Committee and the election Officer or such other authorised person shall satisfied himself that the name and number of the candidate and his proposer, as entered in the nomination paper, are the same as those entered in' the electoral roll. Whether necessary, he shall direct that the nomination form be amended so as to be in accordance with the electoral roll.

(3) The Election Officer may while interpreting an entry in the voters' list overlook the clerical or printing errors, only, but he shall record the interpretation adopted. by him, together with the reasons therefor, while making the formal acceptance or rejection on scrutiny of a nomination.

21. Security Deposits.-(1) (a) A candidate shall not deemed to be duly nominated for the election to the office of the Member of the Managing Committee and President of Water Users' Association unless has deposited or cause to be deposited a sum of two hundred rupees as security deposit with the Election Officer in cash and receipt obtained therefor before the time of presentation of his nomination paper.

(b) A candidate desirous to contest for the office of the President and also as Member of the Managing Committee of the Distributory Committee shall deposit or cause to be deposited a sum of Rs. 500/- (rupees five hundred only), and Rs. 300/- (Rupees three hundred only) respectively as security deposit respectively with Election Officer in cash and receipt obtained therefor before the time of presentation of his nomination paper. No candidate shall be deemed to have been duly nominated unless the said security deposit has, been made.

(c) A candidate desirous to contest for the office of the President and also as Member of the Managing Committee of the Project Committee shall deposit or cause to be deposited a sum of Rs. 1000/- (Rupees one thousand only), and Rs. 600/- (Rupees six hundred only) as security deposit respectively with Election Officer in cash and receipt obtained therefor before the time of presentation of his nomination paper. No candidate shall be deemed to have been duly nominated unless the said security deposit has been made:

Provided that where a candidate has been nominated in more than' one nomination paper, not more than one security deposit shall be required to be made.

(2) If no nomination paper. is received within the time appointed in that behalf, in respect of any person by whom/or whose behalf the security deposit referred to in sub-rule (1) has been made or if the nomination of any such person is rejected, or if he withdraws his candidature in the manner and within the time specified in sub-rule (1) of Rule 24, the security deposit shall be returned immediately to the person by whom it made and if any candidate dies before commencement of the poll, any such security deposit if made by him shall be returned to his legal representative, if not made by the candidate, shall be returned to the person by whom it was made.

(3) If a candidate by whom or on whose behalf the security deposit referred to in sub-rule (1) has been made, is not elected and the number of valid votes polled to him does not exceed one eighth of the total number of valid votes polled by all the candidates, the security deposit shall be forfeited to the Government.

(4) The security deposit made in respect of a candidate shall, .if it is not forfeited under sub-rule (3) be returned to the candidate or to the person who has made the security deposit on his behalf, as the case may be, within thirty days after publication of the result of election in accordance with Rule 55.

(5) A security deposit required to be returned to any person under sub-rule (4) shall, if such person is dead, be returned to his legal representative.

(6) Notwithstanding anything candidated in this rule immediately after publication of the result of election, the Election Officer or the person authorised by the District Election Authority in this behalf, shall pass an order as to whether a security deposit made under sub-rule (1) shall be refunded or forfeited. The Competent Authority of the concerning Water Users' Association shall within thirty days from the date of publication of the result, return the security deposit to the person who made the security deposit or to his legal representative when such security deposit is refundable. In the case of forfeited of security deposit under sub-rule (2), the Election Officer shall communicate an order to the person concerned who made the security deposit by giving the reasons for such forfeiture.

(7) The amounts received towards election security deposit, challenge fee etc., credited to the Water Users' Association / Distributory Committee / Project Committee as the case may be, the fund shall be remitted to Government Account by the concerning Competent Authority after deducting any refunds made to the concerned person for any reason provided under these rule.

22. Publication of Nominations.-Immediately after expiration of the time specified for receipt of the nomination papers on the date fixed for that purpose, the Election Officer or such other authorised person shall publish at his office in Hindi language a list in Form-'4 for Water Users' Association, in Form-21 for Distributory Committee and in Form-31 for Project Committee of all the nominations received, with a notice that the nomination papers will be taken up by the Election Officer for scrutiny at the specifying the place', the date and time.

23. Scrutiny of Nomination Papers.-(1) On the date appointed for scrutiny of the nominations, the candidates, the proposer of each candidate and one other person duly authorised in writing by each candidate, may attend at such time and place as may be specified under rule 23. No other person shall be entitled to be present. The Election Officer may, however, admit such other persons as he thinks fit to assist him. The Election Officer give such persons all reasonable

facilities to examine the nomination papers of all the candidates, which have been received as aforesaid.

(2) The Election Officer shall then examine the nomination papers and shall decide on all the objections which may be made to any nomination and may either on such objection or on his own motion after summary enquiry as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds, namely:

(a) that the candidate is disqualified for election as Member or President of Water Users' Association Distributory Committee and President of Project Committee as the case may be, under Section 19 of the Act; or

(b) that the name of the candidate or of his proposer or both is or are not registered in the voters' list; or

(c) that the candidate or his proposer has failed to comply with any of the provisions of rule 19 or 21; or

(d) that the signature or the thumb impression of the candidate or the proposer in the nomination paper is not genuine:

Provided that the Election Officer shall not reject any nomination paper on the ground of mere clerical or printing error or any defect which is not of a substantial character.

(3) The Election Officer shall endorse on each nomination paper, his decision, accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, he shall record in writing brief statement of his reasons for such rejection. The scrutiny shall as far as practicable, be completed on the date appointed in this behalf under rule 23 and no adjournment of the proceedings shall ordinarily be permissible except to provide an opportunity to a candidate to rebut any contention raised against his candidature.

(4) For the purpose of this rule, a certified copy of an entry in the voters' list in force of a Water Users' Association / Distributory Committee / Project Committee as the case may be shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for the Water Users Association/Distributory Committee/Project Committee, unless it is proved that he is subject to any disqualification mentioned in the Act.

(5) Immediately after all the nomination papers have been scrutinized and the decision regarding accepting or rejecting the same have been recorded, the Election Officer shall prepare a list of validly nominated candidates, and affix it on the notice board of his office in Form 5 for Water Users' Association, in form 22 for Distributory Committee and in Form 32 for Project Committee as the case may be.

24. Withdrawal of Candidature.-(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing in Form 6 for Water Users' Association, in Form 23 for Distributory Committee and in Form 33 for Project Committee, signed by him and delivered to the Election Officer either by such candidate in person or by his proposer or by his election agent at at any time after the presentation of his nomination paper and not later than 3.00 pm of the third day succeeding the day appointed for scrutiny of the nominations in case of Water Users' Association and between 1.00 PM to 1.30 PM of the same date in case of Distributory Committee and Project Committee, whether or not it is public holiday. The Election Officer shall give a receipt for the same as

provided in Form 6 for Water Users' Association, in Form 23 for Distributory Committee, in Form 33 for Project Committee on being satisfied as to the genuineness of the notice of withdrawal and the identity of the person delivering it.

(2) The Election Officer on receiving a notice of withdrawal under sub-rule (1) shall, as soon as may be, cause a notice of the withdrawal to be published in Form 7 for Water Users' Association, in Form 24 for Distributory Committee and in Form 34 for Project Committee as the case may be.

(3) A candidate who has withdrawn his candidature under sub-rule (1) shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election.

25. Publiction of list of contesting candidates.-(1) Two days after scrutening of the nominations, the Election Officer shall prepare in Hindi language a list in Form 8 for Water Users' Association, and on the same day in Form 25 for Distributory Committee and in Form 35 for Project Committee of persons whose nominations have not been rejected and who have not withdrawn their candidature and publish it on the notice board of his office.

(2) The list shall contain the names of the candidates in alphabetical order in Hindi and shall describe them as in their nomination paper and if poll is found to be necessary it shall also specify the distinctive symbols allotted to them under sub-rule (3).

(3) If a poll is found to be necessary, the Election Officer shall assign to each candidate subject to such directions as may be issued by the Divisional Election Authority in that behalf, a distinctive symbol.

(4) In every case where a symbol is assigned to a candidate under sub-rule (3) such candidate of his election agent shall be informed forthwith regarding the symbol so assigned and be supplied with a specimen thereof by the election officer.

26. Declaration of Result of Uncontested Candidate.-(1) If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted.

(2) If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 9 for Water Users' Association, in Form 28 for Distributory Committee and in Form 38 for Project Committee and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

27. Death of Candidate Before poll.- If a contesting candidate dies and a report of his death is received before commencement of the poll, the Election Officer shall after being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and election proceedings shall be started afresh in all respects as if it is' a new election;

Provided that no fresh nomination, shall be necessary in the case of a candidate who stood validly nominated at the time of countermanding of the poll.

Provided further that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under rule 24 before the countermanding of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election of after such countermanding.

28. Appointment of agents.-(1) (a) A candidate at an election to the office of the President of a Water Users Association, may appoint anyone person to be his election agent. Such appointment

shall be given in Form 10 by forwarding the same in duplicate to the Election Officer who shall return one copy thereof to the election agent after affixing therein his seal and signature in token of his approval of the appointment.

(b) An election agent may perform such functions in connection with the election as are authorised by or under these rules to be performed by an election agent.

(2) (a) The number of polling agents that may be appointed by a contesting candidate of his election agent, shall, in respect of each polling station, be one agent and' a relief agent.

(b) Every such appointment shall be made in Form 11 and shall be handed over to the polling agent for production at the polling station;

(c) No polling agent shall be admitted into the polling station unless he has delivered to the Presiding Officer the instrument of the his appointment under sub-rule (2) after duly .completing and signing before the Presiding Officer the declaration contained thereon.

(d) A polling agent may perform such functions in connection with the" poll as are authorised .by .or under these rules.

(3) (a) Each candidate may appoint such number of counting agents at the place of places fixed for counting as may be specified by the District Election Authority.

(b). Every such appointment shall be made in Form 12 in duplicate, one copy of which shall be forwarded to the Election Officer while the other copy shall be made over to the counting agent for production before the election Officer not later than one hour before the time fixed for counting.

(c) A counting agent may perform such functions in connection with the counting of votes as are authorised by or under these Rules.

(4) (a) At every election where a poll is taken, each contesting candidate at such election and his election agent shall have a right to be present at any polling station.

(b) A contesting candidate himself or his election agent may do any act of thing which any polling agent or the counting agent of such contesting candidate if appointed would have been authorised by or under these rules to do. or may assist any polling agent or counting agent or such contesting candidate in doing any such act or thing.

(5) Where any act or thing is required or authorised by or under these rules to be done in the presence of the polling or counting agents, the non attendance of any such agent or agents at .the time and place appointed for the purpose shall not, if the act of thing is otherwise duly done, invalidate the act or thing done.

29. Voting.- (1) If poll has to be taken, the Election Officer shall appoint forthwith one or more presiding Officers at each polling station and may pay the remuneration as fixed by the Government for their services. The Election Officer shall provided for each Presiding Officer such number of Polling Officers as may be necessary and also. If necessary appoint one or more identifying officers to assist the presiding Officer in identifying the electors.

(2) The Presiding Officer shall see that the election is fairly conducted and to that end keep order at the polling station to regulate 'the number of electors to be admitted at one time, and shall exclude all persons other than.

(a) the candidates, and at each booth one polling agent at a time of each candidate appointed in writing by the candidate;

(b) the police or other public servants on duty;

(c) Polling officers and such persons as the presiding Officers may from time to time admit for the purpose of identifying electors;

(d) persons authorised by Government;

(e) a child in arms accompanying an elector; and

(f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help.

(3) Where a woman elector cannot be identified by the identifying officers appointed under sub-rule (1) by reason of her observing purdah, she may be required to be identified by any of her near relatives unless she other wise satisfied the Presiding Officer of her identity.

Explanation: if any question arises as to whether a person is or is not a near relative within the meaning of this sub-rule be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

30. Right to vote.-All electors voting shall vote in person. at the polling station as provided under' the rules.

31. Arrangements of polling station.-(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently:

(a) a notice specifying the polling area, the serial number of electors in relevant voters' list who are entitled to vote at the polling station and when "the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled;

(b) copy of the list of contesting candidates with the serial numbers and the symbols assigned to them; and

(c) Each of the polling station shall contain one or more separate compartments in ch electors are' to cast their votes.

Note: that the polling station should be able to accommodate voters as specified by the Divisional Election Authority.

(2) There shall be two ballot boxes in the polling booths-One for the Member of the Managing Committee and the other for President of Water Users' Association.

Provided that where for an election to Water Users Association, the number of voters is few, the district Election Authority may, depending upon the number of voters in each polling station use one ballot box for casting of votes for election the President and of the Members of the Managing Committee;

(3) The Election Officer shall provide at each p01ling station sufficient number of ballot boxes, together with 'copies of the electoral roll pr such part thereof, as may contain the names of the electors entitled to vote at the station, and such other papers, and articles necessary for electors to mark the ballot papers, stationary and forms as may be necessary.

31-A. Preparation of ballot boxes.-(l) Where a paper seal is used for securing a ballot box, the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the candidates or their election agents or the polling agents present as are desirous of affixing the same.

(2) The Presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefore in the ballot box and shall then secure and seal the box in such manner that the slit for the insertion of ballot paper therein remains open.

(3) The seals used for securing a ballot box shall be affixed in such manner that after the box has been closed, it is not possible to open it without breaking the seal.

(4) Where it is not necessary to use paper seals or securing the ballot boxes, the Presiding Officer shall secure and seal the ballot box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open and shall allow the polling agents present to affix, if they so desire, their seals.

(5) Every ballot box used at a polling station shall bear label both inside and outside marked with:

(a) the description of the polling station;

(b) the serial number of the ballot box (to be filled in at the one of the polls on the label outside the ballot box only); and

(c) the date of poll.

(6) Immediately before commencement of the poll the Presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that the ballot box is empty and bears the labels referred to in sub-rule (5).

(7) The ballot box shall then be closed sealed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and polling agents.

(8) Immediately before commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the polling agents and other present the marked copy or, as the case may be, marked copies of the voters' list to be used during the poll.

32. Form of ballot paper.- (1) Every ballot paper shall have a counter-foil attached and the said ballot paper and the counterfoil shall be in such form as the Divisional Election Authority may, by order, direct.

(2) Every ballot paper shall, before issue to an elector, be,-

(a) Stamped or shall be written on its back such of the details as may be specified by the Divisional Election Authority,

Name and number of the polling station

Name of the Water User Association

Name of the Revenue Circle.

(b) signed in full on its back by the Presiding Officer.

33. Issue of Ballot Papers.-;-(1) Immediately before any ballot paper is issued to an elector the Presiding Officer shall

(a) call upon the number, name and description of the elector as stated in the voter list, and

(b) record on its counterfoil the voters' list number of the elector as entered in the marked copy of the voters' list and obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said counterfoil:

Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counter-foil of that ballot paper.

(2) The Presiding Officer or Polling Officer, as the case may be, shall underline the entry relating to the elector in the marked copy of the voters' list with him in every case and where the elector is a female shall put a (√) mark also on the left hand side of the name of the female elector.

(3) The Presiding Officer or Polling Officer, as the case may be, shall apply the indelible mark on the ride between the skin and the root of the nail of' left-hand forefinger to him.

(4) No person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to any elector.

34. Maintenance of Secrecy of voting by Electors and Voting Procedure.-(1) Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 33 or under any other provisions of these rules shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereafter laid down.

(2) The elector on receiving the ballot papers as the case may be, shall forthwith:

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near the symbol alloted to the candidate for whom. he intends to vote;

(c) fold the ballot paper vertically first and thereafter horizontally so as to conceal vote;

(d) insert the folded ballot paper into the specified ballot box, and;

(e) leave the polling station by the exit provided;

(3) Every elector shall vote without undue delay.

(4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

(5) If an elector to whom a ballot paper has been issued refuses, after warning. given by Presiding Officer to observe the procedure laid shown in sub-rule (2) the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the Presiding Officer or Polling Officer under the direction of the Presiding Officer.

(6) After the ballot paper has been taken back, the Presiding Officer shall record on its back the word "Cancelled" voting procedure violated" and put his signature below these words and all such papers shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Balot papers-voting procedure violated".

(7) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable and the vote, if any recorded on such ballot paper shall not be counted.

35. Blind and Infirm Voters.-(1). If owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognise the symbols on the ballot paper or to make thereon, the Presiding Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector, fold it so as to cancel the vote and insert it into the ballot-box.

(2) While acting under this rule, the Presiding Officer shall observe secrecy and shall keep a brief record of each such instances but shall not indicate therein the manner in which any vote has been given.

36. Facilities to Women Electors.-Special facilities in accordance with the instructions, if any, issued by Divisional Election Authority in that behalf may be accorded to women elector.

37. Identification of Electors.- When a person presents himself to vote and at any time before a ballot paper is supplied. to him, the Presiding Officer may of his own accord and shall, if so required by a candidate or his polling agent, put to such person either one or both of the following questions:

(i) Are you the person enrolled as follows (reading the whole entry from the roll)?

(ii) Have you already at the present election at this polling station. or at any other polling station? And the person shall not be supplied with a ballot paper unless he gives an unqualified answer to the question or questions put to him/her in the affirmative to the first and in the negative to the second or such questions except as mentioned herein, every person whose name is found on the voters' list shall be entitled to. be supplied with a ballot paper.

38. Tendered Votes.-(1) If a person representing himself to be particulars elector, applies for a ballot paper after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be entitled, subject to the following provision to mark ballot paper (hereinafter in these rules referred to as a "Tendered Ballot Paper") in the same manner as any other elector.

(2) Every such person, shall before being supplied with a tendered ballot paper, sign his name against entry relating to him in a list in Form 13.

(3) A tendered ballot paper shall be the same as the ballot paper used at the polling except that shall be-

(a) taken serially from the bottom of the bundle of ballot papers issued for use at the polling stations in successive cases; and

(b) enforsed on the back with the words "Tendered Ballot Paper" by the Presiding Officer in his hand and signed by him.

(4) The elector, after making a tendered ballot paper in the voting compartment and folding it, shall instead of putting it into the ballot box, give it to the Presiding Officer, who shall place it in a cover specifically kept for the purpose.

39. Challenging of Identity.-(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of five rupees in cash with the Presiding Officer for each such challenge.

(2) On such a deposit being made, the Presiding Officer shall-

(a) warn the person challenged of the penalty impression;

(b) ready the relevant in the voters' list in full and ask him whether he is the person referred to in the entry;

(c) enter his name and address in the list of challenger votes in form-14; and

(d) require him to put his signature or thumb impression in the list.

(3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge, and may for that purpose-

(a) require the challenger to produce evidence in proof of the challenge and the person challenged to produce evidence in proof of his identity;

(b) put the person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and enquire him to answer them on oath; and

(c) administer on oath to the challenger and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the enquiry the Presiding Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person, challenged, to vote, and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the Presiding Officer is of ' the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to the government and in any other case he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

40. Safeguards against Impersonation.-(1) Every elector about whose identity the Presiding Officer or the Polling. as the case may be, is satisfied shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall in case where the elector has his left forefinger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and

shall, in case where all the fingers of his left hand are missing. be construed as a reference to the forefingers or any other finger of his right hand, and shall in case where all his fingers of both hands are missing, be construed as a reference in such extremity of his left or right arms as he possesses.

(3) The Presiding Officer shall be at liberty to refuse to deliver a ballot paper to any person for voting at the polling station if at the time such person applies for a ballot paper has already an indelible ink mark referred in sub-rule (1) and (2).

41. Spoilt and Returned ballot Papers.-(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot may, be delivering it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertence, be given another ballot paper and the ballot paper so returned and the counterfoil of, such ballot paper shall be marked as "Spoilt Cancelled" by the Presiding Officer.

(2) If an elector after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer and the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper shall be marked as "Returned Cancelled" by the Presiding Officer.

(3) All ballot paper cancelled under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

42. Closing of poll and sealing of Ballot Boxes and -covers after poll.-(1) The Presiding. Officer shall close the polling station at the hour appointed for closing under clause (e) of sub-rule (5) of rule 17 and shall not thereafter admit any elector into a polling station :

Provided that all elector present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

(3) The Presiding Officer of each polling station as soon as practicable after the close of the poll shall close the slit of ballot box and where the box does not contain any mechanical devise for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any polling agent present to affix his seal. The ballot box shall thereafter be sealed and secured.

(4) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first ballot box getting full. the first box shall be closed; sealed and secured as .provided in sub-rule (3) before another ballot box is put into use.

(5) The foregoing provisions of this rule shall not apply to a Presiding Officer of a polling station to whom Divisional Election Authority has issued a direction asking him to proceed in accordance with sub-rule (6).

(6) At any such polling station as may be specified under sub-rule (5) as soon as practicable, after the close of poll, the Presiding Officer shall

(a) transfer all the ballot papers, contained in the ballot boxes used at that polling station. without examining or counting them and due regard to the secrecy of the ballot, into a clothe bag or cloth lined cover after demonstrating to the polling agents present that the bag or cover is empty; and

(b) allow the poling agent present to inspect each ballot box and demonstrate to them that it has been emptied.

(7) The Presiding Officer of each polling station; as soon as practicable after the close of the poll, shall in the presence of any candidate or polling agents who may be present make up the following into separate packets and seal with his own seal and the seals of such candidates or agents as may decide to affix their seals:

(i) the tendered ballot papers;

(ii) the unused ballot papers;

(iii) the spoilt and returned ballot papers;

(iv) the marked copy of the electoral roll;

(v) the tendered voters' list;

(vi) the list of challenged votes with the statement or statements mentioned in sub-rule (2) of rule 39;

(vii) counterfoils of used ballot papers; and

(viii) the ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 34.

(8) Each packet shall be numbered and shall bear a note as to its contains, description of the election and the polling stations. Where no vote has been recorded at any polling station, the Presiding Officer shall submit a 'nil' report together with the statement in form-15.

43. Account of Ballot Papers, Ballot Boxes, packet etc.-(1) the packets shall be accompanied by a statement in a separate cover in Form15, made by the Presiding Officer showing the number of baHot papers, in the ballot boxes and unused, spoilt, returned and tendered ballot papers. The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the election Officer at such place as the Election Officer may direct:

(a) the ballot boxes or, as the case may be, the bags or covers referred to in rule 33;

(b) the ballot paper account or accounts;

(c) sealed packets or sets of sealed packets referred to in rule 42; and
(d) all other papers used at the poll.

(2) The Election Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until commencement of the counting of votes.

44. S[illegible] of Opening of ballot boxes and counting of Votes.-(1) (a) The counting of votes shall commence on the day and at the place and hour appointed in this behalf.

(b) the Ele[illegible] Officer shal[illegible] at-least three days before the date, or the first of the dates, fixed for the poll [illegible] the place [illegible] p[illegible]es where the counting of votes will be done and the date and

time at which the counting will commence and shall give notice of the same in writing to each candidate or his election agent:

Provided that if for any reason the election Officer finds it necessary to do so, he may alter the date, time and place or places so fixed, or any of them, after giving notice of the same in writing to 'each candidate or his election agent.

(c) Votes shall be counted by or under the supervision of the Election Officer. The Election Officer shall appoint such number of counting assistants as may be necessary to assist him in counting of votes.

(d) Each candidate, election agent of each candidate, and one representative of each candidate authorised in writing by the candidate shall have a right to be present ex6ept such person or persons as Election Officer may appoint to assist him in counting votes. No person shall be appointed to assist in counting the votes who has been employed by or on behalf of any candidate or any person whatsoever connected with the election of a candidate.

(2) (a) the election Officer shall open, or cause to be opened, simultaneously the ballot box or boxes used at more than one poling station and shall have the total number of ballot papers found in such box or boxes counted and recorded in Part II of Ballot Paper Account in Form-I5.

(b) Discrepancy, if any, between the total number of such ballot papers recorded as aforesaid and the total number of ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I of the form-15 minus the number of ballot papers canceHed as shown in item 4 thereof and the number of papers as shown in item 5 thereof, shall also be recorded in Part II of form-15.

(c) Before any ballot box is opened for counting of votes the counting agents presents thereat shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that the ballot box is intact.

(d) The Election Officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with in any way.

(e) If the Election Officer is satisfied that any ballot box has in fact been tempered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid in Rule 49 in respect of that polling station.

(3) The Election Officer shall, as far as practicable, proceed continuously; with the counting of votes, and shall, during any necessary intervals during which the counting has to be suspended. Place ballot papers, packets arid other documents relating the election under his own seal and seals of such candidates or agents as may desire to affix them and shall cause adequate precautions to be taken for their safe custody.

45. Admission to the place fixed for counting.-The Presiding Officer shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except-

(a) such persons to be known as counting supervisors and counting assistants as he may appoint to assist him in the counting;

(b) persons authorised by the Government;

(c) public servants on duty in connection with the election; and

(d) candidates, their election agents and one representative of each candidate appointed in writing by the candidates as counting agents;

46. Rejection of ballot papers.-(1) Subject to such general of special directions, if any, as may be given by the Divisional Election Authority in this behalf, the ballot papers shall be counted polling stationwise.

(2) The election Officer shall reject a ballot paper-

(a) if it bears any mark of writing by which the elector can be identified; or

(b) if it bears no mark at all to indicate the vote, it bears a mark elsewhere thereon or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made other with than with the instrument supplied to the purpose; or

(c) if votes are given on it is favour of more than one candidate;

(d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful as to which candidate the vote has been given, or

(e) if it is a spurious ballot paper; or

(f) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or

(g) if it bears a serial number-or is of a design, different from the serial numbers or, as the case may be design, of the ballot papers authorised for use at the particular polling station; or

(h) If it does not bear both the distinguishing mark and the signature which it should have borne under the provisions of sub-rule (2) of Rule 32;

Provided that where the Election Officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (g) or clause (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a Presiding Officer or Polling Officer the ballot paper shall not be rejected merely by the reason of such defect;

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(3) Before rejecting and ballot paper under sub rule (1) the Election Officer shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(4) The Election Officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.

(5) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

(6) Every ballot paper which is not rejected under this Rule shall be counted as one valid vote;

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper shall be counted.

(7) After counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used in a Water Users' Association have been completed, the Election Officer shall make the entries in a result sheet in Form 16, and announce the particulars.

(8) The decision of the Election. Officer as to the validity of a ballot paper shall be final subject to security only.

47. Recount of votes.-(l) After such announcement has been made under sub-rule (7) of rule 46, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the Election Officer for recounting of the votes either wholly or in part stating the grounds on which he demands such recount.

(2) On such an application being made the Election Officer shall decide the matter and may allow the application in whole or in part of may reject in wholly if it appears to him to be frivolous or unreasonable.

(3) Every decision of the Election Officer under sub-rule (2) shall be in writing and contain the reason therefor;

(4) If the Election Officer decide under sub-rule (2) to allow a recount of the votes either wholly or in part he shall

(a) arrange. for the recounting in accordance with Rule 45 and 46;

(b) amend the result sheet in Form 16 to the extent necessary after such recount; and

(c) announce the amendments so made by him.

(4) After the total number of votes polled by each candidate has been announced under sub-rule (4) the Election Officer shall complete and sign the Result Sheet in Form 16 and no application for a further or second recount shall be entertained thereafter.

48. Equality of votes.-If, after the counting of the votes is completed an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will lead to any of those candidates being declared elected, the Election Officer shall forthwith decide between those candidates by lot, and proceed as if the candidate on whom the lot fails had received the additional vote.

49. Disturbances at the time of counting of votes.-(1) If at any time before the counting of votes is completed and ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of. the custody of the Election Officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with, to such an extent -that the result of the poll at that polling station or place can not be ascertained, the Election Officer forthwith report the matter to the Divisional Election Authority.

(2) Thereupon, the Divisional Election Authority after taking all material, circumstances in to account, either

(a) direct that the counting of votes shall be stopped, declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as he, may deem fit, or

(b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place will not, in any way, affect the result of the election, issue such directions to the Election Officer as may deem proper for the resumption and completion of the election and for further conduct and completion of the election in relation to which the votes have been counted.

(3) The provisions of these Rules and any rules or orders made there under shall apply to any and every such fresh poll as they apply to the original poll.

50. Sealing of used, ballot papers.- The valid ballot papers of each candidate and the rejected ballot papers shall thereafter be bundled separately and the several bundles made up into a separate packet which, shall be sealed with the seals of the Election Officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon, and on the packets be sealed shall be recorded the following particulars namely

(a) the number of the polling station number of ward/name of Water User Association/Janpad Panchayat, and

(b) the date of counting.

51. Transfer o ballot papers to cloth bags.-The provisions of Rules 45, 46 and 50 shall apply so far as may be in relation to counting of ballot papers and votes, which have been transferred from ballot boxes to cloth bags or cloth lined covers under sub-rule (6) of Rule 42.

Provided that every reference in the said Rules to a ballot box, shall be construed as a reference to a bag or cover to which the contents of a ballot box have been transferred.

52. Counting of votes in case of fresh poll.-(1) If a fresh poll is held under sub-rule (7) of Rule 57, the Election Officer shall after completion of the poll recommence the counting of votes on the date and at the time and place which have been fixed by him in that behalf and for which notice has been previously given to the candidates or their election agents.

(2) The Provisions of Rules 43 and 50, shall apply so far as may be to such, further counting.

53. Declaration of Result.-(1) The Election Officer shall, subject to the provisions of Rule 48, in so far as they apply to any particular case;

(a) declare in Form 17 the candidate to whom the largest number of valid votes have been given (to be elected under Rule 46 and ,send signed copies. thereof to the Divisional Election Authority and the District Election Authority; and

(b) complete the entries of the result of election in Form 16 and send signed copies thereof to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

(2) Copies of result sheet in Form 16 shall be supplied to the contesting candidates on payment of fee as charged for supply of certified copies of other Government records, Copies of Form 17 shall also be supplied to the contesting candidate on payment of rupees two for each copy. The District Election Authority, or Election Officer on receipt of an application shall issue the certified copies referred to above.

54. Grant of Election Certificate.-As soon as may be, after a candidate has been declared by the Election Officer under Rule 20 or as the case may be under Rule 55, to be elected, the Election Officer shall grant such candidate' a certificate of election in Form 18, and obtain from the candidate an acknowledgement of its receipt duly signed by him and immediately send the acknowledgement by a registered post to the District Election Authority under intimation to the Divisional Election Authority.

55. Publication of Results.- The Election Officer shall publish on the notice Board in the office of the Water Users' Association concerned a notification signed by him, stating the name of the candidate duly elected.

56. Disposal of ballot papers:(1) The Divisional Election Officer shall, after declaring the results forward a copy of the return of the Competent Authority concerned and shall hand-over to the Officer authorised by .the Election Authority the packets of ballot papers, whether counted, rejected or tendered. These packets shall not be opened and their contents, shall not be inspected or produced except under the orders of an authority competent to decide election disputes.

(2) The Officer so authorised shall return packets and the marked copies of the voters' list for a year and shall then, unless otherwise directed by the orders of an authority competent to decide election disputes, cause them to be destroyed.

57. Adjournment of poll in emergencies.-(1) Where the proceedings at any polling station are seriously interrupted or obstructed by any riot of open violence or other wise or where a large number of electors are unable to attend the poll at a polling station by reason of an act of God, such as flood or fire, the Presiding Officer shall stop the poll, pending receipt of the orders of the District Election Authority. The fact that the poll has been so stopped shall be immediately announced by the Presiding Officer to the persons present at the polling stations.

(2) Where a Presiding Officer stops a poll under sub-rule (1) he shall observe the procedure laid down in Rules 42 and 43 and forthwith make a full report of the circumstances to the Election Officer, who shall forward the same expeditiously with his remarks thereon, if any, to the Divisional j Election Authority.

(3) The Divisional Election Authority shall thereupon order-

(a) that the poll continued at the polling station for the number of hours .for which it was not held on the previous occasion provided that not less that 50% of the voters have cast their votes; or

(b) that the proceedings at the poll held at the polling station on the previous occasion be ignored and that a fresh poll be held at such polling station for the full number of hours for which it should have been held on the previous occasion; and

(c) any order passed by the Divisional Election Authority under this sub-rule shall be final.

(4) a order passed under sub-rule (3) shall-

(a) State-

(i) the date on which, and the hours between which the continuation poll or the fresh poll, as the case may be shall be held; and

(ii) the date on which and the place and hour at which, the Election Officer, will commence the counting of the votes under Rule 52; and

(b) be given wide publicity in the polling area concerned by the Election Officer, in such matter as the. District Election Authority may direct, announcing the date, place and hour of polling fixed under Clause (a)

(5) (a) where an order is passed under clause (a) of Sub rule (3) for the continuation of the poll, the Election Officer shall proceed afresh under sub-rule (I) of Rule 29 and return to the Presiding Officer appointment under that sub-rule all the packets received by him under sub-rule (2) of this rule.

(b) the Presiding Officer shall open the packets just before commencement of the continuation poll in the presence of such persons as may present at the polling station and commence such poll precisely at the hour fixed therefor in the order passed by, the Divisional Election Authority under clause (a) of sub-rule (3).

(c) at the continuation poll, the Presiding Officer shall allow only such electors to vote as did not vote in the previous occasion.

(d) the Election Officer shall not count votes cast at such election until such continuation poll or fresh poll has been completed.

(e) the Election Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station. at which such continuation poll is held with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll, ballot-boxes and such other material required for the poll.

(6) Where an order is passed under clause (b) of sub-rule (3) for holding a fresh poll the Election Officer shall proceed afresh under sub-rule (I) of Rule 29 and a fresh poll shall be held at the polling station concerned in accordance with the provisions of these rules in all respects as if, it is being held at such polling station for the first time.

Explanation-There shall be no fresh nominations in cases falling under this sub-rule.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, if a candidate dies at any time before orders are passed by the Divisional Election Authority under sub-rule (3) or at any time after the passing of such orders but before commencement of the continuation poll, as the case may be,' the Election Officer shall upon being satisfied of the fact of the death of the candidate intimate such fact to the Divisional Election Authority, stop all further proceedings in connection with the election and start election proceedings afresh in' all respects as if for a new election;

Provided that no fresh nomination shall be necessary in the case of the remaining candidates who stood nominated at the time when the poll was stopped.

58. Filling up of casual vacancies.- Any casual vacancy of Member of a President of a Water Users' Association shall be filled up with in a period of thirty days from the date of occurrence of such, vacancy 'on issue of a notification by the Divisional Election Authority following the provisions of these rules and orders made thereunder.

59. Power of government in certain cases.-If any question arises to the interpretation of these Rules otherwise ,than in connection with an enquiry held under these Rules, for the decision of disputes as, to the validity of an election or in removing any difficulty in giving effect to the provisions of the act, the question shall be referred to the Government whose' decision thereon shall be final;

60. Power of Election Officer to fix dates etc, certain cases -Notwithstanding anything in these foregoing provision of these Rules, the Government of the Divisional Election' Authority may, before the filing of nominations in the case of any Water Users' Association, in particular empower the Election Officer to fix dates and period other than those specified or fixed by or under these Rules for all or any of the stages of the election proceedings connected therewith.

Chapter- VI

61. Election of member of the managing committee and president of the distributory committee.- Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the members specified in sub-section (2) of section 8 of the Act, shall be held in the office of the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Distributory Committee specified in sub-section (2) of section 7 thereof The Election Officer shall be the collector or any Gazetted officer of the Government authorised by the District Election Authority.

62. The Election Officer shall display the voters' list for the purpose of the election and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.

63. The notice of election giving the date, place and time of the election in Form 19 shall be displayed in Hindi language and sent to the members' of the Distributory Committee specified in sub-section (2) of section 7 of the Act at-least two clear days in advance of the date of election of the members under sub-section (2) of section 8 of the Act, by the Election Officer.

64. The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The Programme shall be as follows:

(i)	Receipt of Nominations	11.00 A. M. to 12.00 Noon
(ii)	Scrutiny of nominations and publication of final list of nominations	12.30 P.M. to 1.00 P.M.
(iii)	Withdrawal of nominations	1.00 P.M. to 1.30 P.M.
(iv)	Publication of final list of contestants	2.00 P.M.
(v)	Elections in' the event of contest	3.00 P.M. to 5.00 P.M.
(vi)	Counting and declaration of results- Immediately after the poll.	

Provided that the Procedure that the procedure for filing of nominations shall be according to rules 13 to 19.

65. If the number of contesting candidates is more, than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected (in Form 28) and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

66. In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 26 and 27 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of President and Members of the Managing Committee, separately and the election shall be conducted as directed by the Divisional Election Authority.

67. At the end of the poll, the Election Officer shall arrange Forthwith, the counting of votes polled for the contesting candidates for President and Members of the Managing Committee separately and declare the candidates as elected in Form 28 as follows:-

(i) the candidate who secured the highest number of votes polled. for the post of President, as elected to the post of President of that Distributory Committee; and

(ii) the candidates who secured the highest number of votes polled in the descending order as elected to the posts of Member managing Committee to the extent of the strength of the Managing Committee in that Distributory Committee.

68. In the event of equality of votes between the two candidates the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.

69. Immediately after the declaration of the result of the election, the Election Officer shall prepare a record of the proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as a Member of the Managing Committee and President of the Distributory Committee as specified under subsection (2) of section 8 of the Act and send a copy of such notice of the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as Member of the Distributory Committee.

70. Notwithstanding anything contained in these rules, Election Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 61 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

71. No meeting for the conduct of election of member specified in sub-section (2) of: Section 8 of the Act. shall be held unless one-half of the number of members .of the Distributory Committee who are entitled to vote at the election .are present.

Chapter- VII

72. Election of member of the managing committee and president of the project committee.- Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the members specified in sub-section (2) of section 11 of the Act, shall be held in the office of the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Project Committee specified in sub-section (2) (3) (4) of section 10 thereof the Election Officer shall be the collector or any Gazetted Officer of the Government authorised by the District Election Authority.

73. The Election Officer shall display the voters' list for the purpose of the election and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.

74. The notice of election giving the date, place and time of the election shall be displayed in .Form 29 in Hindi language and sent to the. members of the Project Committee specified in sub-section (2) (3) (4) of section 10 of the Act at-least two clear days in advance of the date of election of the members under sub-section (2) of section 11 of the Act, by the Election Officer.

75. The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The programme shall be as follows;

(i)	Receipt of Nominations	11.00 A. M. to 12.00 Noon
(ii)	Scrutiny of nominations and publication of final list of nominations	12.30 P.M. to 1.00 P.M.
(iii)	Withdrawal of nominations	1.00 P.M. to 1.30 P.M.
(iv)	Publication of final list of contestants	2.00 P.M.
(v)	Elections in' the event of contest	3.00 P.M. to 5.00 P.M.
(vi)	Counting and declaration of results- Immediately after the poll.	

Provided that the Procedure that the procedure for filing of nominations shall be according to rule 17 to 25 in Chapter-III of the Election rules.

76. If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 36 and send a copy to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

77. In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 36 and 37 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of President and the Members of the managing Committee, separately and the election shall be conducted as specified by the divisional Election Authority.

78. At the end of the poll, the Election Officer shall arrange, forthwith, the counting of votes polled for the contesting candidates for President and members of the Managing Committee separately and declare the candidates as elected in Form 38 as follows;

(i) the candidate who secured the highest number of votes polled. for the post of President, as elected to the post of President of that Project Committee; and

(ii) the candidates who secured the highest number of votes polled in the descending order as elected to the posts of Member managing Committee to the extent of the strength of the Managing Committee in that Project Committee.

79. In the event of equality 'of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.

80. Immediately after the declaration of the result of the election, the Election Officer shall prepare a record of the Proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also, have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as a Member of the Managing Committee and President of the Project Committee as specified under subsection (2) of section 11 of the Act and send a copy of such notice to the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate, who is declared elected' as Member of the Project Committee.

81. Notwithstanding anything contained in these rules, the Election Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 61 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

82. No Meeting for the conduct of election of member specified in sub-section (2) of section 11 of the Act, shall be held unless one-half of the number of members of the, Project Committee who are entitled to vote at the election are present.

FORM 1

[See sub rule (2) of Rule17]

NOTICE FOR THE ELECTION OF THE PRESIDENT / MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE ....OF THE WATER USERS' ASSOCIATION (s) in ....District

It is hereby notified that elections to the President members of managing Committee of the Water User's Association in .... District Shall be conducted as per the following;

(i) Nomination papers shall be presented:

(a) on (date)

(b) Time......................between ....to ....hours

(ii) Date of scrutiny of nomination papers

(iii) Date of withdrawal of candidature

(iv) Date of polling

(v) Date of counting of votes by the Election Officer.

(vi) Declaration and publication of results.

Divisional Election Authority /District Election Authority.

FORM 2

[See sub rule (2) of Rule17]

NOTICE FOR THE ELECTION FOR OFFICE 0F THE PRESIDENT/ MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE ....OF THE ....WATER USERS' ASSOCIATION

Notice is hereby given that-

(1) An election to be held for election of the Presidnet/ Member of the Managing Committee ....of the ....Water Users' Association.

(2) Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the undersigned between 10.30 AM and 5.0 PM from .... to ....(date).

(3) Forms for nomination papers may be obtained the place and time aforesaid.

(4) The nomination papers will be taken up for scrutiny at ....(place) on Date ....at ....(hrs)

(5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer of his election agent to the undersigned at ....office before 3.00 PM on the ....

(6) In the event of election being contested the poll will be taken on .... between the 7.00 Hrs and 13.00 Hrs.

(7) Counting will commence after the Poll is over and results declared immediately thereafter.

ELECTION OFFICER

Place:
Date:

FORM 3

[See sub rule (1) of Rule19]

WATER USERS' ASSOCIATION....................................

NOMINATION PAPER

1. Name of the Office the President Member of the Managing Committee of WUA.
2. Name of number of the territorial constituency.
3. Full name of the candidate.
4. Father's or husband name.
5. Serial number of candidate in the Electoral Roll
6. Age
7. Sex
8. Caste (SC/ST/OBC/General)
9. Occupation and Address
10. Full name of the proposer
11. Serial number of proposer in the electoral roll.
12. Signature of the proposer.

Candidates' Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election and my age as shown above is correct.

SIGNATURE OF CANDIDATE

The above declaration is solemnly affirmed before me (name of the officer in block letters by .... who is personally known to me (who has been identified to my satisfaction by ....of ....

Signature of village administrative officer or any other officer not below the rank of a mandal revenue officer (Endorsement by the Election Officer or other authorised person serial number):

This nomination paper was presented to me .... (person) at .... (date and hour) ....

Signature of the election officer or other authorised person

Decision of election officer accepting or rejecting the, nomination paper.

I have explained this nomination' paper in accordance with Rule 8 and decide as follows:

Election Officer

Date:

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination Paper. . . . . .The nomination Paper of . . . . a candidate for election of the president/ Member of ,the managing Committee of the water user association. . . . . .territorial constituency No. . . . . was delivered to me at . . . . . (hour) on . . . . (date) by the . . . .

Candidate / Proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at . . . .(hour) . . . . . .on . . . . (date) at . . . .(Place).

ELECTION OFFICER

Date :'

FORM 4
[See Rule 22]

LIST OF NOMINATIONS RECEIVED ON .... (DATE)
FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT / MANAGING COMMITTEE
OF .... WATER USERS' ASSOCIATION

Sl. No. of Nomination Paper	Name of the Candidate	Father's Name	Age	Sex	Caste (SC / ST / OBC / General)	Occupation & Address	Voters List No. of Candidate	Name of the proposer	Voters List No. of proposer
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*

The nomination papers will be taken up for scrutiny at .... AM/PM.
on .... the .... date .... at .... (Place)

Signature of the election officer
or other authorised person

Place:
Date:

FORM 5
[See sub rule (5) of Rule23]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

Name of District...

Name of territorial constituency /WUA..........................

Election to the President/member of the managing committee of ....
Water User Association

Sl. No. Allotted	Name of the candidate	Address of the Candidate
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
etc.		

Place:

Date:

Election Officer

FORM 6
[See sub rule (1) of Rule24]

NOTICE OF WITHDRAWAL

Election to the Office of the President / Member of the Managing Committee of Water User Association.

To,

The Election Officer,

I, ... a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:
Date:

....
Signature of candidate

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be-handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by .... a candidate at the election to the office of the President/ Member of the Managing Committee. ....of WUA ....as delivered to me by the ....at my office at .... (hour) on ....(date)

Date:

....
Election Officer

FORM 7
[See sub rule (2) of Rule24]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election to the Office of the President/Member of the Managing Committee of Water Users Association

Notice is hereby given that the following validly nominated candidate / candidates at the above election withdraws his candidature/their candidature today.

S. No. Allotted	Name of the candidate	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
etc.		

Date: .... **Election Officer**

FORM 8
[See sub rule (1) of Rule25]

NOTICE OF CONTESTING CANDIDATE

Election to the Office of the President/Member of the Managing Committee of WUA . . . .

S. No. Allotted	Name of the candidate	Symbol Allotted/Assigned
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
etc.		

Place:

Date: .... **Election Officer**

FORM 9

[See sub rule (2) of Rule26]

DECLARATION OF THE RESULTS OF ELECTION UNDER RULE 11(2) OF THE ELECTION RULES

In accordance with rule 20 (2) of the Election rules, I declare that the following candidate has been duly elected for the Office of the President/ Member of the managing Committee of Water Users Association........................

Name...........................

Address.........................

Place: ....

Date: **Signature of Election Officer**

FORM 10

[See sub rule (1) of Rule 28]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT
(To be submitted in two copies)

Election to the Office of the President/ Member of the Managing Committee of Water Users Association

To,

The Election Officer,

I,................................ a candidate at the above election for the post of the president of Managing Committee of Water User Association do hereby appoint .... of as my election agent from this day at the above election.

Place: ....

Date: Signature of candidate

I accept the above appointment

....

Signature of Election Agent

I, hereby, accept and approve the above appointment.

Place: ....

Date: **Signature of Election Officer.**

FORM 11

[See sub rule (2) (b) of Rule 28]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

(To be submitted in two copies)

Election to the Office of the President/ Member of the Managing /Committee of Water Users Association . . . .

I,……………………………. a candidate/ the election agent of …………………….. who is a candidate at the above election do hereby appoint ………….. as a Polling Agent to attend polling station No. ………………….. Fixed for the poll ………………….. at ……………………….

……………………….

Signature of candidate election Agent

I, hereby, accept and approve the above appointment.

Place:

Date:

…………………………

Signature of Election Officer.

FORM 12
[See sub rule (3) (b) of Rule 28]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

(To be submitted in duplicate)

Election to the Office of the President/Member of the Managing Committee of WUA

To,

The Election Officer,

I,...............a candidate/the election agent of ....who is a candidate at the above election do hereby appoint the following persons as may counting agent to attend the counting of votes at ....

Name of the Counting Agent	Address of the Counting Agent
(1)	(2)
1	
2	
3	

....
Signature of candidate election agent.

I/We agree to act as such counting agents.

....
Signature of the Agent

....
Signature of Election Officer

Place:
Date:

FORM 13

[See sub rule (2) of Rule 38]

LIST OF TENDERED BALLOT PAPERS

Polling Station No. .... Territorial Constituency No. ....

WUA.......................... Election to the Office of the President/Member of the Managing Committee of the WUA.

S. No.	Name of the Elector	No. in the Voters List/Section No. Name of WUA	Serial No. of Tendered Ballot Paper	Signature of Elector or thumb impression of person tendering vote	Serial No. of Ballot paper issued to the person who has already voted.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date:
Station:

....

Signature of presiding Officer

FORM 14
[See sub rule (2) (c) of Rule 39]

LIST OF CHALLENGED BALLOT PAPERS

Polling Station No. .... Territorial Constituency No. .... Water Users Association .... Election to the Office of the President/Member of the Managing Committee of the Water Users Association.

S. No.	No. in the Voters List/ Section No. Name of WUA	Name of the Elector	Signature or thumb impression of the person challenged and his address	Name of challenger	Signature and thumb impression of identifier if any	Order of Polling Officer	Signature of challenger on receiveing refund of deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Date:
Station:

....
Signature of Presiding Officers

FORM 15

[See sub rule (8) of Rule 42]

Part-I

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to the Office of the President/Member of the Managing Committee of Water Users Association

No. & Name of the Polling Station	Territ. Const. No...............................
	WUA ....
	S.Nos. Total No.
	From......................To.......................

1. Ballot papers received

2. Ballot papers unused (i.e. not issued to voters)

(a) with the signature of Polling Officer

(b) without the signature of Polling Officer

Total * (A+B)

3. *Ballot Papers used at the Polling Station (1-2=3)

4. Ballot papers used at the Polling Stations but not inserted into the Ballot Box.

(a) Ballot Papers cancelled for violation of voting procedure under rule 20.
(b) Ballot papers cancelled for other reasons
(c) Ballot papers used as tendered ballot papers.

*(Total (A+B+C)

*Ballot, Papers to be found in the ballot box

(3-4=5)

***Serial Numbers need not be given.**

PART-II
RESULT OF COUNTING

S.No.	Name of Candidate	Name of Valid Votes Cast
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
etc.		
II	Rejected Ballot papers	
III.	Total	

....
Signature of Presiding Officer

Whether the total number of ballot papers shown against item No. above tallies with the total shown against item No. 5 of Part-I or discrepancy noticed between these two totals..............................

Place:
Date:

....
Signature of Counting supervisor

Place:
Date:

....
Signature of Election Officer

*Score off the words which are not applicable.

FORM 16

[See sub rule (7) of Rule 46] and sub rule (1)(b) of Rule 53]

FINAL RESULT SHEET
(To be used for recording the result of voting at Polling Station

Election to the Office of the president/Member of the Managing Committee of the Water Users Association

Sl. No.	Polling Station No.	Name of valid votes cast in favour of				Total No. of valid Votes	Total No. of Rejected votes	Total	Total No. of Tendered Votes
		(A)	(B)	(C)	(D)				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)

Total No of votes recorded at Polling Stations.
Numbers of votes recorded on Postal Ballot Papers.

Date: ....
Station: **Election Officer**

FORM 17

[See sub rule (1) (a) of Rule 53]

(For use in election when the seat is contested)

DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER RULE 53 OF THE RULES

In accordance with rule 53 of the Chhattisgarh Sincahi Prabandhan Me Krishko ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006, I declare that the following candidates have been duly elected to the Office of the President/Member of the Managing Committee of the Water Users Association.

Member, Managing Committee/ President Water Users Association.
Name..
Address...

....
Signature of Election Officer

Score off the words which are not applicable.

FORM 18
(See Rule 54)

CERTIFICATE OF ELECTION

I,.............................election Officer for the Water User Association certify that on the (day) of ....20...............I have declared Sri.................. to have duly elected to the Office of the President/Member of the Committee of the WUA and that in token thereof, I have granted to him this certificate of election.

....
Election Officer

Seal

FORM 19
(See Rule 63 and 64)

NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT/ MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE OF ....

DISTRUBUTORY COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

Notice is hereby given that-

1. An election will be held for electing the President / Members of the Managing Committee of .... Distrubutory Committee ....Irrigation System on ....(Date).

2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer to the, or file before the undersigned between 11.00 Hrs. and 12.00 Hrs. on .... (date) at .... (place).

3. Forms of nomination papers my be obtained from the undersigned on hour the time specified for filling as aforesaid.

4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at .... (place) of Date .... between 12.00 Hrs.to 13.00 Hrs.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 13.00 Hrs. to 13.30 Hrs. on the ....at ....

6. In the event of election being held, the poll will be taken on ....(Date)..................between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.

7. Counting will commence after the poll is over, and results declared immediately thereafter.

Place:
Date:

....
Election Officer

FORM 20
[See sub rule (1) of Rule19]

DISTRUBUTORY COMMITTEE ....

Nomination Paper

1. Name of the Office:
   (a) President of the Managing Committee.
   (b) Member of the Managing Committee.
2. Name of the Water Users Associations for which he is elected as president.
3. Full Name of including Surname of the candidate:
4. Father's or Husband's name:
5. Age :
6. Sex:
7. Caste (SC/ST/OBC/General):
8. (a) Occupation:
   (b) Address Permanent:
   (c) Address Temporary:
9. Full Name of the Proposer:
10. Water Users Associations for which he is declared as President:
11. Signature of the proposer:

(Name in Capital Letters)
Date ....

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for an election.

....
Signature of the Candidate
(Name in Capital Letters)

This nomination paper was presented to me by.......................(person) at .... Date and Hour.

....
Signature of the Election Officer
Or Other Authorised person.

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper and decode as follows:

....

Date: ....
Election Officer.

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper.............................. The Nomination Paper of .... a candidate for Election of President / Member of the Managing Committee of the Distributory Committee was delivered to me at ....(hour) on .... (Date) by the .... Candidate / Proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at ....(hour) .... on ....(date) at ....(place)

....

Date: **Election Officer**

FORM 21
(See Rule 22)

**LIST OF NOMINATIONS RECEIVED ON.....................(DATE) FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT/MEMBER OF THE MANAGING COMMIITTEE OF ....
DISTRIBUTORY COMMITTEE**

S. No. Nomination	Name of the Candidate	Father's Name	Name of WUA	Occupation and address	Sl. No. in Voters list	Name of the Proposer	Name of WUA of the proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M. on ....the .... date.............................. at.. (place)

Date:

Station:

....

Signature of election Officer or other authorised person

FORM 22
[See sub rule (5) of Rule23]

LIST OF VALID NOMINATIONS AFTER SCRUTINY

Name of distrubutory Committee...
Election of President/Member of the Managing Committee of ....
............Distributory Committee.

S. No. Allotted (1)	Name of the Candidate (2)	Name of the Water Users Association he represents (3)
1		
2		
3		
4		
etc.		

Place: ....

Date: **Election Officer**

FORM 23
[See sub rule (1) of Rule24]

NOTICE OF WITHDRAWAL GIVEN BY THE CANDIDATE

Election of President/ Member of the Managing Committee of Distributory Committee

I, ... being a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place: ....

Date: **Signature of the Candidate**

This notice was delivered to me at my office at .... (hours) on ....(date) by ....(name).

Date: ....
Election Officer

FORM 24
[See sub rule (2) of Rule24]

NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

Election of Office of the President/Member of the Managing Committee of Distributory Committee.........................

S. No. Allotted (1)	Name of the Candidate (2)	Date of which withdrawal notice delivered (3)
1		
2		
3		
4		
5		
etc.		

Place: ....

Date: **Election Officer**

FORM 25
[See sub rule (1) of Rule25]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

Election to the President/Member of the Managing Committee of Distributory Committee.....................

S. No. Allotted (1)	Name of the Candidate (2)
1	
2	
3	
4	
5	
etc.	

Place: ....

Date: **Election Officer**

FORM 26
[See Rule 66]

BALLOT PAPER

..............................DISTRIBUTORY COMMITTEE

Ballot Paper for President of the Managing Committee

S.No. of the Voter...............
R.No. ....

Signature/Thumb Impression

....DISTRIBUTORY COMMITTEE

Ballot Paper for President of the Managing Committee

R. No. .... Name of the Candidate in Hindi in Alphabetical Order		R. No................................. Put mark against one name on in the box space provided.
1	NAME	☐
2	NAME	☐
3	NAME	☐
4	NAME	☐
5	NAME	☐
6	NAME	☐
etc.	NAME	☐

1. Name of Distributory Committee
2. Date of Poll
3. Place of Poll

Date:

....

Signature of the Election Officer

FORM 27
[See Rule 66]

BALLOT PAPER

..........................DISTRIBUTORY COMMITTEE

Member of the Managing Committee

S.No. of the
Voter......................................
....
R.No.
....
Signature/Thumb Impression. Signature/Thumb Impression
....DISTRIBUTORY COMMITTEE

Member/ Managing Committee

R. No. .... Name of the Candidate in Hindi in Alphabetical Order		R. No................................. Put (√) mark against as many candidates as the number of posts in Managing Committee in the box space provided.
1	NAME	☐
2	NAME	☐
3	NAME	☐
4	NAME	☐
5	NAME	☐
6	NAME	☐
etc.	NAME	☐

1. Name of Distributory Committee
2. Date of Poll
3. Place of Poll

....

Date: **Signature of the Election Officer**

FORM 28
[See sub rule (2) of Rule26 and rule 67]

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION

In accordance with rule 62 I declare that following candidate(s) has/ have been duly elected for the Office of the President/ Managing Committee/ Distributory Committee.

Name:

Address:

Place: ....

Date: **Signature of Election Officer**

FORM 29
(See Rule 74)

NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT/ MEMBER OF THE MANAGING COMMITTEE OF

..

PROJECT COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

Notice is hereby given that –

1. An election will be held for electing the President/ Members of the Managing Committee of ....Project Committee ....Irrigation System on ....(Date).
2. Nomination Papers may be delivered or filled by a candidate or his proposer to the, or file before the undersigned between 11.00 Hrs. and 12.00 Hrs. on ....(date) at ....(place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at ....(place of Date ....between 12.00 Hrs. to 13.00 Hrs.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 13.00 Hrs. to 13.30 Hrs. on the .... at ....
6. In the event of election being held, the poll will be taken on ....(date) ....between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the Poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place: ....

Date: **Election Officer**

FORM 30
[See sub rule (1) of Rule19]

PROJECT COMMITTEE ....

Nomination Paper

1. Name of the Office:

   (a) President of the Managing Committee.

   (b) Member of the Managing Committee.

2. Name of the Water Users Associations for which he is elected as president.

3. Full Name of including Surname of the candidate:

4. Father's or Husband's name:

5. Age:

6. Sex:

7. Caste (SC/ST/OBC/General):

8. (a) Occupation:

   (b) Address Permanent:

   (c) Address Temporary:

9. Full Name of the Proposer:

10. Distributory Committee for which he is declared as President :

11 Signature of the proposer:

(Name in Capital Letters)
Date ....

CANDIDATE'S DECLARATION

I declare that I am eligible and willing to stand for an election.

....
Signature of the Candidate
(Name in Capital Letters)

This nomination paper was presented to me by...........................(person) at ....Date and Hour.

....
Signature of the Election Officer
Or Other Authorised person.

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper and decode as follows:

....

Date:

....
Election Officer.

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper................................... The Nomination Paper of .... a candidate for Election of President / Member of the Managing Committee of the Distributory Committee was delivered to me at ....(hour) on .... (Date) by the .... Candidate / Proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at ....(hour) .... on ....(date) at ....(place)

....

Date:

Election Officer

FORM 31
(See Rule 22)

LIST OF NOMINATIONS RECEIVED ON……………….(DATE) FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE MANAGING COMMITTEE OF ………………. PROJECT COMMITTEE

S. No. Nomination Paper	Name of the Candidate	Father's Name	Name of DC	Occupation and address	Sl. No. in Voters list	Name of the Proposer	Name of WUA of the proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M. on ……………………….the ……………………date……………………….at ………………………………….(place)

Date: …………………………………………

Station: **Signature of election Officer or other authorised person**

FORM 32
[See sub rule (5) of Rule23]

LIST OF VALID NOMINATIONS AFTER SCRUTITY

Name of Project Committee...

Election to the President/ Member of the Managing Committee of .... Project Committee

S.No. (1)	Name of the Candidate (2)	Name of the Distributory Committee he represents (3)
1		
2		
3		
4		
etc.		

Place: ....

Date: Election Officer

FORM 33
[See sub rule (1) of Rule24]

NOTICE OF WITHDRAWAL GIVEN BY THE CANDIDATE

Election of President/Member of the Managing Committee of
Project Committee

I, ...being a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place: ....

Date: **Signature of the candidate**

This notice was delivered to me at my office at ....(hours) on .... (date) by...................................(name)

....

Date: **Election Officer**

FORM 34
[See sub rule (2) of Rule24]

NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

Election of the office of the President/Member of the Managing Committee of Project Committee

S.No.	Name of the Candidate	Date of which withdrawal notice delivered
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
etc.		

Place:

Date:

....

Election Officer

FORM 35
[See sub rule (1) of Rule25]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

Election to the President/ Member of the Managing Committee of Project Committee................

S.No. (1)	Name of the Candidate (2)
1	
2	
3	
4	
5	
etc.	

Place: ....

Date: **Election Officer**

FORM 36
(See Rule 76)

BALLOT PAPER

....PROJECT COMMITTEE

Ballot Paper for President of the Managing Committee

S. No. of the Voter..............................

....

R. No. .... Signature / Thumb Impression

....PROJECT COMMITTEE

Ballot Paper for President

R. No.	R. No.
....	....
Name of the Candidate in Hindi in Alphabetical Order	Put ( ) mark against one name only in the box space provided.
1 NAME	☐
2 NAME	☐
3 NAME	☐
4 NAME	☐
5 NAME	☐
6 NAME	☐

1 Name of Project Committee
2 Date of Poll
3 Place of Poll

....

Signature of the Election Officer

FORM 37
(See Rule 76)

BALLOT PAPER

....PROJECT COMMITTEE

Member of the Managing Committee

S. No. of the Voter...   ....
R. No. ....   Signature / Thumb Impression

....PROJECT COMMITTEE

Member of the Managing Committee

R. No.
....   R. No. ....

Name of the Candidate in Hindi in Alphabetical Order	Put ( ) mark against one name only in the space provided.
1 NAME	☐
2 NAME	☐
3 NAME	☐
4 NAME	☐
5 NAME	☐
6 NAME	☐

1 Name of Project Committee
2 Date of Poll
3 Place of Poll

....
Signature of the Election Officer

FORM 38
[See sub rule (2) of Rule 26 and rule 78]

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER RULE 73 OF ELELCTION RULES

In accordance with the rule 73 of the Election Rule, I declare that the following candidate (s) has/have been duly elected for the Office of the President/Member of the Managing Committee/Project Committee.

Name:

Address:

Place:

Date: ....

Signature of Election Officer

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

प्रकरण क्रमांक 1 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	चाराभाठा खुर्द प. ह. नं. 12	1.881	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

प्रकरण क्रमांक 2 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	पुतकी कला प. ह. नं. 11	0.490	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

प्रकरण क्रमांक 3 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बाघामुड़ा प. ह. नं. 7	0.663	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	अपर आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

प्रकरण क्रमांक 4 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भरेवापारा प. ह. नं. 7	0.449	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.).	अपर आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./आ. वि. अ./प्र. क्र.-20 अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिर हसौद प. ह. नं. 73/14	5.873	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 रायपुर.	जोरा, सड्डू, धनेली (बायपास क्र. तीन) रायपुर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./आ. वि. अ./प्र. क्र.-29 अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	आमासिवनी प. ह. नं. 110/83	4.411	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, क्र. 1, रायपुर.	जोरा, सड्डू, धनेली (बायपास क्र. तीन) रायपुर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./आ. वि. अ./प्र. क्र.-30 अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना प. ह. नं. 83/110	0.434	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, क्र. 1, रायपुर.	जोरा, सड्डू, धनेली (बायपास क्र. तीन) रायपुर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/07 अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-श्यामतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	812	0.18
योग	1	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है-नवीन मंडी प्रांगण के लिये पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परपा, प.ह.नं. 73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
259/1	0.0 1/2
261	0.02
309	0.0 1/2
402	0.0 1/2
279	0.03
260	0.01
235	0.01
238	0.01
239/1	0.0 1/2
231	0.0 1/2
234	0.01
310	0.0 1/2
401	0.0 1/2
233	0.0 1/2
357	0.02
407	0.0 1/2
368	0.0 1/2
412	0.09
311	0.0 1/2
400	0.0 1/2
366	0.02
242	0.02
244	0.0 1/2
408	0.03
236	0.01
312	0.0 1/2
399	0.0 1/2
308	0.0 1/2
403	0.0 1/2
356	0.0 1/2
240/1	0.0 1/2
280	0.01
241	0.0 1/2
232	0.01
262	0.01
267	0.02
411/1	0.02
271	0.0 1/2
245	0.0 1/2
योग	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/05/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेकनेरा प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
311/2	0.033
योग	0.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 660/Confdl./2006/II-15-21/2000 (Pt. III).—The following members of Chhattisgarh Lower Judicial Service as specified in Column No. (2), who have been promoted on Ad-hoc basis as District Judge (Entry Level) for serving in Fast Track Courts in Officiating capacity vide Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur Order No. 11938/2492/21-B/C. G./06 dated 28-09-2006, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following members of Chhattisgarh Lower Judicial Service as specified in Column No. (2) who have been promoted on Ad-hoc basis as District Judge (Entry Level) for serving in fast Track Courts, are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No.	Name & present designation	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Bemetara	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	IV Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
2.	Shri Ashok Kumar Sahu, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Kawardha	Durg	Durg	X Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Smt. Suman Ekka, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Rajnandgaon	Raipur	Raipur	X Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam, Civil Judge Class-I & C. J. M.	Dantewara	Bilaspur	Bilaspur	VIII Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
5.	Shri Phool Singh Penkra, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Janjgir	Raigarh	Raigarh	III Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
6.	Shri K. Vinod Kujur, Civil Judge Class-I & C. J. M.	Kanker	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
7.	Shri Rajendra Pradhan, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Ambikapur	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
8.	Smt. Kanta Martin, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Baikunthpur	Raipur	Raipur	IX Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
9.	Shri Anand Kumar Singhal, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Jagdalpur	Sanjari-Balod	Durg	II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
10.	Shri Ashok Kumar Lunia, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Bilaspur	Ramanujganj	Surguja (Ambikapur)	I Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
11.	Shri Suresh Kumar Soni, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Jashpur	Korba	Korba	II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
12.	Shri Onkar Prasad Gupta, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Durg	Durg	Durg	XII Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
13.	Shri Bhishma Prasad Pandey, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Raigarh	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	III Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
14.	Shri Arvind Kumar Sinha, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Korba	Ramanujganj	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
15.	Shri Balindar Singh Saluja, I Civil Judge Class-I & C. J. M.	Raipur	Raipur	Raipur	XI Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
16.	Shri Hemant Kumar Agrawal, Civil Judge Class-I & C. J. M.	Sakti	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 662/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The High Court Registry order No. 655/Confdl./2006/II-3-1/2006, Bilaspur, dated 06-10-2006 is, hereby recalled.

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 664/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) of the table below are hereby promoted and appointed on ad-hoc basis as Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates with the condition that they shall be entitled for the pay of post of Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate only after completion of their 5 years' service as Civil Judge Class-I.

The following Judicial Officers are transferred from the place as specified in Column No. (3) to the palce specified in Column No. (4) and appointed as Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates for their respective Revenue Districts mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Manish Kumar Naidu, Civil Judge Class-I.	Ambagarh Chowki	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Abdul Zahid Qureshi, III Civil Judge Class-I.	Durg	Janjgir	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Jantaram Banjara, Civil Judge Class-I.	Sukma	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Smt. Kiran Chaturvedi, Civil Judge Class-I.	Mungeli	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Kartik Ram, I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Raipur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Shri Anand Ram Dhidhi, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I Raipur.	Saraipali	Durg	Durg	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Gopal Krishna Neelam, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raigarh.	Dharamjaigarh	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Smt. Dhaneshwari Sidar, II Civil Judge Class-I.	Janjgir	Bemetara	Durg	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
9.	Shri Gregory Tirkey, II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Baikunthpur	Korba	Korba	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
10.	Shri Rohit Singh Tanwar, Civil Judge Class-I.	Manendragarh	Jashpurnagar	Jashpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
11.	Shri Hirendra Singh Tekam, Civil Judge Class-I.	Dongargarh	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
12.	Shri Sanjay Kumar Soni, III Civil Judge Class-I.	Jagdalpur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
13.	Shri Jitendra Kumar, II Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
14.	Shri Maneesh Kumar Thakur, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Jagdalpur.	Kondagaon	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
15.	Shri Mohd. Rizwan Khan, III Civil Judge Class-I.	Raipur	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 665/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Virendra Kumar Chanakya, Reinstated in service and attached to the office of District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Rajnish Shrivastava, III Civil Judge Class-I, A. C. J. M.	Bilaspur	Raipur	Raipur.	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Shri Anestus Toppo, Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Surajpur	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Khairagarh	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Smt. Neeta Yadav, I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Durg	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 667/Confdl./2006/II-3-2/2002.—The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation for 2 years and who have completed their period of probation, are hereby issued a certificate of confermation under Rule 11 (5) of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 viz. :—

1. Shri Prafull Sonwani
2. Ku. Sanghpushpa Bhatpahari
3. Shri Shiekh Ashraf
4. Shri Liladhar Sarthi
5. Shri Alok Kumar
6. Ku. Ranju Rautrai
7. Shri Omprakash Singh Chouhan
8. Shri Santosh Kumar Aditya

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 669/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-II as specified in Column No. (2) of the table below are hereby promoted and appointed on ad-hoc basis as Civil Judges Class-I with the condition that they (except officers from serial No. 01 to 08) shall be entitled for the pay of post of Civil Judge Class-I only after completion of their 5 years' service as Civil Judge Class-II.

The following Judicial Officers are transferred from the place as specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and appointed as Civil Judges Class-I for thier respective Revenue Districts mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vinod Kumar Dewangan, Civil Judge Class-II.	Bijapur	Sukma	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Daya Sindhu Ganveer, Civil Judge Class-II.	Kanker	Dharamjaigarh	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I. Raigarh at Dharamjaigarh.
3.	Smt. Geeta Neware, IV Civil Judge Class-II.	Raigarh	Janjgir	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-I
4.	Smt. Girija Devi Meravi, IX Civil Judge Class-II.	Durg	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Civil Judge Class-I
5.	Ku. Prisilla Ekka, IX Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Baikunthpur	Koria (Baikunthpur)	II Civil Judge Class-I
6.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, Civil Judge Class-II.	Narayanpur	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-I
7.	Shri Prabodh Toppo, Civil Judge Class-II.	Manendragarh	Bilaspur	Bilaspur	V Civil Judge Class-I
8.	Shri Srinarayan Singh, Civil Judge Class-II.	Pratappur	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge Class-I
9.	Shri Prafull Sonwani, I Civil Judge Class-II.	Dantewara	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Jagdalpur at Kondagaon.
10.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, Civil Judge Class-II.	Khairagarh	Saraipali	Mahasamund	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Mahasamund at Saraipali.
11.	Shri Sheikh Ashraf, I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Manendragarh	Koria (Baikunthpur)	Civil Judge Class-I
12.	Shri Liladhar Sarthi, Civil Judge Class-II.	Surajpur	Ambagarh Chowki	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I
13.	Shri Alok Kumar, Civil Judge Class-II.	Sakti	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I
14.	Ku. Ranju Rautrai, II Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Durg	Durg	III Civil Judge Class-I
15.	Shri Omprakash Singh Chauhan, III Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Mungeli	Bilaspur	Civil Judge Class-I
16.	Shri Santosh Kumar Aditya, Civil Judge Class-II.	Kurud	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 7th October 2006

No. 671/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their name in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting by 26th October 2006 positively :—

TABLE

S. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class-II (2)	Posted As & At (3)
1.	Smt. Shradha Singh, D/o Shri Kamrish Singh, Ramgudi Para, Chandni Chowk, Raigarh, C. G.	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
2.	Shri Kiran Kumar Jangade, S/o Shri Ramayan Lal Jangade, Purani Basti, Korba-495678 (C. G.)	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Yashpal Singh Tandan, S/o Shri Jadulal Tandan, Near Jatiya Talab, Jarhabhata, Bilaspur-495001 (C. G.)	IX Civil Judge Class-II Durg
4.	Shri Mukesh Kumar Patre, S/o Shri Gopal Prasad Patre, Nandai Para ward No. 42, Rajnandgaon C. G.)	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
5.	Shri Shyam Sundar Kashyap, S/o Shri Digoram Kashyap, Village Chote Malgaon, P. O. Salna, Teh. Keshkal, District Bastar (C. G.), Pin-494347.	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Ku. Sarita Das, C/o Shri Khelan Das, C/o Smt. Sushila Manu, Allahabad Bank, Idgah Chowk, Bilaspur-495001 (C. G.)	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
7.	Ku. Yogita Gadpayle, D/o Shri Babulal Gadpayle, C/o Smt. M. Meshram, Lattipara Kanker, (C. G.)	II Additional Judge to I Civil Judge Class-II Durg.
8.	Shri Pramod Singh Paraste, S/o Shri P. S. Paraste, C/o Shri Shailesh Deshmukh, Behind the Chief Justice bungalow , Vikas Nagar, 27 Kholi, Bilaspur-495119 (C. G.)	I Additional Judge to I Civil Judge Class-II Jagdalpur.
9.	Ku. Sanjaya Ratrey, D/o Shri T. P. Ratrey, Swethans Apartment, House No. 203, Sector-3 Deendayal Upadhyay Nagar, P. O. University, Raipur-492010 (C. G.)	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Shri Rakesh Kumar Som, S/o Shri Tejpal Som, Old Basti, Nagari Kotpara, P. O. Nagari, District: Dhamtari (C. G.), Pin-493778.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Jagdalpur.
11.	Shri Jitendra Kumar Thakur, S/o Shri Banshiram Thakur, C/o K. S. Markam (Advocate), Thakur Colony, Albela para, Kanker, District: Kanker (C. G.), Pin-494334.	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.

(1)	(2)	(3)
12.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, S/o Shri Jethuram Jurri, Village: Udkuda, P. O. Lakhanpuri, Teh. Charama, District: Kanker (C. G.). Pin-494336.	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Ambikapur.
13.	Shri Jagdish Ram, C/o Shri V. Xalxo. Qr. No. 6, In front of Pushapraj School, Vaishali Nagar, Bilaspur (C. G.).	III Civil Judge Class-II. Rajnandgaon
14.	Shri Anil Kumar Bara, S/o Shri Romanus Bara, Plat No. 24, Street 06, Panchsheel Society, Sector B, Borshi, Durg-491440.	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Raigarh.
15.	Ku. Mohani Kanwar, D/o Shri M. S. Kanwar, New Sarkanda, Bangali Para, Gali No. 3, Chitranjan Marg. Bilaspur (C. G.).	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
16.	Ku. Dwarika Tidke, D/o Shri Brij Lal Tidke, Special Judge Under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, Raipur, C. G.	III Additional Judge to I Civil Judge Class-II, Durg.

By order of the High Court.
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.